Monday, 13 August, 1962

लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ६, १९६२/१८८४ (शक)

६ से १८ अगस्त, १९६२/१५ से २७ श्रावण, १८८४ (शक)

3rd Lok Sabha

Preservation
Fumigated
On
Parliament Library

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ६ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

लोक-सभा

सोमवार, १३ अगस्त, १९६२

२२ श्रावण, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उतर

समाज शिक्षा

†*२१५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज शिक्षा की सरकारी योजना और कार्यक्रम की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार, सूचना और प्रसारण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालयों के साथ मिल जुल कर इस क्षेत्र में कोई सम्मिलित प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६२]

(ख) जी हां, सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालयों के साथ ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : समाज शिक्षा और इसके लि नियुक्त अभिकरण का क्या स्वरूप और कार्यक्रम है ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्** : अभिकरण सामुदायिक विकास विभाग के जरिये चलायी जायेगी और राज्य भी वह कार्यक्रम अपनायेंगे । जहां तक स्वरूप का प्रश्न है, यह हिसाब लगाया गया है कि शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा इन खंडों में क्रियान्विति के लिये समाज शिक्षा किस प्रकार की और कितनी दी जाये । मुख्य बाते ये हैं :—यह उत्तर में दिया गया है—पुरुषों और स्त्रियों के लिये साक्षरता कक्षाएं और कार्य, पुस्तकालय और वाचनालय—और नागरिकता में शिक्षा के लिये विचार-विमर्श दल ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1555 (Ai) LSD—1.

†**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ उत्तर में दिया गया है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन**: वे सब बातें विवरण में दी गयी हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा अपने समाज शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी और सहायक सेवायें भी दी जाती हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : वर्ष १९६१–६२ में शिक्षा मंत्रालय द्वारा कितना धन व्यय किया गया है और क्या उन्होंने विशेष कार्यों, मुख्यतः सामान्य निर्वाचन के दौरान पता लगे गैर-सामाजिक कार्यों, पर ध्यान दिया है ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्** : पुस्तकों में प्रतिस्पर्धा और ऐच्छिक संस्थाओं के लिये धन का उपबन्ध किया गया है। सामुदायिक विकास मंत्रालय और राज्य विभागों के अपने अपने कार्यक्रम हैं। मेरे पास उस धन का, जो हमने खर्च किया है ब्योरा नहीं है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ८९ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कितना धन व्यय किया गया है ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्** : वर्ष १९६१–६२ में वास्तव में १३.३० लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

डा० गोविन्द दास : जहां तक समाज शिक्षा की भाषा के माध्यम का सवाल है, क्या हर प्रान्त में उस प्रान्त की भाषा माध्यम है या और कोई भाषाएं ऊपर से लादी गयी हैं?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्** : समाज शिक्षा कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है और साक्षरता कार्यक्रम भी। यह प्रादेशिक भाषा और मातृ भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में नहीं हो सकता।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, इसका हिन्दी में भी अनुवाद सुनाया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि हर बार इस सवाल को न उठाया कीजिए।

श्री रामेश्वरानन्द : एक दो प्रश्न तो हिन्दी में होता है और उसका उत्तर भी अंग्रेजी में दिया जाता है। मैं कहता हूं कि जो अंग्रेज़ी में बोलें उनको अंग्रेज़ी में उत्तर दिया जाए। मगर मैं देखता हूं कि हिन्दी के प्रश्नों का उत्तर भी हिन्दी में नहीं दिया जाता। फिर हमारे यहाँ बैठने से क्या लाभ ?

अध्यक्ष महोदय : कोशिश की जाती है कि हिन्दी के प्रश्नों का उत्तर भी हिन्दी में ही दिया जाए। लेकिन अगर किसी वक्त कोई कठिनाई हो तो स्वामी जी माफ करें।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने भी कठिनाई है। हमें भी माफ किया जाना चाहिए। हम जरूर चाहेंगे।

श्री बड़े : अगर आप हिन्दी में कह दें तो अच्छा हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं यत्न करूंगा जहाँ कहीं जरूरी होगा।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : क्या यह सच नहीं है कि कई विभागों में समाज शिक्षा की व्यवस्था है और या तो एक या उसी कार्य के लिये दोहरी सेवायें दी जाती है या कुछ मामलों में कोई भी सेवा नहीं दी जाती ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : द्विगुणीकरण और अतिछादन को दूर करने के लिये सामुदायिक विकास तथा शिक्षा मंत्रालयों का समन्वय समिति है। वे कार्यक्रम बनाते हैं और ये कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाते हैं। यह न्यूनतम कार्यक्रम है। उनकी वार्षिक गोष्ठी का पिछले वर्ष हैदराबाद में आयोजन किया गया था। हर छटे महीने बैठकें होतीं हैं। वहां भी उन्होंने एक सामान्य कार्यक्रम तैयार किया है ताकि द्विगुणीकरण और अतिछादन न हो। कुछ दिन पूर्व हमने विकास आयुक्तों और शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया था। हम सबने समाज शिक्षा पर, इसके कार्यक्रम में सुधार करने और अग्रेतर विकास करने, पर चर्चा की। अतः द्विगुणीकरण और अतिछादन को दूर करने के लिये भरसक प्रयत्न किया जाता है।

†श्री त्यागी : क्या यह कार्यक्रम जिला बोर्डों और जिला परिषदों और सामुदायिक विकास संगठनों द्वारा नहीं चालू किया गया, और यदि हाँ, तो व्यवस्था और नियंत्रण में इस द्विगुणीकरण का क्या औचित्य है ?

†श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : कोई द्विगुणीकरण नहीं है। उद्देश्य यह है कि द्विगुणीकरण न हो। समाज शिक्षा कार्यक्रम के लिये हमने अधिक नहीं किया है। परन्तु संयुक्त समिति बना कर और संयुक्त कार्यक्रम द्वारा हर स्तर पर द्विगुणीकरण दूर किया जाता है।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या वही कार्यक्रम जिला परिषदों और अन्य निकायों द्वारा नहीं किया गया था।

†श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : जी, नहीं।

†श्री यलमंदा रेड्डी : क्या केन्द्रीय सरकार प्रति वर्ष प्रौढ़ शिक्षा के बारे परिणामों का पुनर्विलोकन करती है, और यदि हाँ, तो, परिणाम क्या हैं और जहाँ तक प्रौढ़ शिक्षा का सम्बन्ध है, क्या प्रगति की गयी है ?

†श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : जी, हाँ। जहाँ तक प्रौढ़ शिक्षा का सम्बन्ध है, गोष्ठियों और सम्मेलनों में किये गये कार्य का पुनर्विलोकन किया जाता है और आगे कार्यक्रम बनाया जाता है। परन्तु जैसा मैंने बताया, मैं स्वीकार करती हूं, कि हमारी प्रगति प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बहुत संतोषजनक नहीं है। अतः हमने आगे कार्यक्रम बनाने के लिये संयुक्त बैठक की। हम न्यूनतम कार्यक्रम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। समाज शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है और हमें वह बड़ी कठिन लग रही है। अतः अब हम प्रौढ़ साक्षरता और नागरिकता प्रशिक्षण के बारे न्यूनतम कार्यक्रम रखने का प्रयत्न कर रहे हैं और हम इसको राज्य सरकारों के जरिये शीघ्रातिशीघ्र करने जा रहे हैं।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

†श्री त्यागी : धन को बचाया क्यों न जाये ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन

+

†*२१६. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री कोल्ला वैन्कैय्या :
श्री सु० भू० दास :
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री पें० वेन्कटासुब्बय्या :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के पिछड़े वर्गों के कल्याण के भारसाधक मंत्रियों का एक सम्मेलन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो किन किन प्रश्नों पर चर्चा की गयी; और

(ग) क्या क्या निश्चय किये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी हां। सम्मेलन नई दिल्ली में २६ और २७ जुलाई, १६६२ को किया गया था।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में उन मदों की सूची है जिन पर सम्मेलन में विचार किया गया । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६३]**

(ग) सम्मेलन मुख्यतः अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने और कार्य सूची में सम्मिलित अन्य बातों पर विचार करने के लिये बुलाया गया सम्मेलन की कार्यवाही और सिफारिशों के रिकार्ड को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

†**श्री सुबोधहंसदा** : उस बैठक में जिन बातों पर विचार किया गया, उन में से एक द्वितीय योजना काल में वित्तीय लक्ष्यों में कमी था। क्या तृतीय योजना काल में अधिकतम भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने पर कोई बल दिया गया और यदि हां, तो उस कार्य के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई।

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : जी हां। सम्मेलन में गृह-कार्य मंत्री ने बल दिया कि मुख्य मंत्री राज्य में प्रगति का पुनर्विलोकन करें और देखें कि द्वितीय योजना में उपबन्धित धनराशि का उचित रूप से इस्तेमाल किया गया और ततीय योजना में उचित रूप से इस्तेमाल हो।

†**श्री बसुमतारी** : क्या योजना के बाहर कोई धनराशि पथक रूप से रखी गयी है, और यदि हां, तो कितनी ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : मैं समझती हूं कि माननीय सदस्य योजना आयोग द्वारा योजना परिव्यय से पृथक रखी गयी २६० करोड़ रुपये की धनराशि का जिक्र कर रहे हैं और पिछड़े हुए क्षेत्रों में वही खर्च की जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० चं० सामन्त : क्या मंत्री महोदय को पता है कि एक जाति एक राज्य में पिछड़ी जाति मानी गयी है जब कि अन्य राज्यों में वही जाति पिछड़ी जाति नहीं मानी गयी है ?

†श्रीमती चन्द्रशेखर : यह तब हो सकता है जब पिछड़ापन निर्धारित करने के लिये जाति ही कसौटी हो। परन्तु अब जब कि हम ने इस के लिये आर्थिक कसौटी भी रखी है, ऐसा नहीं होगा।

†श्री वी०चं० शर्मा : विवरण में यह कहा गया है कि 'अन्य पिछड़े वर्ग' निर्धारित करने के लिये आर्थिक परीक्षण स्वीकार करने के लिये कदम उठाये गये हैं। वे आर्थिक परीक्षण क्या हैं ?

†श्रीमती चन्द्रशेखर : जिन व्यक्तियों की आय १५०० रुपये प्रतिवर्ष से अधिक है, उन्हें पिछड़े वर्ग वाले नहीं माना जायेगा।

†श्री सोनावने : पूर्व अवसरों पर जब बैठकें हुईं तो उन में संसद्-सदस्यों को बुलाया जाता था। अब वह तरीका क्यों छोड़ दिया गया है ?

†श्रीमती चन्द्रशेखर : इस से पहले सम्मेलन तीन बार हुआ यह राज्य मंत्रियों का सम्मेलन था जो केवल राज्यों के पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित मंत्रियों की बैठक और विचार-विमर्श के लिये था।

श्री बड़े : क्या यह बात सच है कि आर्थिक दृष्टि से बैकवर्ड क्लासेज का परीक्षण किया जाता है ? आज तक बैकवर्ड क्लासेज में कौन कौन जातियां आ गयीं इस बारे में हर एक स्टेट में निश्चय किया गया है। अभी स्टेट मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स हुई थी। उस में भी कुछ जातियां इन्क्लूड की गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन को बैकवर्ड क्लासेज माना गया है और पुरानी लिस्टों में उन के नाम जोड़ दिये गये हैं और उनके नाम गजट हो गये हैं।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): जी नहीं, इस कांफ्रन्स में हम ने सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेडयूल्ड कास्टस पर विचार किया। वह भी एक तरीके से बैकवर्ड क्लासेज में आते हैं लेकिन उन को हम सब से बैकवर्ड मानते हैं और जो दूसरे बैकवर्ड क्लासेज कहलाते हैं उन की कोई चर्चा इस कान्फ्रेंस में नहीं हुई और न ही लिस्ट में उस सम्बन्ध में कोई तबदीली की।

†श्री बड़े : उन्हों ने मेरे प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं दिया है।

†अध्यक्ष महोदय : मैं उन को और अवसर दूंगा। श्री स्वैल।

†श्री स्वैल : क्या इस सम्मेलन में संविधान की छठी अनुसूची के संशोधन का प्रश्न भी उठाया गया था। यदि नहीं तो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस बात पर पिछले दस वर्षों से बहस हो रही है, और प्रधान मंत्री जी ने संशोधन करने के बारे में कई बार आश्वासन दिये हैं, क्यों नहीं ?

†अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल भिन्न बात है।

श्री बड़े : मेरा सवाल यह था कि अभी तक जातीयता की दृष्टि से बैकवर्ड क्लासेज माने जाते हैं और उन के नाम हर एक स्टेट में गजेट में दिये हुए हैं। अब आर्थिक दृष्टि से उन का परीक्षण किया जायेगा ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो क्या हर एक स्टेट को यहां से आदेश दिया गया है कि अभी तक जो जातियां बैकवर्ड क्लासेज मानी जाती हैं वह निकाल दी जायें और केवल आर्थिक दृष्टि से जो आयेंगी उन को ही यह सर्टिफिकेट दिया जाय ?

†अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या राज्यों को बता दिया गया है कि आगे से कसौटी आर्थिक आधार पर होगी न कि जाति के आधार पर।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक प्रदेश सरकारों की बात है उन्हों ने अपनी लिस्ट बनाई हुई है। बैकवर्ड क्लासेज को हम ने कोई वैसी लिस्ट नहीं बनाई है। दूसरी बात यह है कि जहां तक स्टेट्स की बात है हम ने प्रदेश की सरकारों को यह एक राय दी है कि स्कालरशिप आदि देने में उन को मीन्स टैस्ट अर्थात् कितनी किस की योग्यता है उस हिसाब से उन को देखना चाहिये और केवल जाति के आधार पर नहीं देखना चाहिये। इस तरह की सलाह प्रदेश सरकारों को हम ने दी है और वे विचार कर के अपना अपना निर्णय कर सकती हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री बड़े** : यह प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यों ने जाति के आधार पर कायवाही करने का फैसला किया है न कि आर्थिक स्थिति के आधार पर।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं जानता हूं कि जो भी माननीय सदस्य कहते हैं, सब महत्वपूर्ण होता है परन्तु बाजदफा मैं उन को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता ।

†**श्री सोनावने** : यह पिछड़े वर्गों के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं जानता हूं। इसी लिये मैंने अगला प्रश्न पुकारा है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय

†*२१७.
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दाजी :
श्री अ० व० राघवन :
श्री सुब्बरामन् :
श्री मनय्या :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हेम राज :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री मोहसिन :
श्री उमानाथ :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री किशन पटनायक :
श्री काजमी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितने विश्वविद्यालय खोलने का विचार था;

(ख) उन के लिये कुल कितनी रकम नियत की गयी है;

(ग) उन में से कितने विश्वविद्यालय चालू किये जा चुके हैं ;

(घ) कितनों के लिये मंजूरी दी गई है ; और

(ङ) कितनों के बारे में अभी विचार हो रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६४]

(ग) पांच,

(घ) और (ङ). अपने अपने क्षेत्र में नये विश्वविद्यालय स्थापित करना सम्बन्धित राज्यों का काम है ।

श्री रघुनाथ सिंह : किन किन राज्य सरकारों ने कितनी कितनी युनिवर्सिटियों की स्थापना के वास्ते आप से प्रार्थना की है और उन्हों ने कितना रुपया मांगा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जैसा कि मैं ने स्टेटमेंट में बताया यह पांच युनिवर्सिटियां तो स्थापित हो चुकी हैं—बिहार में एक, पंजाब में एक, राजस्थान में एक और वैस्ट बंगाल में दो। अभी हाल में मध्य प्रदेश की दो युनिवर्सिटीज के लिये भी मंजूरी दे दी गई है। तीन युनिवर्सिटियां वहां स्थापित होने का प्रस्ताव है, ग्वालियर, इंदौर और रायपुर में ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जितने विश्वविद्यालय खोलने का निश्चय किया था इस स्टेटमेंट को देखने से यह प्रतीत होता है कि आगामी वर्षों में उन की संख्या बढ़ जायेगी तो क्या इस सम्बन्ध में भी शिक्षा मंत्रालय ने कुछ निश्चय किया है कि जितना निश्चय आरम्भ में किया था उतनी ही संख्या रहनी है या उस में कुछ वृद्धि की जायेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इस प्रश्न के उत्तर में मुझे यह निवेदन करना है कि जब योजना बनी थी उस वक्त राज्य सरकारों से कुछ प्रस्ताव मांगे थे और उन्हीं के आधार पर यह सारा नक्शा बनाया गया था। अब यह राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वह और नई युनिवर्सिटीज कितनी खोलना चाहते हैं क्योंकि जिम्मेदारी इस विषय में राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय सरकार से कोई आर्थिक सहायता नये विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये नहीं दी जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री वेंकटासुब्बया ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं ने भिन्न प्रश्न पूछा था। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : आखिर में मैं आप को दुबारा इजाजत दे दूंगा।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार से उस क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान सभा पटल पर रखे गये विवरण की ओर दिलाता हूं। आन्ध्र प्रदेश का एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा मंत्रालय ने कुछ संख्या निर्धारित की थी कि आगामी पांच वर्षों में सारे देश में इतने विश्वविद्यालय खोले जायेंगे लेकिन इस स्टेटमेंट को देखने से प्रतीत होता है कि उतनी संख्या से ज्यादा बढ़ गये हैं तो अभी जो बाकी वर्ष शेष रह जाते हैं उन में विश्वविद्यालय खोलने की गुंजाइश रहेगी तो इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय ने क्या निर्णय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं समझता हूं कि मैं ने जो उत्तर दिया है उस को वे अच्छी तरह समझें नहीं हैं जो इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं। जो योजना बनी थी . . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर दोनों एक तरीके से न समझें तो मैं क्या करूं ? उन को भी यह शिकायत है कि आप उन के प्रश्न को नहीं समझे हैं और आप की शिकायत यह है कि आप ने जो जवाब दिया वह उन्हों ने अच्छी तरह नहीं समझा है।

डा० का० ला० श्रीमाली : मार्ग प्रदर्शन तो आप से ही मिल सकता है।

श्री रामेश्वरानन्द : मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि मैं समझ नहीं सका।

डा० का० ला० श्रीमाली : संभव है मेरी गलती हो मैं एक बार फिर प्रयत्न करता हूं। तृतीय पंचवर्षीय योजना राज्य सरकारों के साथ बैठ कर बनी थी। उन्हों ने जैसा प्रस्ताव किया और जो उसवक्त आवश्यकता उन की थी उस को देख कर इस स्टेटमेंट के मुताबिक १९ यूनिवरसिटीज खोलने की एक योजना बनाई थी। अब परिस्थिति यह है कि जहां तक नये विश्वविद्यालयों के खोलने का सम्बन्ध है भारत सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती है और न ही युनिवरसिटी ग्रान्ट्स कमिशन नये विश्वविद्यालय खोलने के लियेकोई सहायता देता है लेकिन जैसे जैसे राज य सरकारों के प्रस्ताव आते जाते हैं वैसे वैसे उन की जांच की जाती है। युनिवरसिटीज ग्रान्ट्स कमिशन उन को मशविरा देता है और फिर जिम्मेदारी उन की है कि वह नये विश्वविद्यालय खोलें। अगर राज्य सरकारों के पास से हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आता है तः इस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यह उन्हीं की जिम्मेदारी है और उन को ही पूरी करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ मैं समझा हूं वह यह कि जो संख्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय खोलने की थी उनसे अधिक खुल गये। जो बाकी रह गये है और अभी नही खुले है उनका पंचवर्षीय में क्या बनेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह नतीजा कैसे निकला ? १९ नये विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव था। अभी जैसा मैंने निवेदन किया कुल पांच ही खुले है तो १९ और ५ में तो काफी अन्तर फर्क है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां बहुत फर्क है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : क्या कोई फेडरल युनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव हैं, और यदि हां, तो उनकी क्या संख्या हैं और क्या प्रगति की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : फेडरल युनिवर्सिटी के बारे में कुछ भ्रम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने हाल के प्रतिवेदन में सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में एक ही फेडरल तरीके का विश्वविद्यालय हो। दिल्ली विश्वविद्यालय फेडरल तरीके का विश्वविद्यालय है। फेडरल तरीके का विश्वविद्यालय अन्य प्रकार के विश्वविद्यालयों से थोड़ा भिन्न होता है। उदाहरणतः, एक रेजिडेन्शल युनिवर्सिटी और यह सुझाव दिया गया हैं कि प्रत्येक राज्य में एक फेडरल युनिवर्सिटी हो। यदि माननीय सदस्य यह पूछ रहे है कि कि केन्द्रीय विवद्यालय हो . . . . .

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैंने केन्द्रीय विश्वविद्यालय का जिक्र नहीं किया। मैंने पूछा है कितनी फेडरल युनिवर्सिटीज स्थापित की जायेंगी और प्रगति क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में एक संघातीय किस्म का विश्वविद्यालय होना चाहिये ।

†श्री प्र० के० देव : विवरण में १६ विश्वविद्यालयों को एक लम्बी सूची में, यद्यपि विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिये धन का आवंटन किया गया है, मुझे अपने राज्य उड़ीसा के एक मात्र विश्वविद्यालय के बारे का कोई आवंटन दिखाई नहीं देता। क्या सम्बलपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई फैसला किया गया है ?

†अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न के ब्यौरे में नहीं पड़ सकते ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सही है कि काठारी समिति जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा नियुक्त की गई थी उसने सुझाव दिया था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक विशेषीकृत प्रशिक्षण के लिये कोई विषय चुनना चाहिये ? यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और क्या सरकार उनको कार्य रूप में परिणत करने का विचार करती है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह ब्यौरे का दूसरा मामला है ।

श्री मुहम्मद इलियास : मैं विवरण में देखता हूं कि पश्चिम बंगाल के लिये २२५ लाख रुपये मंजुर किये गये ह । पश्चिम बंगाल में शिक्षा की बड़ी भारी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए . . . .

†अध्यक्ष महोदय : इस समय ब्यौरे में पड़ना ठीक नहीं ।

†श्री स० मो० बनर्जी : आंकड़े विवरण में दिये गये हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : यहां संख्या और आवंटन मांगा गया था ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय स्थापित होने की संभावना है ?

†अध्यक्ष महोदय : जब पश्चिम बंगाल के लिये मैंने अनुमति नहीं दी, उत्तर प्रदेश के लिये कैसे दे सकता हूं (अन्तर्बाधाएं) । मैं ब्यौरे में पड़ना नहीं चाहता ।

रामसेवक यादव : शिक्षा मंत्री ने अभी बताया कि पांच विश्वविद्यालयों को खोलने की अनुमति दी गई हैं, जबकि स्टेटमेंट में १६ यूनिवर्सिटीज दी गई है, तो १४ यूनिवर्सिटीज के खुलने में क्या दिक्कत हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उसी प्रश्न को किसी न किसी राज्य के लिये दुहरा रहे है । श्री हरिश्चन्द्र माथुर ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री नियमन में अन्तर की व्याख्या कैसे करेंगे ? महाराष्ट्र के लिये ५० लाख, एक विश्वविद्यालय, राजस्थान के लिये केवल १० लाख रुपये, पश्चिम बंगाल के में दो विश्वविद्यालयों के लिये २२५ लाख रुपये और मध्य प्रदेश के लिये तीन केवल २० लाख रुपये । क्या पिछड़े हुए राज्यों को बहुत कम दिया जाता है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : ये नियतन विशिष्ट राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार किये जाते है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में तीन विश्वविद्यालय खोलने के लिए ८७ लाख रुपये लेकिन वैस्ट बंगाल में दो विश्वविद्यालय खोलने के लिये २२५ लाख रुपये की मंजूरी दी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : नैक्स्ट क्वैश्चिन। श्री हंसदा।

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने खुद कहा है कि उत्तर न दिया जाये।

डा० गोविन्द दास : अध्यक्ष महोदय, एक जरूरी सवाल पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बदकिस्मती है कि मैं अगले सवाल पर चला गया हूं।

हेलिकाप्टरों का निर्माण

+

*२१८. { **श्री सुबोध हंसदा** : **श्री बसुमतारी** : **श्री स० चं० सामन्त** : **श्री गो० कु० सिंह** : **श्री भक्त दर्शन** : **श्री भागवत झा आजाद** : **श्री बी० चं० शर्मा** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कानपुर और बंगलौर में हेलिकोप्टर तयार करने के लिये एक फ्रांसीसी फर्म के साथ करार किया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस ठेके की शर्त क्या है ;

(ग) क्या हेलिकोप्टर के सभी हिस्से तयार किये जायेंगे या सिर्फ फालतू पुर्जे ही तयार किये जायेगे ; और

(घ) पूरा इंजन और उसके हिस्से तयार करने में कितना समय लगेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) इस हेलिकोप्टर का भारत में निर्माण करने के लिये एक फ्रांसीसी फर्म के साथ करार किया गया है। इन हेलिकोप्टर का इंजन एक दूसरी फर्म के द्वारा बनाया जाता है और उपरोक्त करार में इंजन का निर्माण शामिल नहीं।

(ख) संविदा के निबन्धन बताना लोकहित की दृष्टि से ठीक नहीं, तथापि यह बताया जा सकता है कि हम सुविधाजनक अदायगी शर्तों पर समुचित लाइसेंस शुल्क ही देंगे। । स्वामित्व के रूप में कुछ नहीं दिया जायेगा।

(ग) हेलिकोप्टर के सब पुर्जे और न केवल फालतू पुर्जे ही, धीरे धीरे देश में बनाये जायेंग।

(घ) भारत में इंजन बनाने का करार करने के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : यह प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामला नहीं । मैं एक औचित्य प्रश्न पूछ रहा हूं । वे देश में हेलिकोप्टर बनाने जा रहे हैं । इस विषय में इतना अधिक काम हुआ है । क्या विवरण लोकहित में बताये नहीं जा सकते ? मैं इस बात को समझ नहीं सकता । करार किया गया है, निर्माण उस करार के अनुसार चलेगा और सब कुछ वैसा होगा । किन्तु सरकार ब्यौरा नहीं बतायेगी ।

†अध्यक्ष महोदय : जितना वह बताना संभव समझते थे उतना उन्होंने बता दिया है । किन्तु वह कहते हैं कि अन्य बातें लोकहित में नहीं बताई जा सकतीं । उन्होंने कुछ तथ्य दिये हैं । किन्तु यदि माननीय सदस्य और प्रश्न पूछें और उत्तर न दिया जाए तो मैं देखूंगा कि आधा में हस्तक्षेप कर सकता हूं ।

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : सम्भवतः माननीय सदस्य करार में दिया गया सारा ब्यौरा जानना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि इस मामले में सरकार का भी कुछ उत्तरदायित्व है । करार में उत्पादन की मात्रा और गति तथा भारतीयकरण की गति अन्य विविध प्रतिबन्धात्मक खंड किये गये हैं । यह एक बात है । दूसरे, यह एक विदेशी फर्म के साथ किया गया है जो साधारणतया उस देश की सरकार के साथ बंधी होती है और यदि इन बातों की चर्चा इस प्रकार की जाती है, तो लाभदायक निविदायें प्राप्त करना असंभव हो जाता है, क्योंकि यदि ब्यौरे का प्रचार न किया जाय, तो अपने देश की आर्थिक अवस्था के कारण हम कम मूल्य दे सकते हैं । मैं इस संविदा को आपके द्वारा निरीक्षण के लिये रखने को तैयार हूं और यदि ये बातें आपको नहीं जंचती तो मैं आपका विनियम मानने को तैयार हूं । (अन्तर्बाधा)

†श्री हेम बरुआ : उनको इसे आपके निरीक्षण और तसल्ली के लिये आपके सामने पेश करना चाहिये जैसा कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि मुझे आवश्यकता होगी तो मैं उनको वैसा करने को कहूंगा ।

श्री भक्त दर्शन : अध्यक्ष महोदय, जब पब्लिक इन्ट्रेस्ट का सवाल आ गया है, तो पूरक प्रश्न पूछने की गुंजाइश कहां रह गई ?

अध्यक्ष महोदय : जब तक मुझे सप्लीमेंटरी क्वेस्चन का पता न हो, तब तक मैं कैसे कह सकता हूं कि उसकी गुंजाइश है या नहीं ।

श्री सुबोध हंसदा : फ्रांसीसी फर्म की सहायता से कितने हेलिकोप्टर बनाये जायेंगे, और क्या फालतू पुर्जे उनके अपने देश में फ्रांसीसी फर्म द्वारा बनाये जायेंगे या यहां पर ?

श्री कृष्ण मेनन : संख्या नहीं बताई जा सकती क्योंकि यह उपकरण का आकार बताना होगा । फालतू पुर्जों के निर्माण के बारे में बात यह है कि धीरे-धीरे सब कुछ इसी देश में बनाया जायेगा ।

श्री भागवत झा आजाद : इन फर्मों द्वारा हेलिकोप्टरों के निर्माण की संभावना है, क्या वे पहले से——

†श्री हेम बरुआ : मेरा एक औचित्य प्रश्न है कि यहां हेलिकोप्टर बनाने के लिये फ्रांसीसी फर्म के साथ एक करार हुआ है । क्या उनको मालूम है कि कितने हेलिकोप्टर बनाये जायेंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : उनको अवश्य पता होगा ।

†श्री हेम बरुआ : तब समस्त संसार हेलिकोप्टरों की संख्या और उनके मूल्य जानता है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : जब तक मैं यह निर्णय न करूं कि माननीय मंत्री वह विशेषाधिकार नहीं रख सकते, माननीय सदस्य को उसी बात को पीटते नहीं रहना चाहिये। यह वही बात है। संख्या बताना लोकहित की दृष्टि से उचित नहीं, जैसा उन्होंने कहा है। सूचना केवल माननीय मंत्री के पास है, उनको किस सीमा तक बताना चाहिये यह उनका काम है। मैं प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं उनको कितना वह बताना ठीक समझें बताने का विशेषाधिकार दूंगा, लोकहित की दृष्टि को विचारते हुए। किसी एक आध अवसर पर जहां मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि कोई चीज सभा से छिपाई जा रही है, और वह सूचना दी जानी चाहिए मैं अवश्यमेव दखल दूंगा। अन्यथा लोकहित का विशेषाधिकार या विकल्प मैं माननीय मंत्री को दूंगा।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरी बात का उत्तर नहीं दिया गया। मैं कह रहा था कि फ्रांसीसी सरकार हैलिकाप्टरों की संख्या बतला सकती है और हमें उसके बारे में जानकारी होने से पूर्व समूचे संसार को पता लग जाएगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : फ्रांसीसी फर्म जानती है कि करार की शर्तें क्या हैं, तो वह करार सभा पटल पर क्यों नहीं रख दिया जाता। **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह करार फ्रांसीसी सरकार और हमारे बीच में नहीं है?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी हां। एक ओर हमारी सरकार है। किन्तु शस्त्रास्त्र संबंधी इन सब करारों को यद्यपि फ्रांसीसी फर्म से आते हैं, उस सरकार का अनुमोदन प्राप्त होता है इस मामले में सरकारी तत्व है।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसे मामलों में, पहले भी माननीय सदस्यों को यह शिकायत थी कि ये शर्तें और ब्यौरे अन्य लोगों द्वारा अपने देश में बता दिये गये थे और सारे संसार को पता था किन्तु इस संसद् को पता नहीं था। कठिनाई यह है। हम दूसरी फर्म को बाध्य नहीं कर सकते यदि वह बता देती है। साधारणतया ऐसा होता है कि वे सावधिक पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों में छापे जाते हैं। तब उनकी शिकायत ठीक होती है कि संसद् को वह बात नहीं बताई गई।

†**श्री कृष्ण मेनन** : केवल इसी कारण कि अन्य पक्ष से उनके उत्तरदायित्व या कर्त्तव्य का पालन न होने की संभावना है, हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे, क्योंकि वे पत्रिकाओं में छापे जाते हैं, इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह सच होता है। कई बार इसका उल्लेख किया जाता है, किंतु जैसा कि दूसरी हर चीज में होता है, यह केवल अनुमान होता है। इस बात की संभावना नहीं कि इस मामले में फ्रांसीसी सरकार ने इसको प्रकाशित किया है, क्योंकि ऐसा करना उनके हित में नहीं है। दूसरे, ऐसा कोई अवसर नहीं आया जहां प्रतिरक्षा निर्माण के बारे में कोई संविदा सभी के सामने रखा गया हो।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : चर्चा करने की कोई बात नहीं है। मैं पुनः यही बात कहूंगा कि पहल ऐसा हो चुका है। यदि माननीय मंत्री को विश्वास है कि अन्य दूसरी पार्टी भी ऐसा नहीं करेगी, तो मैं माननीय मंत्री को यह विशेषाधिकार दे सकता हूं। यदि वे समझते हैं कि लोकहित की दृष्टि से कोई चीज बताई नहीं जानी चाहिये, तो मैं इस पर आग्रह नहीं करूंगा। किंतु यदि अन्ततोगत्वा समूची चीज का पता लगा और वह प्रकाशित कर दी गई तब, निश्चय ही आलोचना उचित होगी, अर्थात् केवल संसद् को अंधेरे में रखा गया और सारे संसार को इस का पता था। यदि यह

†मूल अंग्रेजी में

शर्त है कि वे इसे नहीं बतलाएंगे, तब में इस पर अनुरोध नहीं करूंगा। में निश्चय ही माननीय मंत्री को इसका फैसला करने का अधिकार दूंगा। किन्तु यदि इसके बारे में कोई शर्त नहीं है, और वे ऐसा कर देते हैं और इसे छाप देते हैं, तब निश्चय ही माननीय सदस्यों का पूछना ठीक है कि उनको भी पता होना चाहिये।

†**श्री कृष्ण मेनन** : इस समय करार में इस बात पर आग्रह है कि मात्रा के सम्बन्ध में यह प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये। यदि उनके द्वारा करार के भंग होने की संभावना है, तो निस्संदेह या प्रकाशित किया जाएगा या सभा के समक्ष रखा जाएगा जैसा आप करने को कहेंगे किया जाएगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उनके द्वारा इस के प्रकाशित किये जाने की संभावना है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : उन्होंने प्रकाशित न करने का करार किया है। उनके देश में भी ऐसा हो सकता है। जो आपने कहा है कि इस सभा में पत्रिका आदि का उल्लेख किया जाता है, मैं निवेदन करूंगा कि अधिकतर वे गलत होते हैं। यदि हमें उनको पुनः ठीक करना हो, वह सूचना देना होगा और लोग इसके बारे में बातें करेंगे। आया तथ्य दिखाये जा सकते हैं इस बड़े प्रश्न के बारे में मैं यथासमय बोलूंगा। (**अन्तर्बाधा**)

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। और प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं। हमें इसका और समय नष्ट नहीं करना चाहिये।

†**श्री त्यागी** : मैं परियोजना की जांच के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं पूछता। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि इस योजना पर कितनी पूंजी व्यय होने वाला है क्योंकि इसे अन्ततोगत्वा हमने मंजूर करना है और इस में कोई गुप्त रखने वाली बात नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : संभवतः इससे हेलिकाप्टरों की संख्या का अनुमान लग जाए।

†**श्री त्यागी** : मुझे खेद है कि ऐसी कोई योजना जिस पर पूंजी व्यय होती है, गुप्त नहीं हो सकती। मैं यह समझ सकता हूं कि ब्योरा गुप्त हो सकता है किंतु परियोजना नहीं। परियोजना पर कितना व्यय है हमें इसकी चिंता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें अपने सामने वाले विशिष्ट मामले को लेना चाहिये। जहां तक इस का सम्बन्ध है, एक प्रश्न का अभी उत्तर दिया गया है कि संख्या लोकहित की दृष्टि से नहीं बताई जा सकती कुल खर्च होने वाली राशि का हिसाब लगाया जा सकता है।

†**श्री त्यागी** : जी नहीं (**अन्तर्बाधा**)।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। यदि हमें पता हो कि एक हेलिकापटर पर कितना खर्च होता है तो यह संख्या निकाली जा सकती है।

†**श्री त्यागी** : यदि हम खरीदने जा रहे हैं . . .

†**श्री कृष्ण मेनन** : कोई पृथक् हेलिकाप्टर फैक्टरी स्थापित नहीं की जा रही। यह कहना गलत होगा कि व्यय कितना है क्योंकि हम इस का अन्य प्रकार से भी उपयोग करेंगे। किसी विशिष्ट समय के आंकड़े साधारण प्रक्रियाओं के अधीन बजट प्राक्कलनों में प्रकाशित होंगे। किंतु यह कहना

†मूल अंग्रेजी में

कि इस में इतनी पूंजी विवियोजित है ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस का निर्माण की सूची-क्रिया से सम्बन्ध है ।

†**श्री त्यागी** : यदि कोई प्राक्कलन नहीं किया जाता, तो मैं कहूंगा कि यह सर्वथा अनियमित है । यदि हम जानते हैं कि वे एक फैक्टरी में बनाये जायेंगे, हमें पता लगना चाहिये कि वे कितनी अधिक राशि खर्च करने जा रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब धन की आवश्यकता होगी सब कुछ सभा के सामने आएगा । अब तक कुछ खर्च नहीं किया गया ।

†**श्री त्यागी** : यह एक प्रथा कायम करना हुआ । क्या वह अतिरिक्त राशि का मोटा अनुमान नहीं बता सकते ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल में इससे अधिक नहीं पूछा जा सकता ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मेरा औचित्य प्रश्न यह है । यह प्रश्न कई बार सभा में उठ चुका है । दूसरी बार प्रतिरक्षा मंत्री ने लोकहित का प्रश्न उठाया है कि वह सभा में उठाये गये प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते । यह मंत्री के विशेषाधिकार का मामला है या सभा का, इसका भी निश्चय हो जाना चाहिये । यह सभा देश की सर्वप्रभुता सम्पन्न सभा है और इसे यह जानने की आवश्यकता है कि देश के लिये क्या हो रहा है और यह जानना चाहती है कि कितना व्यय किया जाएगा । इसे सभा से गुप्त रखना प्रतिरक्षा मंत्री का विशेषाधिकार नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये कि क्या प्रतिरक्षा मंत्री ऐसा विशेषाधिकार ले सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय**: विशेषाधिकार समिति को सौंपने का कोई सवाल नहीं । यह प्रश्न उठा है और उत्तर दिया जा चुका है । संभवतः माननीय सदस्य तब उपस्थित नहीं थे । मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं । वह कृपया वाद-विवाद देख लें ।

दुर्गापुर कारखाने के विस्तार के लिये ब्रिटिश ऋण

+

†*२१९. { **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री बसुमतारी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार के लिये ब्रिटिश सरकार ने दो करोड़ पौंड तक का ऋण देने का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं ; और उस रकम के किस प्रकार काम में लाये जाने की सम्भावना है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: (क) और (ख). इंगलैंड की सरकार ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में १० लाख टन से १६ लाख टन तक का विस्तार के लिये अपेक्षित

†मूल अंग्रेजी में

संयंत्र और उपकरण खरीदने के लिये २२० लाख पौण्ड का ऋण देना स्वीकार किया है। इस संबंध में २३ मई १९६२ को इंगलैंड की सरकार के साथ एक करार किया गया था। राशि ३६ अर्ध-वार्षिक किश्तों में लौटाई जाएगी जिसकी पहली किश्त ३१ मई १९६६ को दी जानी है। ऋण पर ब्याज दर पर वह होगी जो इस समय इंगलिस्तान के राजकोष द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रौमिजरी नोट जारी करने की तिथि को लागू होगी, इंगलिस्तान की संचित विधि से तत्सामान अवधि के लिये तथा प्रतिवर्ष एक प्रतिशत का चौथाई भाग और होगा। ब्याज अर्ध-वार्षिक आधार पर दिया जाएगा। राशि का उपभोग इंगलिस्तान से संयंत्र और उपकरण खरीदने के लिये किया जाएगा।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या ब्रिटेन से कोई सहयोगी इस नवीन विस्तार के बारे में मंत्रणा देगा और क्या उन्होंने दुर्गापुर संयंत्र की पुरानी त्रुटियों को ठीक किया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : दुर्गापुर संयंत्र बन चुका है। कठिनाइयाँ इस्पात पिघलाने के संयंत्र के काम के बारे में है। अब उनको भी ठीक किया जा रहा है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : इस नवीन विस्तार के लिये सलाहकार कौन होंगे ? क्या ये वही लोग होंगे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह भिन्न फर्म होगी।

†**श्री बसुमतारी** : क्या वर्तमान दुर्गापुर संयंत्र ने अपना मूल लक्ष्य पूरा कर लिया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : अभी नहीं।

अध्यापिकाओं की कमी

+

†*२२०. { **बसुमतारी** :
बिशनचन्द्र सेठ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संपूर्ण देश में, खास कर गांवों में, अध्यापिकाओं की कमी है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह कमी दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि महिलायें अध्यापन के व्यवसाय को अपनायें, इस के लिये राज्य सरकारों ने उन के लिये किसी प्रोत्साहन का सुझाव दिया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि ७ जून, १९६२ को सभी शिक्षा संबंधी राज्य-परिषदों के अध्यक्षों और सचिवों के दो दिन के सम्मेलन में उपर्युक्त सुझाव पर चर्चा की गयी थी ;

(ङ) यदि हाँ, तो उस बारे में क्या निश्चय किया गया ; और

(च) वे निश्चय कहाँ तक क्रियान्वित किये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्)** : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है जो सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) जी हाँ।

(ख) राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की सिफारिशों पर भारत सरकार ने महिला अध्यापकों की संख्या बढ़ाने और उनको प्रशिक्षण प्राप्त करने में महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिये निम्न योजनायें स्वीकृती और कार्यान्विति के लिये राज्य सरकारों को भेजी हैं :—

(१) नवीन प्रशिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं खोलना

(२) लड़कियों के सैकंडरी स्कूलों के साथ महिला अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण अनुभाग जोड़ना।

(३) सहशिक्षावाली प्रशिक्षण संस्थाओं में महिलाओं के लिये स्थानों का आरक्षण।

(४) ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को प्रशिक्षण पानेके लिये वित्तीय सहायता देना।

(५) माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षण पाने वालों का पूर्व-चुनाव।

(६) लड़कियों के लिये मिडिल स्कूलों और माध्यमिक शिक्षा का विकास।

(७) अध्यापकों की प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण पाने वालों को छात्रवृत्तियाँ।

(८) ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली अध्यापिकाओं के लिये क्वार्टरों का निर्माण।

(९) लड़कियों की औसतन अनुपस्थिति के आधार पर अध्यापिकाओं को उपस्थिति भत्ता।

(१०) पिछड़े या ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली अध्यापिकाओं के लिये ग्राम भत्ता।

(११) अधिक अध्यापिकाओं को प्राप्त करने के लिये वयस्क महिलाओं के लिये संगठित शैक्षिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था।

(ग) और (घ). जी हाँ।

(ङ) और (च). महिला शिक्षा की राज्य परिषदों के सभापतियों और सचिवों की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

†**श्री बसुमतारी** : मैं ने विवरण पढ़ा है। क्या इन अध्यापिकाओं को आदिम जाति क्षेत्रों में कोई विशेषाधिकार दिया जाता है और यदि हाँ तो क्या आदिमजाति क्षेत्रों में पढ़ाने के लिये महिलाओं को प्रोत्साहन के लिये कोई अतिरिक्त आवंटन किया गया है ?

†**श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन्** : प्रत्येक राज्य सरकार कुछ प्रोत्साहन देती है। इसके अलावा, विशेषकर आदिजातियों और पिछड़े क्षेत्रों में अध्यापिकाओं को प्राप्त करने में कठिनाई मकानों की है।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : जो स्टेटमेंट टेबल पर रखा गया है उस में यह नहीं बताया गया है कि आपको किस प्रान्त में कितनी संख्या में विमिन टीचर्ज़ की आवश्यकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : आवश्यकता कितनी है ?

†**श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन्** : मेरे पास अध्यापिकाओं की संख्या नहीं है। मेरे पास अध्यापकों की तुलना में अध्यापिकाओं की प्रतिशतता है।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जयपाल सिंह : उत्तर में हमें बताया गया था कि प्रत्येक राज्य सरकार ग्रामीण और आदिम जाति क्षेत्रों में अध्यापिकाओं को आकर्षित करने के लिये प्रोत्साहन दे रही है। आसाम और विहार राज्यों में क्या प्रोत्साहन किया गया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : योजना में बहुत से प्रोत्साहन शामिल हैं। और उन के लिये राज्य सरकारों को विशेष अनुदान दिये गये हैं। वे हैं :—अध्यापिकाओं के लिये क्वाटरों की व्यवस्था; वयस्क महिलाओं के लिये संगठित पाठ्यक्रम, अध्यापिकाओं को छात्रवृत्तियाँ, अध्यापिकाओं के लिये ग्राम भत्ते, लगातार श्रेणियाँ आदि। इरादा है कि अधिक संख्याओं में महिलाओं को अध्यापन व्यवसाय में आकर्षित किया जाए। राज्य सरकारों को सब प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं और इस काम के लिये विशेष आवंटन किये जाते हैं। आदिम जाति स्त्रियों के लिये इस समय में कोई विशेष आवंटन नहीं है, किन्तु मुझे विश्वास है कि ये आदिमजाति अध्यापिकाओं के लिये भी लागु होंगी ?

जलपोतों के डीजल इंजनों का निर्माण

†*२२१. { **श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलपोतों के डीजल इंजन तैयार करने की परियोजना कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस के मुख्य सुझाव और विचार क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उस के विचारों को कहाँ तक स्वीकार किया है और अस्वीकार किया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चावन)**: (क) संबंधित मंत्रालयों ने जलपोतों के डीजल इंजन का एक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर विभागीय तौर पर चर्चा की थी और यह निश्चय किया गया कि इस परियोजना को कार्यान्वित करने का काम प्रतिरक्षा मंत्रालय को दे दिया जाये। अब प्रतिरक्षा उत्पादन संगठन इंजन तैयार करने का काम आगे बढ़ा रहा है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय क तकनीकी विशेषज्ञ इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। अब औपचारिक तकनीकी समिति की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो कमेटी आप ने बनाई है उसमें कौन कौन से सज्जन हैं और कब तक आप इस कार्य को पूरा कर सकेंगे ?

†**श्री रघुनाथ सिंह** : कोई समिति नहीं है। प्रतिरक्षा मंत्रालय के हमारे अपने विशेषज्ञ हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विशनचन्द्र सेठ : आप हिन्दी बोल सकते हैं तो हिन्दी में बोलें।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय नहीं होगा कि शिक्षा के विषय में केवल इंगलिश में यहां बोला जाता है। और आप हम कहते हैं (**अन्तर्बाधा**)। यह क्या बात है ?

†**श्रीमती विमला देवी** : हिन्दी में बोलने से पहले उन्हें अंग्रेजी सीखने के लिए कहिये।

†**श्री रघुरामैया** : मैं यह कह रहा था कि कोई औपचारिक समिति नहीं है। हमारे अपने मंत्रालय में तकनीकी विशेषज्ञ हैं जो अब इस मामले की छानबीन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कोई बाकायदा कमेटी ऐसे एक्स्पर्ट्स की नहीं बनाई गई। जो महकमे में उन के अफसर हैं वे इसे देख रहे हैं।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पत्र हमें मिला है उस के अनुसार यह शिक्षा का विषय स्टील और हेवी इंडस्ट्रीज के अन्दर है। या फिर हिन्दी में खास तौर से बिगाड़ कर हमें दिया जाता है ? (**अन्तर्बाधा**)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

धमन भट्टी के धातुमल से सीमेन्ट का निर्माण

†*२२२. { **श्री ब० कु० दास** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) इस्पात कारखानों की धमन भट्ठियों के धातुमल (ब्लास्ट फरनेस स्लग) से सीमेंट के उत्पादन के लिये कहाँ तक प्रयोग किया गया है ; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये 'स्लग' की सम्पूर्ण मात्रा का उपयोग करने के लिए कोई योजना आरम्भ की गयी है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). धमन भट्टियों के धातुमल को सीमेंट के उत्पादन के लिए अभी तक काम में नहीं लाया गया है लेकिन ऐसा करने की योजनाओं पर विचार हो रहा है ।

†**श्री ब० कु० दास** : इस बात को देखते हुए कि सीमेन्ट तैयार करने के लिये मुख्यत: आवश्यक चुना पत्थर की सप्लाई कम है, दूसरी किन चीजों के बारे में इस संबंध में विचार किया जा रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जिस हद तक धमन भट्टियों के धातुमल का उपयोग किया जाता है, वहाँ तक चूना पत्थर का उपयोग नहीं किया जा जायगा। इसीलिये हम यथासंभव धातुमल का उपयोग करने जा रहे हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार ने यह अंतिम रूप से विचार कर लिया है कि सीमेन्ट का कारखाना स्थापित किया जायगा और उस में इस चीज का इस्तेमाल किया जायगा ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जी हां ।

†श्री सुबोध हंसदा : माननीय मंत्री जी ने बताया कि धातुमल से सीमेन्ट तैयार करने की योजना पर सरकार विचार कर रही है । क्या इस संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है कि धातुमल के प्रयोग से कितनी प्रतिशत सीमेन्ट तैयार की जा सकती है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हों कि सीमेन्ट तैयार करने में इसका कितना प्रतिशत उपयोग किया जा सकता है तो मैं यह कहूंगा कि ५० प्रतिशत धातुमल और ५० प्रतिशत साधारण सीमेन्ट मिलाया जा सकेगा ।

बर्मा शेल और एस्सो तेल शोधक कारखाने

†*२२३. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यलमंदा रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्रभात कार :
श्री वाजी :
श्री र० ना० रेड्डी :
श्री राम रतन गुप्त : }

क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १ जुलाई, १९६२ से बर्मा शेल और एस्सो तेल शोधक कारखानों की अपनी अधिकतम क्षमता तक काम करने के लिये, खास मामले के तौर पर, अनुमति देना मंजूर कर लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह रियायत एक खास मियाद के लिये ही दी गई है जिसके पूरे हो जाने पर सरकार चाहे तो उस में परिवर्तन कर सकती है ;

(ग) यदि हां, तो वह कितनी मियाद के लिये है; और

(घ) देश में कुल उत्पादन के मुकाबले में बर्मा शेल और एस्सो तेल शोधक कारखानों के उत्पादन का अनुपात कितना है ?

†खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) १–७–६२ से तीन महिने के लिये ।

(घ) करीब ७.२ प्रतिशत ।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इन शोधक कारखानों को पूरी पूरी क्षमता तक काम करने में क्या कठिनाइयां थीं और किन कारणों से सरकार ने यह रियायत देना मंजूर किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : समय समय पर इन शोधक कारखानों के लिये मंजूर की गई विस्तार क्षमता का कारण यह है कि वे अपनी कार्यक्षमता संचालन कार्य कुशलता बढ़ा सकते हैं और हम इस बात के लिये चिन्तित हैं कि उन्हें थोड़ा और अशोधित तेल दे कर जो आयात किये हुये पेट्रोलियम पदार्थ से हमेशा कम होता है, यथासंभव अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा बचायें।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : उत्पादन में वृद्धि कितनी होगी या यदि कोई गुप्त संसाधन हों तो उनसे कितना प्राप्त होगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : बर्मा शेल की क्षमता १९५५ में २० लाख टन से बढ़कर १९६१ में ३५ लाख टन हो गई है। एस्सो ने, जो पहले स्टैण्डर्ड वैक्यूअम था, १२ लाख टन से आरंभ किया था और अब उसने २४ लाख टन तक अपनी क्षमता बढ़ा ली है।

†**श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या इन शोधक कारखानों ने भारत सरकार की अनुमति के बिना ही अपना विस्तार आरंभ कर दिया था और बाद में समर्थन प्राप्त कर लिया ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : सामान्यतया नहीं। लेकिन कभी कभी कार्यसंचालन कार्य कुशलता के कारण प्रासंगिक वृद्धि मान ली गई थी और बाद में उसके लिये मंजूरी दे दी गई।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार को यह पता है कि विदेशी कम्पनियां अपने प्रोडक्शन को कम कर के दिखलाती रही हैं ? और जब हमारी रिफाइनरीज काम कर रही हैं तो क्या जरूरत महसूस हुई कि उनको एक्सटेंशन दे दिया गया और उनको प्रोडक्शन को ज्यादा बढाने का हुक्म दे दिया गया ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : उन की रिफाइनरी तो लगी हुई हैं और उन के अन्दर यह शक्ति थी कि वह ज्यादा क्रूड आयल का शोधन कर सकें। हमारी रिफाइनरी अभी लग रही है। जब वह लग जायेगी तो हमारी कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा तेल का शोधन हम अपनी रिफाइनरी में करें। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर में रिफाइनरीज लगी हुई हैं तो यह मुनासिब होगा कि वे ज्यादा से ज्यादा तेल शोधन कर सकें।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि ये दोनों शोधक कारखाने जिस अधिक क्षमता का अब उपयोग करना चाहते हैं वह उस समय भी थी जिस समय कि ये कारखानें बनाये गये थे और इस छिपी हुई क्षमता का सरकार को पता नहीं था। यदि हां, तो क्या सरकार उनकी क्षमता पर कोई देखरेख नहीं रखती ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : समय समय पर सरकार को इन शोधक कारखानों से जानकारी मिलती रहती है कि वे क्या क्या संस्थापन बढ़ा रहे हैं या कौन कौन सा अतिरिक्त साजसामान ला रहे हैं। साधारणतया, सरकार की इजाजत के बगैर पूंजीगत बस्तुयें नहीं लायी जा सकतीं लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि कार्यसंचालन कार्य कुशलता के कारण वर्तमान क्षमता के अधीन ही अधिक अशोधित तेल साफ किया जा सकता है। इसीलिये वह बढ़ती जा रही है।

†**श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या आपने उसके लिये अनुमति दी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : स्थापना के लिये पूंजीगत वस्तुयें आयात करने के लिये वे समय समय पर अनुमति भी प्राप्त करते रहे।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में विस्फोट

†*२२५. { श्री विभूति मिश्र :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री मोहन स्वरूप : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बमों और पटाखों के विस्फोट के पीछे किसका हाथ है क्या वह पता लगाया जा सका है; और

(ख) यदि पिछले दो महीनों में कोई गिरफ्तारियां की गई हों तो कितनी की गयी हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य- मंत्री (श्री दातार) :(क) जी नहीं। अभी मामले की विस्तृत जांच पड़ताल हो रही है।

(ख) २५ जून, १९६२ को चांदनी चौक में जो विस्फोट हुआ था उस सम्बन्ध में दो आदमियों को गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हें सजा दी जा चुकी है। २२ जुलाई को दिल्ली में किंग्जवे कैम्प में एक मकान से चार आदमियों को गिरफ्तार किया गया था। इनके पास कुछ पटाखे जिनमें निषिद्ध विस्फोटक थे, और कुछ अवैध हथियार पाये गये। इस मामले की जांच पड़ताल हो रही है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की सी० आई० डी० इस योग्य नहीं है कि वह इस बात का पता लगाये कि बम और क्रेकर्स जो छूटते हैं वे कैसे छूटते हैं और उनके छूटने का स्थान कौन सा है ? और क्या हमारी सरकार किसी मित्र देश की इंटेलिजेंस से मदद ले कर इस बात का पता लगायेगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : पहले तो अपने ही देश के अन्दर पता लगाना है, और बाहर की बात अभी इतनी उठती नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि अभी हाल में जो जांच हुई है और उस में जो चार पांच आदमी गिरफ्तार हुए हैं उन से कुछ आशा लगी है कि इस का पता लगेगा क्योंकि वे ऐसे लोग पकड़े गये हैं जो इस तरह की चीजों को बनाते रहे हैं। लेकिन अभी मैं इस बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि इस की जांच हो रही है।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ने पता लगाया है कि ये जो क्रेकर और बम फटते हैं इनमें हमारे देश के लोगों का ही हाथ है या विदेशी आदमियों का भी हाथ है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अभी तो देश के लोगों पर ही ध्यान दिया जा रहा है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पीछे गृह-मंत्री जी ने एक बार संसद् में वक्तव्य देते हुये कहा था कि दिल्ली की पुलिस उनके पता चलाने में असमर्थ रही है, इसलिये हम बाहर के प्रदेशों ी

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ पुलिस बुला रहे हैं इस काम के लिये । तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बाहर की कुछ पुलिस यहां बुलाई गई है, और यदि हां, तो उसकी संख्या कितनी है और उस पर कितना व्यय होगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : संख्या ज्यादा नहीं है । पुलिस कांस्टेबिल बुलाने की बात नहीं है, कुछ अफसरों को बुलाने की बात है । हम ने एक को बुलाया है, एक और आने वाले हैं । यह एस० पी० या डी० एस० पी० हैं , इससे ज्यादा नहीं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : सरकार के सामने क्या कठिनाई है कि इतने महिनों के बाद भी वह इन विस्फोटों के सम्बन्ध में कोई पता नहीं लगा सकी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं कई बार इस सवाल का जबाब दे चुका हूं । मैं सभा में यह भी बता चुका हूं कि अनेक घटनाओं के सम्बन्ध में काफी लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं और उनमें से कई को सजा दी जा चुकी है । फिर भी ये विस्फोट जारी हैं । हमें और आगे कार्रवाई करनी होगी ।

श्री रामेश्वरानन्द : जो काम किसी को सौंपा जाता है और वह उसे नहीं कर पाता तो उसे असफल समझा जाता है । यह सरकार स्वयं राजधानी दिल्ली में बैठी है और यहां इतने बम फटते हैं और उनका यह पता नहीं लगा पाती तो क्या मैं यह समझ लूं कि यह सरकार असफल है ?

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ समझना चाहें समझ लें ।

श्री रा० शि० पाण्डेय : ये क्रेकर और बम करीब करीब हर साल एक्सप्लोड होते हैं । क्या सरकार ने इसको रोकने के लिये पुलिस के अलावा इस बात पर भी विचार किया है कि लोक-नागरिकों की एक समिति बनायी जाए ताकि वह शान्ति स्थापना में मदद कर सके और क्रेकर और बम एक्सप्लोड न हों ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह कोई शान्ति स्थापना की बात नहीं है । ये क्रेकर तो यकायक फटते हैं और कई अलग अलग जगहों में फटते हैं । सवाल यह है कि इन लोगों की पकड़ धकड़ की जाए । इसमें साधारण लोग हमारी मदद कर सकते हैं । और अभी एक सूचना भी मिली और उसका हमने फायदा उठाया है । लेकिन समिति बनाने से कोई लाभ नहीं है ।

राष्ट्रीय एकता दिवस

†*२२७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद् में २५ मार्च को, जिस दिन स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर में साम्प्रदायिक एकता के लिये अपने प्राणों की आहुति दी थी, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने के सुझाव पर विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). यह सुझाव राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय एकता तथा साम्प्रदायिकता समिति के सामने शीघ्र ही रखा जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : २५ मार्च, को शहीद दिवश मनाया जाय यह सुझाव रखने से पहले क्या सरकार ने इस विषय पर विचार किया है और यदि हां, तो उसकी राय क्या है ?

†**श्री दातार** : वास्तव में माननीय सदस्य ने इस विया पर एक सकल्प प्रस्तुत किमा था और उस समय मैंने आश्वासन दिया था कि सभी पहलुओं से इस प्रश्न पर विचार किया जायगा। पहले यह समिति इसकी छानबीन करेगी और तब बाद में वह राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के सामने आयेगा।

रूरकेला की धमन भट्टी

†*२२८. { **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन : }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने की पहली धमन भट्टी की पूर्णरूपेण मरम्मत कर दी गयी है और वह चालू हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) क्या रूरकेला में उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है और क्या तीनों धमन भट्टियां चल रही हैं ; और

(घ) जुलाई, १९६२ के महीने में कितना उत्पादन हुआ और वर्ष भर के लिये निर्धारित लक्ष्य की तुलना में यह कितना है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख) : पहली धमन भट्टी की पूरी तरह से मरम्मत हो गयी है और वह शीघ्र ही चालू होने वाली है ।

(ग) पिछले कई महीनों में उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। फिल हाल सिर्फ दो धमन भट्टियां काम कर रही हैं।

(घ) जुलाई, १९६२ में हाट मेटल का वास्तविक उत्पादन ५१,७२७ टन था जो दोनों धमन भट्टियों की निर्धारित क्षमता का ८३ प्रतिशत था। १९६२-६३ के वित्त वर्ष के लिए हाट मेटल के उत्पादन का लक्ष्य ७१५,००० टन है।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : यह धमन भट्टी कब बन्द पड़ गयी थी, उसकी मरम्मत में कितने महीने लगें और उसे चालू करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, उसकी मरम्मत हो चुकी है। आशा है कि हम उसे इस महीने में चालू कर देंगे ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या यह सच है कि तीसरी धमन भट्टी में कुछ खराबी पैदा हो गयी है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : कुछ थोड़ी सी खराबी थी, तुरन्त ही उसकी मरम्मत कर दी गयी है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि इस धमन भट्टी के न चलने से कितना नुकसान हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : दो धमन भट्टियां चालू रही हैं और इसलिये नुकसान का हिसाब लगाना संभव नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि जर्मन विशेषज्ञ श्री सोल्वीन ने हिन्दुस्तान स्टील कंपनी की तकनीकी समर्थता के विषय में संदेह प्रकट किया है और माननीय मंत्री ने भी अधिकार के प्रत्यायोजन के बारे में कहा है। उसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने तकनीकी समर्थता बनाये रखने के लिए कार्यवाही की है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैं आज ही सोल्वीन शिष्टमंडल की रिपोर्ट सभा पटल पर रखूंगा। वह रिपोर्ट पढ़ने के बाद माननीय सदस्य वह प्रश्न अधिक अच्छी तरह से पूछ सकेंगे ।

†**श्री मोरारका** : खराबी केवल रूरकेला की धमन भट्टियों में ही क्यों हो रही है जब कि दुर्गापुर या भिलाई के संबंध में ऐसी कोई कठिनाई नहीं हो रही है ? क्या इस धमन भट्टी के निर्माण में ही कोई बुनियादी खराबी है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : इसलिए माननीय सदस्य से मेरी प्रार्थना है कि वे तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि सोल्वीन शिष्टमंडल की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी नहीं जाती।

†**श्री श्यामलाल सराफ** : क्या भविष्य में इस धमन भट्टी के ठीक चलने की अब गारंटी दी जाती है ताकि आगे ऐसी कोई गड़बड़ी न हो ?

†**अध्यक्ष महोदय** : भविष्य में इस के लिए कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है । वह सदा ही अनिश्चित होता है । अगला प्रश्न ।

सीमेण्ट का लक्ष्य

†*२२९. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री ब० कु० दास :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेन्ट का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं ; और

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में सीमेन्ट की कमी के बारे में स्थिति में कोई सुधार हुआ है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ?

(ख) सीमेन्ट की सप्लाई की स्थिति अब भी कठिन ही है ।

विवरण

सीमेन्ट उद्योगों की वर्तमान संस्थापित क्षमता ९६.२९ लाख टन प्रति वर्ष है। सालाना ७२.७३ लाख टन की कुल क्षमता की नयी योजनाओं के लिए या तो लाइसेंस दिया जा चुका है या वे मंजूर की

†मूल अंग्रेजी में

चुकी है। स्वीकृत अतिरिक्त क्षमता में से १२.७० लाख टन की क्षमता विदेशों से मंगाये जाने वाले संयंत्र और मशीनों के आधार पर कायम की जानी है और वह आयात लाइसेंसों से पूरी की जायगी। ३७.४५ लाख टन की क्षमता अत्यावश्यक पुर्जे कम से कम मात्रा में आयात कर देश में ही तैयार की जाने वाली मशीनों के आधार पर संभवत: स्थापित की जायगी। इस में से २०.६७ लाख टन की क्षमता पुर्जों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा के नियतन से पूरी की जायगी।

सभी लाइसेंसशुदा/स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की बराबर समीक्षा होती रहती है और कच्चा माल, संयंत्र और उपकरण, बिजली, ईंधन आदि प्राप्त करने के मामले में लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों को प्रत्येक संभव सहायता दी जाती है। जब कभी यह महसूस होता है कि लाइसेंसशुदा / स्वीकृत योजना संभवत: पूरी नहीं होगी तब लाइसेंस रद्द करने के लिए कार्यवाही की जाती है और उसकी जगह दूसरे को लाइसेंस दिया जाता है।

लोहा और इस्पात उद्योग का उपोत्पाद, धातुमल, का उपयोग कर धमन भट्टी धातुमल से सीमेन्ट तैयार करने के लिए भी शीघ्र ही संयंत्र स्थापित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

कारखानों को कोयला पहुंचाने के विषय पर निरंतर ध्यान रखकर, उपयुक्त मामलों में कोयले की जगह तेल का इस्तेमाल कर और सीमेन्ट भेजने के लिए माल डिब्बों की सप्लाई की व्यवस्था कर के अधिक से अधिक संस्थापित क्षमता निर्माण करने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : विवरण से यह दिखायी पड़ता है कि अब सीमेन्ट उद्योग की संस्थापित क्षमता लगभग ९६ लाख टन प्रतिवर्ष है। इस समय सीमेन्ट का वर्तमान उत्पादन इस से कितना कम है?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : उत्पादन ८२.८ लाख टन है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : विवरण से यह भी दिखायी पड़ता है कि ७२.७३ लाख टन की कुल क्षमता की नयी योजनाओं के लिए अब तक क्या लाइसेंस दिये जा चुके हैं या मंजूरी दी जा चुकी है। क्या माननीय मंत्री हमें बता सकते हैं कि उत्पादन का क्या कार्यक्रम है और ये नयी योजनाएं कब तक कार्यान्वित होंगी?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : आशा है कि उत्पादन १९६२-६३ में ८८.२ लाख टन, १९६३-६४ में ९३ लाख टन, १९६४–६५ में १०९ लाख टन और १९६५–६६ में १२१.३ लाख टन तक पहुंच जायगा।

स्कूटर बनाने के कारखाने

†२३०. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय स्कूटर बनाने के कितने कारखाने देश में चालू हैं?

(ख) इन कारखानों में स्कूटरों के अब कितने प्रतिशत पुर्जे देश में तैयार किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या इन कारखानों ने सरकार से कोई वित्तीय ऋण का अनुदान लिया है और यदि हां, तो किन शर्तों पर?

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) और (ख). इस समय देश में स्कूटर बनाने वाली फर्मों के नाम और उन के द्वारा तैयार किये जाने वाले स्कूटरों में देशोय पुर्जो का अंश प्रतिशत निम्नलिखित है :—

कारखाने का नाम	देशीय पुर्जों के अंश का प्रतिशत
१. मैसर्स आटोमोबाइल प्राडक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई .	६८.८५ प्रतिशत
२. मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड, बम्बई . . .	५०.०० प्रतिशत
३. मैसर्स एनफील्ड इंडिया लिमिटेड, मद्रास . . .	७७.०० प्रतिशत

(ग) सरकार ने इन फर्मों को कोई ऋण या अनुदान नहीं दिया है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : आरम्भ में जो स्कूटर विदेशों से मंगाये गये थे, उनका दाम १७५० रु० फी स्कूटर था लेकिन अब वह लगभग २८०० रु० या २६०० रु० हो गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि दाम में इतने अधिक अन्तर का क्या कारण है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण ऐसा हुआ है ?

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : आयात किये गये स्कूटर सस्ते दाम पर बिक रहे थे। अब जबकि ये देश में ही तैयार किये जा रहे हैं तब दाम किस तरह बढ़ गये हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : कभी कभी देशी चीजों के दाम ज्यादा होते हैं।

मशीनी औजार कार्यक्रम

†*२३१. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० के० देव :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री प० कुन्हन :
श्री राम रतन गुप्त :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री हेम बरुआ :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय योजना में मशीनी औजार कार्यक्रम की क्रियान्विति में शीघ्रता करने के लिये हाल ही में कोई नये कदम उठाये गये हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

देश के औद्योगीकरण की योजना में मशीनी औजार उद्योग को ऊंची प्राथमिकता दी गयी है ।

हिन्दुस्तान मशीन टुल लिमिटेड, बंगलौर, वर्तमान उत्पादन को दूगना करने के बजाय , पंजाब में एक तीसरा एकक स्थापित कर रहा है और एक और एकक स्थापित करने के लिये प्राथमिक सर्वेक्षण कर रहा है। हैदराबाद में प्रागा टुल्स कारपोरेशन मशीनी औजार का अपना उत्पादन बढ़ाने की योजना भी बना रहा है। रांची में भारी मशीनी औजार परियोजना भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कायम की जा रही है ।

मशीनी औजार उद्योग फ्री लाइसेन्सिंग सूची में है । कच्चा माल और पूंजीगत माल संबंधी उसकी आवश्यकताओं को ऊंची प्राथमिकता दी गयी है । इस उद्योग को सरकारी संस्थाओं की ओर से वित्तीय सहायता भी दी जाती है । अच्छी किस्म के उत्पादन के लिए विदेशी सहयोग के लिए अनुमति दी जाती है । अनुसन्धान और डिज़ाइन की सुविधाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक सेण्ट्रल मशीन टुल्स इंस्टिट्यूट कायम किया जा चुका है । विभिन्न सहायता योजनाओं के अधीन प्राप्त विशेषज्ञ सामान्य दरों पर उद्योग के लिए उपलब्ध हैं ।

इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप , गैरसरकारी उद्योग के संगठित क्षेत्र में मशीनी औजारों का उत्पादन १९५६ में १२०.१ लाख से बढ़कर १९६१ में ७८०.१ लाख हो गया है ।

†**श्री प्र० के० देव** : विवरण से हमें यह दिखायी पड़ता है कि यद्यपि सरकारी क्षेत्र में मशीनी औजारों के अधिक उत्पादन के लिए हर कोशिश की गयी है। फिर भी गर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन अधिक नहीं बढ़ा है। इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : कठिनाई सहयोग प्राप्त करने में है लेकिन आशा है कि तीसरी योजना की अवधि के अंत तक हम गैरसरकारी क्षेत्र में भी १५ करोड़ रुपये का माल तैयार कर सकेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के डायरेक्टर को इस देश में मशीनी औजार तैयार करने की संभावना के बारे में अमरीकी फर्मों को बताने के लिए अमरीका भेजा गया था ? यदि हाँ, तो क्या विदेशी पूंजी मंगाने और गैरसरकारी क्षेत्र को इस संबंध में भी बढ़ने की अनुमति देने का सरकार का विचार है ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह तो गैरसरकारी क्षेत्र का काम है कि वह सहयोगी ढूंढे और सहयोग की शर्तें तय कर ले। इसलिए गर सरकारी क्षेत्र के साथ सहयोग के लिये सरकार द्वारा किसी को बुलाये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान संघ के बारे में प्रेसिडेन्ट अयूब का वक्तव्य

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या २. श्री च० का० भट्टाचार्य :** : क्या **प्रधान मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ६अगस्त, १९६२ के कराची में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खाँ के इस भाषण की ओर दिलाया गया है कि भारत और रूस पाकिस्तान , अफगानिस्तान और ईरान पर कब्जा जमाना चाहते हैं जब तक कि वे एक इस्लामी राज्य में सम्मिलित न हो जायें ; और

(ख) इस से उत्पन्न होने वाली गलतफहमी दूर करने और ऐसे प्रचार का विरोध करने और भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री और अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हाँ । यह जाहिर है कि प्रेसिडेन्ट अयूब खाँ को तो बहुत गहरी गलत फहमी है । यह कई बार कहा जा चुका है कि भारत पाकिस्तान के साथ मित्रतापूर्वक रहना चाहता है । इस तथ्य के कारण कि दोनों देशों के बीच कुछ राजनतिक तथा अन्य विवाद हैं, भारत के मूल उद्देश्य में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता ।

(ख) ऐसी गलत फहमी दूर करने का एक मात्र उपाय यह है कि सच्ची बात कही जाये जो प्रेसिडेंट अयूब खाँ की शंकाओं से बिल्कुल भिन्न है ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या सरकार ने अफगानिस्तान और ईरान के साथ सम्पर्क स्थापित किया है और प्रसिडेन्ट अयूब खाँ के भाषणों से उत्पन्न भारत के विरूद्ध किसी गलत धारणा को दूर किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे निश्चित रूप से मालूम नहीं है । सामान्य रूप से, हमारे राजनयिक प्रतिनिधि इन समस्याओं को निपटाते हैं । लेकिन उन्होंने इसका विशेषरूप से उल्लेख किया है या नहीं यह मैं नहीं जानता ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या बाहरी राज्यों के साथ पाकिस्तान को मिला देने के संबंध में प्रेसिडेन्ट अयुब खाँ के प्रस्ताव से उस करार का उल्लंघन नहीं हो जाता जिस से कि पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ऐसा नहीं समझता ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का पाकिस्तान को यह साफ साफ बता देने का विचार है कि उस के आरोप बिल्कुल सफेद झूठ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जो भी हो । माननीय सदस्य जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वैसी भाषा का प्रयोग हम नहीं करते हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित उन समाचारों की ओर गया है जिन में पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अय्यूब ने भारत के प्रधान मंत्री की शान में ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया है और यहां तक कहा है कि मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं

---

†मूल अंग्रेजी में

जब कि कोई विश्वासपात्र आदमी इस पद पर बैठेगा ? यदि हां, तो सरकार की ओर से क्या उसका कोई विरोध किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो अलहदा बात है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि अभी हाल में ईरान सरकार की ओर से ईरान के शाह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का एक संघ बनाने का प्रस्ताव रख रहे हैं ? प्रेसिडेन्ट अयूब खां के दोषारोपों की पार्श्वभूमि में क्या सरकार ने यह जानने के लिए कोई पूछताछ की है कि कम से कम इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अफगानिस्तान सरकार की क्या राय है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक हमारी जानकारी है, ऐसे प्रस्ताव में कोई सार नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

†*२२४. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् ने इस तरह का कोई नियम बनाया है कि भंडार (स्टोर्स) और खरीद का काम अलग अलग अफसर सम्भालें;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय धातुकार्मिक प्रयोगशाला में भंडार पदाधिकारी (स्टोर्स आफ़िसर) की जगह खाली पड़ी रहती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि खरीद पदाधिकारी (परचेज आफ़िसर) यह विभाग भी सम्भालता है; और

(घ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां । परन्तु इस पद पर भर्ती के लिये विज्ञापन दिया जा रहा है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) स्टोर्स आफ़िसर के पद के लिये एक उपयुक्त व्यक्ति भर्ती करने के लिये कार्यवाही की गयी है । जब तक यह पद नहीं भरा जाता, पर्चेज आफ़िसर स्टोर्स और खरीद दोनों कार्य संभालेगा ।

राष्ट्रमंडलीय सेना प्रमुखों का सम्मेलन

†*२२६. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन में चीफ़ आफ दी इम्पीरियल जनरल स्टाफ द्वारा आयोजित किये जाने वाले वार्षिक सम्मेलन में इस वर्ष सेना प्रमुख (सर्विस चीफ्स) भाग नहीं ले रहे हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या वे पिछले सोलह वर्षों से इस सम्मेलन में नियमित रूप से भाग लेते रहे हैं;

(ग) इस वर्ष इस सामान्य प्रथा के विपरीत कार्य करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने हमेशा के लिए इस सम्मेलन से अलग हो जाने का निश्चय किया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क), (ग) और (घ). इस वर्ष, ब्रिटेन में आयोजित चीफ़ आफ दि इम्पीरियल जनरल स्टाफ़ के सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रमंडलीय देशों से सेना प्रमुखों को आमंत्रित नहीं किया गया है। तदनुसार, इस वर्ष हमारे सेना प्रमुख सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। हमारी ओर से सम्मेलन में भाग न लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ख) वर्ष १९५८ को छोड़ कर वर्ष १९५० से हमारे सेना प्रमुख इस सम्मेलन में भाग लेते रहे हैं। वर्ष १९५९ और १९६१ में यह सम्मेलन नहीं हुआ। इसके स्थान पर राष्ट्रमंडल चीफ्स आफ स्टाफ का अन्तर्सेवा सम्मेलन किया गया था।

आसाम में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

†*२३२. {
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प० कुन्हन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम बरुआ :
श्री नाथ पाई :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विभूति मिश्र :
श्री स्वैल :
श्री शं० ना० चतुर्वेदी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम सरकार से आसाम में पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश के बारे में ब्योरा देने को कहा है ताकि इस मामले में 'ठीक निर्णय' पर पहुंचा जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या उस सरकार ने मांगी गई जानकारी दे दी है;

(ग) क्या पाकिस्तानी प्रवेश की समस्या के लिये कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). जनगणना आंकड़ों के आधार पर कुछ अस्थायी प्राक्कलन राज्य सरकारों को भेजे गये, जो उनसे सहमत हैं।

(ग) और (घ). आसाम सरकार आसाम में पाकिस्तानियों के अवैध रूप से प्रवेश करने पर कार्यवाही करने को सक्षम है और उसे विदेशी अधिनियम १९४६ के अधीन पूरे अधिकार दिये गये हैं। आसाम के मुख्य मंत्री ने हाल में ही विधान सभा में उन उपायों के बारे में बतलाया

†मूल अंग्रेजी में

जो उन्होंने पाकिस्तानियों के और अवैध प्रवेश को रोकने और जो आसाम में अवैध रूप से घुस आये हैं और अनधिकृत रूप से रह रहे हैं, उनको वापस भेजने के लिये किये हैं। भारत सरकार को भी समय समय पर स्थिति के बारे में बता दिया जाता है।

भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारी

†*२३३. { श्री प्रभात कार :
डा० उ० मिश्र :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक भारतीय प्रशासन सेवा पदाधिकारियों को सरकार ने गैर-सरकारी समवायों में काम करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और वे किन समवायों में काम कर रहे हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ पदाधिकारी उस वेतन से तिगुना-चौगुना वेतन पा रहे हैं जो उनको सामान्यतः सरकार देती ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) और (ख). भारत सरकार को ऐसे केवल एक मामले का पता है जिसमें सेवायुक्त भारतीय प्रशासन सेवा के एक पदाधिकारी की सेवायें बिहार सरकार ने टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी को सौंपी हैं।

(ग) इस बारे में संलग्न विवरण में ब्योरा दिया गया है :

विवरण

टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी	प्राप्त वेतन आदि
१. मूल वेतन . . .	३२५०—१२५—४२५० रुपये के वेतन स्तर में
२. महंगाई भत्ता . . .	३०० रुपये
३. मनोरंजन भत्ता . .	२५० रुपये
४. कार भत्ता	१५० रुपये
५. भविष्य निधि अंशदान . . .	मूल वेतन का ८ १/३ प्रतिशत
६. लाभांश अथवा वार्षिक बोनस .	कम्पनी द्वारा प्रति वर्ष घोषित दर पर

†मूल अंग्रेजी में

विदेश जाने के लिये रक्षित बैंक के नियम

†*२३४. { **श्रीमती रेणुका राय :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम रतन गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री नाथ पाई :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रक्षित बैंक ने कुछ ऐसे विशिष्ट नियम बनाये हैं, जिनके अनुसार विदेश जाने के लिये यात्रा-स्थान बुक कराने और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये अनुमति दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इनको सामान्य जनता के मार्ग-दर्शन के लिये प्रचारित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, हां ।

(ख) सम्बन्धित नियम और विनियम रक्षित बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा के अधिकृत व्यापारियों को और यथावश्यक स्टीमर/विमान कम्पनियों/यात्रा अभिकर्ताओं को परिपत्र के रूप में जारी किये जाते हैं। जो मामले सार्वजनिक जनता के हित में समझे जाते हैं, उन्हें समाचारपत्रों द्वारा प्रचारित किया जाता है ।

रेशम तथा नकली रेशम मिल अनुसंधान संघ

†*२३५. **श्री तन सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेशम और नकली रेशम मिल अनुसंधान संघ को, जब से यह बना है, कुल कितना धन दिया गया है;

(ख) रेयन और अन्य निर्मित रेशों के उपतादन के बारे में यदि कोई अनुसंधान किया गया है, तो वह क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) १९.०९६ लाख रुपये ।

(ख) संघ इस समय निम्नलिखित जांच कर रहा है :

†मूल अंग्रेजी में

(१) संश्लेषित रंग के स्थान पर लाख रंग की सम्भावना;

(२) ऊरिया-फारमलडिहाइल फारमुलेशन तैयार करना और उसका श्लेष्य रेयन पर इस्तेमाल करना;

(३) अन्य निर्मित धागों के लिये और विशेषत: मिश्रित धागे के लिये उपयुक्त रंग का चुनाव; और

(४) निरन्तर रेशा वाले रेयन धागें पर ऐंठन का प्रभाव।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कोल्हापुर गद्दी का उत्तराधिकार

†*२३६. **श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री नाथ पाई :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल्हापुर के महाराजा शाहजी को नागपुर के राजकुमार दिलीप सिंह भोंसले के गोद लिये जाने की मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार ने राजकुमारी पद्मा राजे कदम्बड़े के पुत्र के दावों पर भी विचार कर लिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) कोल्हापुर के महामहिम महाराजा ने दिसम्बर, १९६० में भारत सरकार को सूचित किया था कि वह राजकुमार दिलीप सिंह राव को अपने पुत्र के रूप में गोद लेना चाहते हैं और उस पर उन्होंने भारत सरकार की अनुमति मांगी थी। क्यों कि दत्तक-ग्रहण का प्रश्न व्यक्तिगत मामला है, भारत सरकार ने महाराजा को सूचित कर दिया कि उन्हें उनकी कार्यवाही पर कोई आपत्ति नहीं है।

(ख) जी, हां।

मशीनी औजार डिजाइन केन्द्र की स्थापना

†*२३७. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवेकिया भारत में मशीनी औजार डिजाइन केन्द्र स्थापित करने में सहयोग करने को सहमत हो गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उस बारे में कोई समझौता हो गया है; और

(ग) उसकी शर्तें क्या हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक मशीनी औजार अनुसंधान और डिजाइन केन्द्र चालू करने के लिये सेन्ट्रल मशीन टूल इंस्टीच्यूट, बंगलौर और प्राग के मेसर्ज टेक्नो एक्सपोर्ट के बीच एक समझौता हुआ है ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । और करार की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

विवरण

सेन्ट्रल मशीन टूल इन्स्टीच्यूट, बंगलौर और मेसर्ज टेक्नोएक्सपोर्ट, प्राग के बीच हुए करार की मुख्य शर्तें निम्न प्रकार हैं :

१. प्राग के मेसर्ज टेक्नोएक्सपोर्ट इन्स्टीच्यूट की निम्नलिखित कार्य में सहायता करेंगे :

(१) मशीनी औजारों का डिजाइन और विकास, मशीनी औजार तत्वों, औजार और छोटे औजार, नमूनों का निर्माण, परीक्षण और मूल्यांकन ;

(२) डिजाइन बनाने वाले व्यक्तियों का प्रशिक्षण ;

(३) मशीनी औजारों के डिजाइन, मशीनी औजारों और तत्वों का काम और मशीनी औजारों के सम्बन्ध में जल विद्युतीकीय, विद्युत और विद्युत नियंत्रण पद्धति का हिसाब लगाने के तरीके में अनुसंधान करना ;

(४) मेटल कटिंग में अनुसंधान, औजार और उत्पादन तरीकों में अनुसंधान, मशीन की क्षमता का अध्ययन और माप प्रयोगशाला स्थापित करना ; और

(५) औजार साहित्य के बारे में जानकारी एकत्र करना ।

२. चेकोस्लोवेकिया सरकार द्वारा दिया गया ६० लाख रुपये का उपहार निम्न कार्यों में व्यय किया जायेगा --

(१) भारत को भेजे जाने वाले चेकोस्लोवेकियाई विशेषजों को वेतन ;

(२) चेकोस्लोवेकिया में भारतीय इंजीनियरों का प्रशिक्षण व्यय ; और

(३) चेकोस्लोवेकिया से प्राप्त की जाने वाले संयंत्र और उपकरण, प्रशिक्षण सहायता और औजार आदि की लागत ।

३. बाकी अन्य व्यय, अर्थात् भूमि, असैनिक कार्य, मशीनों का लाना और स्थापना, चेकोस्लोवेकिया से अतिरिक्त प्राप्त उपकरण, कच्चा माल, कर, भारतीय कर्मचारियों के वेतन, चेकोस्लोवेकियाई विशेषजों को निवास स्थान आदि, इन्स्टीच्यूट करेगा ।

यदि उपरोक्त ऋण भाग २ में लिखित संभरण और सेवाओं पर ६० लाख रुपये से अधिक व्यय होंगे तो बाकी व्यय इंस्टीच्यूट द्वारा किया जायेगा ।

४. इन्स्टीच्यूट का प्रबन्ध भारतीयों के हाथ में रहेगा और चेकोस्लोवेकिाई विशेषज्ञ केवल सलाहकार के रूप में रहेंगे । इंस्टीच्यूट पर समूचा नियंत्रण सभी प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य मामलों में भारती प्राधिकारियों का रहेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में विदेशी प्रविधिज्ञ

†*२३८. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रविधिक सहयोग वाले भारतीय उद्योगों में विदेशी प्रविधिजों की बढ़ती हुई नियुक्तियों की ओर गया है ;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा की स्थिति ठीक न होने के कारण सरकार का विचार विदेशी प्रविधिजों की संख्या पर प्रतिबन्ध लगाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) से (ग). इस प्रश्न का उत्तर एक अन्य तिथि को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा दिया जायेगा ।

आगरा के निकट उर्वरक कारखाना

†२३९. **श्री भक्त दर्शन**: क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री २१ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १५९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा और आगरा (उत्तर प्रदेश) के बीच में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के जिस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था उसके बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में कार्यान्वित करने के लिए नाइट्रोजनमय उर्वरक के उत्पादन की अत्याधिक क्षमता लाइसेंस करने की और अधिक गुंजाइश नहीं है । चौथी योजना के बारे में उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव पर ठीक समय पर विचार किया जाएगा ।

'लाइटनिंग' लड़ाकू विमान

†*२४०. **श्री नम्बियार** :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री यलमंदा रेड्डी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री अ० प्र० जैन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने कभी ब्रिटिश (लाइटनिंग) लड़ाकू विमान तथा फ्रांसीसी मिरेज विमान खरीदने का प्रस्ताव किया था ;

(ख) यदि हां, तो इन विमानों का मूल्य रूसी 'मिग' विमानों की तुलना में कैसा है ;

(ग) क्या ब्रिटिश सरकार अथवा उसके प्रवक्ताओं ने कभी 'लाइटनिंग' लड़ाकू विमानों को भारत को बेचने का प्रस्ताव किया था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्णा मेनन)** : (क) हमने "लाइटनिंग" और "मिरेज २" समेत सभी स्थानों से उपलब्ध ह होने वाले इस श्रेणी के विभिन्न विमानों के बारे में विचार किया है ।

(ख) ऐसा लगता है कि 'मिग' विमान कम खर्चीले हैं ।

(ग) लाइटनिंग विमान ब्रिटेन में गैर-सरकारी सार्थ द्वारा निर्मित किया जाता है अतः इसको ब्रिटेन सरकार द्वारा बेचे जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कटंगा में भारतीय सेना

†*२४१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीम राम रतन गुप्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्र० ना० विद्यालंकार :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एलिजाबेथविल में संयुक्त राष्ट्र संघ के भारतीय दस्ते द्वारा बनाये गये सड़क अवरोध पर लगभग दस हजार कटंगा की स्त्रियों ने हमला किया था ; और

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है और कटंगा की स्त्रियों द्वारा पत्थर फेंकने और नोंच खसोंट करने तथा भारतीय दस्ते द्वारा गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप दोनों तरफ के कितने कितने व्यक्ति हताहत हुये ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). १७ जुलाई, १९६२ को लगभग तीन हजार अफ्रीकी महिलाओं ने एलिजाबेथविल में संयुक्त राष्ट्र सेना द्वारा बनाये गये सड़क अवरोध पर पत्थर फेंके, बंकरों और मोटर गाड़ियों को आग लगा दी और कुछ भारतीय सेना पदाधिकारियों और सिपाहियों के साथ मारपीट की । इसके परिणामस्वरूप, भारतीय सेना के तीन पदाधिकारियों और सात अन्य रैंकों को मामूली चोटें आयीं । असैनिक पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने का यत्न किया परन्तु उसे सफलता नहीं मिली । तथापि, अन्त में संयुक्त राष्ट्र सेना ने डंडे चला कर और हवा में गोली चला कर स्थिति पर काबू पा लिया । हमारी सेना की कार्यवाही से किसी भी कटंगावासी को गंभीर चोट नहीं आई ।

†मूल अंग्रेजी में

कांगो में भारतीय टुकड़ी

†*२४२. { श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगो को भेजी गई भारतीय सैनिक टुकड़ी से संबद्ध भारतीय पाइप बैंड ने कटंगा के श्री शोम्बे के सम्मान में धुन बनाई थी ;

(ख) क्या भारतीय दस्ते को वहां पर इस प्रयोजन के लिए भेजा गया था ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र कमान्ड को कोई विरोध-पत्र भेजा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) जी, नहीं परन्तु कांगो में भारतीय सैनिक टुकड़ी से सम्बन्ध भारतीय पाइप और ड्रम बैंड ने ८ जुलाई, १९६२ को एलिजाबेथविल में स्थानीय असैनिक जनता के सामने एक धुन बनाई थी । इस अवसर पर श्री शोम्बे उपस्थित थे ।

(ख) असैनिक जनता के लिये धुन बजाना भारतीय सेना के लिये असामान्य बात नहीं है ।

(ग) विरोध प्रकट करने पर कोई कारण नजर नहीं आता ।

निःशुल्क शिक्षा

†*२४३. { श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हायर सैकन्डरी स्तर तक निःशुल्क शिक्षा लागू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) अब तक किन राज्यों में इस स्तर तक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) निकट भविष्य में नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जम्मू तथा काश्मीर, अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह और लवकदीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह में, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में और गुजरात, महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों में कुछ निर्धारित आय से कम आय वाले अभिभावकों को बच्चों को ।

दुग्ध-चूर्ण

†*२४४. { श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के स्कूलों के बच्चों के लिये 'केयर' द्वारा दिया गया दुग्ध चूर्ण दूध की दुकानों पर बेचा जा रहा है तथा दूध बेचने वालों द्वारा जलपान गृहों को दिया जा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(ग) उस का क्या परिणाम निकला ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार** : (क) दिल्ली के स्कूलों में बच्चों में वितरण के लिये 'केयर' द्वारा कोई दुग्ध चूर्ण नहीं दिया जाता ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

विदेशों में व्यापारियों का ठहरना

†*२४५. **श्री प्र० मा० विद्यालंकार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को व्यापारियों तथा उद्योगपतियों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि इस समय उन्हें विदेश में ठहरने के लिये जो एक महीने की अनुमति है, वह व्यापार-संबंधी बातचीत करने और विदेशी उद्योगपतियों, व्यापारियों या प्राविधिक विशेषज्ञों के साथ समुचित ढंग से बात तय करने के लिये बहुत अपर्याप्त है ;

(ख) क्या सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर विचार कर लिया है और क्या उस ने उन में बताई गई कठिनाइयों को समझ लिया है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में व्यापारी वर्ग की वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(घ) क्या सरकार इस समय-सीमा को बढ़ाना चाहती है ?

†**वित्त मंत्रालय म उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). किसी व्यापारी के विदेश में एक महीने से ज्यादा ठहरने के लिये मामलों पर उन के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा रहा है और प्रत्येक मामले को परिस्थिति के अनुसार उचित निर्णय किया जाता है । विदेशी मुद्रा की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एक मास की सामान्य सीमा को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है परन्तु मामलों पर विचार किया जाता रहेगा ।

भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड

†*२४६. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बी० चं० शर्मा : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २१४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत एलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा किये गये ट्रांजिस्टर कम्युनिटी रिसीवर सेट के परीक्षण का अन्तिम परिणाम क्या रहा ; और

(ख) परीक्षण के परिणाम को ध्यान में रखते हुं ; क्या निर्णय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्राल में राज्य मंत्री (श्रीरघुरामैया) :** (क) कुछ परिवर्तन और सुधार किये गये । इतने समय में, उपभोक्ताओं ने अपने नमूनों में भी परिवर्तन किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह सेट संतोषजनक है परन्तु उपभोक्ताओं के पुनरोक्षित नमूनों को पूरा करने के लिये फिर से डिजाइन बनाने पर विचार किया जा रहा है।

रूरकेला इस्पात संयंत्र में त्रुटियां

†*२४७. { **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री योलमंदा रेड्डी :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री मुरारका :
श्रीमती ज्योत्सना चंदा :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात संयंत्र में पाई हुई त्रुटियों के सम्बन्ध में क्या बोन के प्राधिकारियों के साथ चर्चा की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उन को सुधारने के लिये क्या योजना बनाई गई ;

(ग) त्रुटियों को दूर करने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) इस पर कितना खर्च आयेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (घ). सोवियत शिष्टमंडल ने रूरकेला इस्पात कारखाने के कार्यकरण में कुछ त्रुटियां बताई थीं। इन बातों पर बोन में प्रतिनिधिक प्राधिकारियों के साथ बातचीत की गई और उन को दूर करने के उपायों पर सहमति हुई। यह आशा की जाती है कि सहमत उपायों को क्रियान्वित करने में २-३ महीने और लगेंगे। उन उपायों पर, अतिरिक्त पुर्जों की खरीद और नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की मजूरी, जो "संधारण और राजस्व व्यय" माना जाता है, ४.४ करोड़ रुपये और "पूंजी" स्वरूप के उपकरणों की खरीद पर १.६ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

दिल्ली नगर निगम

†*२४८. { **श्री बसु मतारी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाई गई उपसमिति से कोई रिपोर्ट सरकार को मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो निगम के अधिकार बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या निर्णय किया है या करना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गोआ में पोलिटैक्निक

†*२४९. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ के नेताओं ने संघ सरकार को गोआनी प्रविधिज्ञों को प्रशिक्षण देने के लिये एक पोलिटैक्निक खोलने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुझाव कहां तक स्वीकार कर लिया गया है और उसे कहां तक क्रियान्वित किया जा चुका है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

पश्चिम बंगाल में कोयला खनन अधिकार

†*२५०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ राज्य में खनन अधिकारों के सम्बन्ध में कोई करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस करार की शर्तें क्या हैं ;

(ग) राज्य में कोयला खानों के संचालन और उन खानों से उत्पादित कोयले के उपयोग के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को क्या अधिकार होंगे ; और

(घ) क्या सरकार अन्य राज्यों के साथ भी इन्हीं लाइनों पर करार करने का विचार कर रही है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). जी, हां । केन्द्र और पश्चिम बंगाल सरकार में उस राज्य में कोयला खनन के बारे में और इस कार्य में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा सहयोग के तरीके के बारे में एक समझौता हो गया है । इस व्यवस्था का ब्यौरा १०-८-१९६२ को सभा में दिये गये वक्तव्य में बताया जा चुका है ।

(घ) वर्तमान समझौता पश्चिम बंगाल सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाये गये विशिष्ट मामलों पर हुआ है । जब कभी कोई भी राज्य सरकार पश्चिम बंगाल सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच हुई शर्तों के अन्तर्गत अपनी कोयला खानों का खनन करना चाहे तो यह व्यवस्था अपनाने का हम स्वागत करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लौह अयस्क को पिघलाने की विधि सम्बन्धी अध्ययन दल

†*२५१. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी: }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहे को पिघलाने और उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिये बहुत से अधिकारी नार्वे और पूर्वी जर्मनी गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें निवेली लिग्नाइट और सेलम अयस्क से लोहे के उत्पादन के लिये किये जाने वाले परीक्षणों का अध्ययन करना है ;

(ग) उन परीक्षणों के परिणाम क्या है ; और

(घ) क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन पेश किया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख) . जी, हां ।

(ग) और (घ). इन परीक्षणों के परिणाम प्रतीक्षित हैं । तथापि, मद्रास सरकार को पर्यवेक्षकों के दल में अपने प्रतिनिधि से एक प्राथमिक समाचार मिला है कि कुछ परीक्षणों का परिणाम बड़ा ही संतोषजनक रहा ।

आयुध कारखानों में टैंकों का निर्माण

†*२५१. { **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री दलजीत सिंह : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुध कारखानों में टैंकों के निर्माण के सम्बन्ध में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : भारी मोटरगाड़ी कारखाना इमारत के विस्तृत नक्शे को सहयोगियों के परामर्श से पूरा किया गया हैं। मुख्य कारखाना इमारत के लिये इस्पात के ढांचे का निर्माण आरम्भ हो गया हैं । बस्ती का नक्शे को अन्तिम रूप दिया जा रहा हैं । मुख्य टैंक शाप, मशीन शाप और टुल रूम के लिये अपेक्षित संयंत्र और मशीनों को अन्तिम रूप दिया जा चुका हैं और संभरण तथा निबटान के महानिदेशक को इन्डेन्ट भेज दिया गया हैं । इंजन शाप की आवश्यकता को अन्तिम रूप दिया जा रहा हैं । इलैक्ट्रिक ओवरहैड ट्रैवलिंग क्रेनों के लिये ३५ लाख रुपये की अनुमानित लागत के क्रयादेश दिये गये है । बाकी मशीनों के लिये इन्डेन्ट अक्तूबर, १९६२ के अन्त तक दिये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यूकेलिप्टस तेल पर उत्पादन शुल्क

†*२५३. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नीलगिरि यूकेलिप्टस आयल मर्चेंट्स एसोसिएशन' ने कोई प्रार्थना की है कि यूकेलिप्टस तेल पर उत्पादन शुल्क की छूट दे दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस छूट की प्रार्थना किस आधार पर की गई है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां ।

(ख) यूकेलिप्टस तेल न तो कोई औषधि है और न औषधीय उत्पादन है ।

(ग) एसोसिएशन को सूचित कर दिया गया है कि यूकेलिप्टस तेल एक औषधि है और जब यह केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक अधिनियम, १९४४ में दिये गये एकस्व अथवा सवमित्व औषधियों की व्याख्या में आता है तो इस पर शुल्क लिया जायगा । यूकेलिप्टस तेल के कुछ व्यापारियों द्वारा दायर की गई लेख याचिकायें मद्रास उच्च न्यायालय में लम्बित हैं ।

चुनाव प्रचार साहित्य

†*२५४. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री भक्त दर्शन :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : }

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम चुनावों में जारी किये गये प्रचार साहित्य की जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किए हैं तथा क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या यह सामग्री सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) चुनाव पोस्टरों की एक प्रदर्शनी २ जून से ११ जून, १९६२ तक विज्ञान भवन में की गयी । यह प्रदर्शनी ५ से ११ जून तक जनता के लिये खोली गयी । अतः इस सामग्री को सभा पटल पर रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों को स्थायी बनाना

†*२५५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा स्थापनाओं के ८० प्रतिशत औद्योगिक तथा अनौद्योगिक असैनिक कर्मचारियों को स्थायी बनाने के सम्बन्ध में आदेशों को अभी लागू नहीं किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय ने यह आदेश कब जारी किये थे ; और

(ग) इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) आदेशों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) आदेश गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के बारे में ६-६-१९६० को और औद्योगिक कर्मचारियों के बारे में १-८-१९६१ को जारी किये गये थे।

(ग) अस्थायी पदों को स्थायी बनाने में लेखा-परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की संख्या पर सत्यापन और वास्तविक कार्य-भार और उत्पादन कार्यक्रम आदि के आधार पर वास्तविक स्थायी आवश्यकता का हिसाब लगाना होता है।

कोयले के स्थान पर भट्ठी के तेल का इस्तेमाल

†२५६. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्रभात कार :

क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद के कपड़ा मिल में कोयले के स्थान पर भट्ठी का तेल इस्तैमाल करने के प्रस्ताव की जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर उद्योग की क्या प्रतिक्रिया हुई है ; और

(ग) उद्योगों में कोयले के स्थान पर भट्ठी के तेल के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भारत सरकार पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में कोयले के परिवहन के बारे में उद्योगों की कठिनाई और इनमें से कुछ उद्योगों को कोयले के स्थान पर भट्ठी का तेल इस्तैमाल करने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये संभावित मार्गोपायों पर विचार करती रही है। अहमदाबाद में मिलों से कोई औपचारिक पूछताछ नहीं की गई यद्यपि गुजरात सरकार और वाणिज्यिक/औद्योगिक हितों के प्रतिनिधियों के साथ कुछ विचार किया गया था।

(ख) सामान्य रूप से उद्योग 'भट्ठी के तेल' के सम्भरण मूल्य में कमी चाहते हैं।

(ग) कोयला क्षेत्रों और पत्तनों से दूर स्थित उद्योगों को कोयला के स्थान पर भट्ठी का तेल इस्तैमाल करने के लिये सुविधायें देने के लिये, राज सहायता प्राप्त रेल भाड़ा की योजना, जिसकी वित्त मन्त्री ने २३-४-६२ को अपने आय व्ययक भाषण में घोषणा की थी, १-७-६२ से लागू कर दी गई है। इसको बाद में अन्तर्देशीय परिष्करणियों से माल भेजने पर भी लागू कर दिया गया है। सामान्य रियायत के अतिरिक्त, देश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ चुनींदा सिमेंट कारखानों को इस परिवर्तन के लिये अतिरिक्त सहायता दी जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में पाकिस्तानी आप्रवासी

†*२५७. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यलमंदा रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री दशरथ देव :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री शं० ना० चतुर्वेदी :
श्री कि० पटनायक :
श्री हेम बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २३ जून, १९६२ से अब तक पाकिस्तान से त्रिपुरा में आने वाले कितने अनधिकृत आप्रवासियों को निष्कासित किया गया है ;

(ख) इस समय त्रिपुरा में ऐसे आप्रवासियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार ने त्रिपुरा से ऐसे आप्रवासियों को निकालना बन्द करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) २,७७८ ।

(ख) लगभग ४५,००० ।

(ग) और (घ). उन व्यक्तियों को निकालना अभी मानवोचित आधार पर और सीमान्त क्षेत्रों में तनाव कम करने के लिये रोक दिया गया है ।

डानकुनि रेलवे स्टेशन पर गोलाबारूद का लूटा जाना

†*२५८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ मई, १९६२ को पूर्व रेलवे के डानकुनि रेलवे स्टेशन पर एक माल-डिब्बे से काफी बड़े पैमाने पर गोला बारूद लूटा गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उसके लिये जिम्मेदार अपराधियों को हिरासत में ले लिया गया है ;

(ग) क्या चोरी गई गोला बारूद का पता चल गया है ; और

(घ) किन परिस्थितियों में उसे लूटा गया था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : यह सच है कि १३ मई, १९६२ को डानकुनि स्टेशन के पास बदमाशों ने एक रेलवे वैगन से कुछ गोला बारूद लूट लिया था। इस समय मामले की पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है जिन्होंने कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये हैं। मूलत: खोये गये बताये गये ९६०० कारतूसों में से ८६८६ वसूल कर लिये गये हैं।

फारस की खाड़ी में भारतीय मुद्रा के नोट

†*२५९. **श्री रा० बरुआ** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फारस की खाड़ी क्षेत्र के लिये विशेष तौर के लिये जारी किये गये भारतीय मुद्रा के नोटों का स्थान भारतीय रुपये और छोटे मूल्य की मुद्रा ने ले लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय रुपये की मुद्रा वहां की व्यापार सम्बन्धी सामान्य आवश्यकताओं से कहीं अधिक परिमाण में परिचालित हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा की बचत और फारस की खाड़ी के क्षेत्र में भारतीय रुपये की मुद्रा अनधिकृत रूप से न पहुंचने देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, नहीं। भारतीय नोट और सिक्के कुवैत के बाहर अभी भी प्रचलित हैं।

(ख) और (ग) ऐसे संकेत हैं कि इन क्षेत्रों में भारतीय सिक्कों का चलन सामान्य आवश्यकताओं से अधिक है। यद्यपि भारत सरकार द्वारा कोई तत्कालिक कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा जाता, स्थिति का बड़ा ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जा रहा है और जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी वह रक्षित बैंक के परामर्श से की जावेगी।

रांची में 'फाउण्ड्री फोर्ज' परियोजना

†*२६०. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची में फाउण्ड्री फोर्ज (ढलाई तथा गढ़ाई का कारखाना) परियोजना के कब तक पूरे होने की आशा है ; और

(ख) क्या परियोजना के पूरे होने का प्रत्याशित समय मूलत: निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) सन्यन्त्र के वर्ष १९६५–६६ में पूरा होने की आशा है ।

(ख) फाउण्ड्री फोर्ज सन्यन्त्र के लिये मूल समय निर्धारण रांची में २३,००० टन उत्पादन क्षमता वाले भारी मशीन निर्माण सन्यन्त्र के अनुरूप परियोजना की प्रथम प्रावस्था के निर्माण के आधार पर और पूर्वापेक्षित भूमि की दशा और निर्माण उपकरणों की उपलब्धि के बारे में आंकड़ों के आधार पर किया गया था । ३१ मार्च, १९६१ को भारी मशीन निर्माण सन्यन्त्र द्वारा ४५,००० टन उत्पादन क्षमता के लिये मेसर्ज टैक्नो एक्सपोर्ट, प्राग के साथ द्वितीय प्रावस्था के ठेके पर हस्ताक्षर किये जाने के अनुरूप सन्यन्त्र की अनुसूची में पुनरीक्षण किया गया । अब पुनरीक्षित समय अनुसूची के अनुसार फाउण्ड्री फोर्ज परियोजना के पहली और दूसरी प्रावस्था के लिये साथ साथ काम किया जा रहा है ।

त्रिभाषीय सूत्र

†*२६१. **श्री बसुमतारी :**
श्री बिशनचन्द्र सेठः
श्री भक्त दर्शन :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिभाषीय सूत्र को जो केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से निकाला था, पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों ने अब तक क्या पग उटाये हैं और अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) राज्य सरकारों ने सामान्यतः स्थानीय परिस्थितियों के लिये कुछ भिन्नताओं समेत त्रि-भाषाई सूत्र को स्वीकार कर लिया है ।

(ख) अगस्त, १९६१ में हुए मुख्य मन्त्री सम्मेलन में स्वीकार किया गया सरलीकृत त्रिभाषाई सूत्र निम्न प्रकार है :

(१) प्रादेशिक भाषा अथवा मातृ भाषा यदि मातृ भाषा प्रादेशिक भाषा से भिन्न हो;

(२) हिन्दी अथवा हिन्दी बोले जाने वाले क्षेत्रों में अन्य भारतीय भाषा; और

(३) अंग्रेजी अथवा अन्य कोई योरोपीय भाषा ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६५]

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण में तल शोधक कारखाना

†*२६२. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री उमानाथ :
श्री केप्पन :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री यलमंदा रेड्डी :
श्री वारियर :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री हेम बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम रतन गुप्त :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में तेल-शोधक कारखाने का स्थान अन्तिम रूप से चुन लिया गया है ;

(ख) यदि हां तो यह कहां पर है ;

(ग) इस परियोजना के लिये कुल कितनी रकम अलग रखी गई है ; और

(घ) इसका कितना प्रतिशत अंश इटालियन सहयोगी देंगे ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) तृतीय योजना में किसी विशिष्ट धनराशि का उपबन्ध नहीं, किया गया है ।

(घ) अभी यह तै नहीं किया गया है ।

नई दिल्ली में विश्वविद्यालय

†*२६३. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **शिक्षा** मंत्री २३ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ११० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में नया विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रस्थापना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : यह मामला अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है ।

राजस्थान में खनिज संसाधनों का उपयोग

२६४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में तृतीय योजना में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के उपयोग में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रगति प्रावस्थाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार हुई है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६६]**

(ख) जी हां । सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं के बारे में प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है ।

कोयला-नौकाओं का निर्माण

†*२६५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला नौकाओं के निर्माण के सम्बन्ध में प्रबन्ध करने के लिये एक रक्षा मंत्रालय का पदाधिकारी जून, १९६२ के अन्त में पश्चिम जर्मनी भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम जर्मनी से क्या सहायता मांगी जा रही है; और

(ग) इस बीच क्या प्रबन्ध हो चुके हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां । पदाधिकारी को भारतीय परिथितियों में सर्वाधिक उपयुक्त परिवहन के तरीके के बारे में उपयुक्त प्राथमिक जांच के लिये आदेश दिये गये हैं ।

(ख) विद्युत् यूनिट के नमूने के बारे में अपेक्षित आवश्यक सहायता की संभावना का पता लगाया गया है ।

(ग) पदाधिकारी हाल ही में लौटा है और उस के प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है ।

तिरुचिरापल्ली में हाई प्रैशर बायलर संयंत्र

†*२६६. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चेकोस्लोवाकिया सरकार के सहयोग से तिरुचिरापल्ली में स्थापित किये जाने वाले हवाई प्रैशर बायलर संयंत्र पर कुल व्यय कितना होगा;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये चेकोस्लोवाकिया से कितनी सहायता मिलेगी; और

(ग) यह परियोजना संभवतः कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: (क) और (ख). परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन इस महीने के अन्त में प्राप्त होने की आशा है। कुल पूंजी लागत और वह सीमा जहां विदेशी मुद्रा का व्यय चेकोस्लोवाकिया के ऋण से पूरा किया जायेगा, के बारे में स्पष्ट और ठीक प्राक्कलन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के प्राप्त होने और उस पर विचार किये जाने के बाद पता चलेगा।

(ग) परियोजना के वर्ष १९६५ तक पूरा होने की आशा है ?

भारतीय वायु-सेना का लापता 'कैनबरा' विमान

†*२६७. { **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती मैमुना सुल्तान :
श्री बसुमतारी : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ७ जुलाई, १९६२ को पूना से भोपाल जाते हुए भारतीय वायुसेना के एक "कैनबरा" बमवर्षक विमान के लापता होने सूचना दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस के कारण क्या हैं ?

(ग) क्या कोई खोज की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम रहा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (घ). विमान के लापता होने की खबर दी गयी थी। फौरन ही खोज की गयी। उस ही दिन स्थानीय पुलिस ने विमान के टूटने का पता लगा लिया। एक जांच न्यायालय को आदेश दे दिया गया है और प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर ब्यौरे का पता चलेगा।

दिल्ली पोलिटैक्निक

†*२६८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार द्वारा दिल्ली पोलीटैक्नीक का प्रबधं निकट भविष्य में दिल्ली प्रशासन को सौंपा जा रहा है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और प्रस्तावित परिवर्तन का ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). जी, हां । संघ सरकार ने दिल्ली में डिग्री पाठ्यक्रम के लिये एक इंजीनियरिंग और टैक्नालाजी कालिज स्थापित किया है, जिस में अखिल भारत आधार पर प्रवेश दिया जाता है । पोलीटैक्नीक में डिग्री पाठ्यक्रम जारी रखने का निर्णय मुख्यतः स्थानीय विद्यार्थियों के लिये दिल्ली प्रशासन के अनुरोध पर किया गया है । अतः यह उचित समझा गया कि दिल्ली पोलीटैक्नीक का प्रशासनिक नियंत्रण दिल्ली प्रशासन को सौंप दिया जाय । प्रस्तावित हस्तांन्तरण का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

त्रिपुरा में आदिम जाति संस्कृति का विकास

†५३९. **श्री दशरथ देब** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ और १९६२–६३ में त्रिपुरा में नृत्य, गीत, आदि जैसी आदिम जाति संस्कृति के विकास के लिये कुल कितनी धन राशि आवंटित की गई है ?

(ख) मुख्यकर धन किन बातों पर व्यय किया गया;

(ग) प्राप्त हुई सफलता का क्या ब्यौरा है; और

(घ) क्या इस कार्य की देखरेख के लिये सरकार ने किन्हीं आदिम जाति कर्मचारियों को नियुक्त किया था या इसे गैर आदिम जाति के कर्मचारी कर रहे हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य-मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) १९६१–६२ २१,६८० रुपये । १९६२–६३ ३४,००० रुपये ।

(ख) लोक नृत्यों के मुकाबले, गीत तथा विविध प्रदर्शन, गणतन्त्र दिवस समारोह में आदिम जाति के कलाकारों का भाग लेना, अनुसन्धान यूनिट के लिये पुस्तकों तथा अन्य वस्तुओं का खरीदना, कलाकारों को पुरस्कार देना, और अनुसन्धान अधिकारी तथा उस के कर्मचारयों को वेतन देना ।

(ग) आदिम जाति के लोगों के लिये दस सांस्कृतिक केन्द्र खोले गये हैं । ग्यारह लोक मनोरंजन यूनिट इस ध्येय से कार्य कर रहे हैं कि आदिम जाति के व्यक्तियों सांस्कृतिक जीवन का विकास किया जाये । वर्ष १९६२–६३ में और १२ लोक मनोरंजन यूनिट खोलने का विचार है । आदि जाति क्षेत्रों में आदिमजाति के गीतों को 'टेप रिकार्ड' किया जाता है और आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र में त्रिपुरा के प्रोग्राम में प्रति दिन प्रसारित किया जाता है ।

(घ) कार्य की देख रेख एक अधिकारी करता है जो अनुसूचित आदिम जाति का है ।

त्रिपुरा में गांकी बस्ती

†५४०. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में खोवाई की गांकी बस्ती में कितने भूमिहीन परिवारों को पुनः बसाया गया है;

(ख) इस बस्ती पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अब बस्ती किस की देख रेख में चलाई जा रही है;

(घ) क्या बस्ती बनने के बाद वहां के वासियों में से कुछ छोड़ कर चले गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** । (क) ३०६ ।

(ख) सरकार से ८०३९ रु० अनुदान के रूप में और ३४८० रु० ऋण के रूप तथा सहकारी बैंक से १६६६० रु० ऋण के रूप में ।

(ग) बस्ती के कार्यों की व्यवस्था एक निर्वाचित समिति करती है । खोवाई के खण्ड विकास अधिकारी और सहकारी देख रेख अधिकारी को उस समिति का पदेन सभापति तथा सचिव नियुक्त किया गया है ।

(घ) हां ।

(ङ) छोड़ कर जाने का मुख्य कारण यह है कि जाने वाले व्यक्ति ऋणों का भुगतान करना नहीं चाहते थे ।

त्रिपुरा में भूख हड़ताल

†५४१. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन व्यक्तियों के विरुद्ध चलाये गये मुकद्दमे वापस लेने का है जिन्होंने वर्ष १९६० में त्रिपुरा में हड़ताल मे भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बाल शिक्षा

†५४२. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छः से ग्यारह वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की योजना कितनी सफल रही है; और

(ख) कितने राज्यों ने इस योजना को लागू ठीक से किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० लाल श्रीमाली)** : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहिले वर्ष में लक्ष्य से अधिक सफलता मिली है जैसा कि विवरण से स्पष्ट है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

राज्य का नाम	वर्ष १९६१–६२ में अधिक दाखिला (कक्षा १—५)—आंकड़े लाखों में	
	लक्ष्य निर्धारित	वास्तविक दाखिला
१. आन्ध्र प्रदेश	१.२०	१.६२
२. आसाम .	.७०	१.०५
३. बिहार .	२.८५	२.८५
४. गुजरात . .	१.५४	२.१३
५. जम्मू तथा काश्मीर	०.२१	०.२३
६. केरल . .	०.८०	०.८१
७. मध्य प्रदेश . .	१.४४	३.५५
८. मद्रास . .	२.००	५.००
९. महाराष्ट्र . .	२.४५	२.७०
१०. मैसूर . . .	१.९२	२.२३
११. उड़ीसा . . .	२.००	१.५०
१२. पंजाब	१.००	४.००
१३. राजस्थान	१.२५	१.९०
१४. उत्तर प्रदेश	४.१४	५.५०
१५. पश्चिम बंगाल	१.४७	२.२८

(ख) पांच राज्यों में अब तक अनिवार्य शिक्षा के लिए नमूने का विधान बन चुका है और राज्य उस पर विचार कर रहे ह ।

उड्डयन विकास

†५४३. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(**क**) उड्डयन को प्रोत्साहन देने तथा विकसित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(**ख**) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अगस्त तक कितने विमान कारखाने खोले गये थे और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने कारखाने खोले जायेंगें ; और

(**ग**) क्या इन कारखानों में इस व्यवसाय के विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था है ।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) प्रतिरक्षा के सम्बंध में निम्न कार्यवाही की गई है :—

(१) वैमानिक क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्य करने के लिए अनेक संस्थान खोल गये हैं ।

(२) उड़ान-विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक केन्द्र स्थापित करने का विचार है । इस केन्द्र में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए विमान-विज्ञान सम्बन्धी

†मूल अंग्रेजी में

अनेक क्षेत्रों में अनुसन्धान तथा विकास गया अध्यापन के लिए अनेक प्रयोगशालायें खोली जायेंगी ।

(ख) देश में दो विमान कारखाने हैं, एक बैंगलौर में (हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि०) और दूसरा कानपुर में (विमान निर्माण डिपो, भारतीय वायु सेना) । प्रतिरक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं तथा असैनिक आवश्यकताओं के अनुसार विमान उत्पादन बढ़ाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(ग) ट्रेड एप्रेन्टिसों के लिए हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट में प्रशिक्षण की सुविधायें हैं । विमान निर्माण डिपो, कानपुर में भी ऐसी ही सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है । एयरोनाटिकल सोसाइटी आफ इण्डिया की एसोसियेट फैलोशिप एग्जामिनेशन के भाग २ और ३ के लिए वायु सेना तथा असैनिक कर्मचारियों की सहायता के लिए वायु सेना केन्द्र, कानपुर में शाम की कक्षायें आरम्भ कर दी गई हैं । इसी प्रकार, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० बन्गलौर में भी एयरोनाटिक्स तथा गैस टर्बाइन प्रौद्योगिकी की शाम की कक्षायें आरम्भ की गई हैं ।

केरल में हीरा-जवाहरात के निक्षेप

†५४४. { **श्री मे० क० कुमारन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य में कोहरकारा के पास तलचीरा नामक स्थान पर हीरा-जवाहरात के निक्षेप मिले हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस स्थान को भूतत्वीय परीक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). केरल सरकार के भूतत्वीय विभाग ने कथित स्थान की भूतत्वीय जांच पड़ताल की थी और उससे वहां किसी बहुमूल्य खनिज का पता नहीं लगा ।

अल्प-संख्यक आयोग

†५४५. **श्री मे० क० कुमारन:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल केरल कैथोलिक कांग्रेस ने गृहकार्य मंत्रालय को एक ज्ञापन दिया है जिसमें अनुरोध किया गया है कि भारत में स्थायी अल्प सख्यक आयोग बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). ७ जुलाई, १९६२ को अखिल केरल कैथोलिक नेता कांग्रेस की अल्पसंख्यक अधिकार सुरक्षा समिति से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था । भारत सरकार ऐसा आयोग नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझती ।

त्रिपुरा राज्य की आय

†५४६. **श्री दशरथ देब :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन की कोई ऐसी व्यवस्था है जो राज्य की आय का अनुमान तैयार करें;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके कार्य का क्या परिणाम है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या प्रशासन का विचार ऐसी व्यवस्था करने का है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां ।

(ख) वर्ष १९५५–५६ से १९५९–६० तक राज्य की आय का अनुमान तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट तैयार हो रही है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तीसरे सामान्य निर्वाचन का व्यय

†५४७. **श्री हेम राजः** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तीसरे सामान्य निर्वाचन पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने कितना व्यय किया; और

(ख) यह व्यय दूसरे सामान्य निर्वाचन के व्यय से कम है या अधिक ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र)** : (क) अपेक्षित जानकारी सारे राज्यों से अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने पर ही तुलना की जा सकती है ।

दिल्ली में महिला भाषा अध्यापक

†५४८. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **शिक्षा** मंत्री ११ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष दिल्ली प्रशासन में महिला भाषा अध्यापकों के कितने पद रिक्त होने की सम्भावना है;

(ख) काम दिलाऊ दफ्तर, दिल्ली में पंजीलद्ध एम० ए० बी० टी० और साहित्य रत्न उम्मीदवारों को काम पर लगाने की सरकार की क्या नीति है; और

(ग) क्या सरकार शिक्षित प्रार्थियों को प्राथमिकता देती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) प्रथम श्रेणी में ३३ और द्वितीय श्रेणी में ३ ।

(ख) जिन पदों पर सीधी नियुक्तियां होती हैं उनके लिए ये उम्मीदवार अधिकारी हैं।

(ग) सदैव ।

हरिजनों को गृह निर्माण अनुदान

†५४९. { **श्री बसुमतारी** :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरिजनों को गृह-निर्माण के लिए अधिक अनुदान देने का सरकार का प्रस्ताव है;

---

† मल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावानुसार संशोधित और बढ़ी हुई राशि की उच्चतम सीमा कितनी होगी;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस बारे में स्थानीय हरिजन कल्याण बोर्ड से कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमति चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए ७५० रु० की सरकारी वित्तीय सहायता की निर्धारित सीमा को ९०० रु० करने का प्रश्न राज्य सरकारों के विचाराधीन है ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता

५५०. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बच्चों की पुस्तकों को लिखाने के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता के अन्तर्गत कार्य को विकेन्द्रित करने की दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ख) आठवीं प्रतियोगिता के पुरस्कारों के लिये कितनी धन राशि निर्धारित की गई है और इस में से कितनी केन्द्र द्वारा व्यय होगी तथा कितनी राज्यों द्वारा; और

(ग) १९६१-६२ के दौरान जो नये ६ साहित्य रचनालय बनाने का विचार था, वे कहां-कहां स्थापित हुए ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) इस वर्ष से बाल साहित्य की राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है ।

(ख) आठवीं पुरस्कार प्रतियोगिता और इस योजना के अधीन अन्य जिम्मेदारियों के लिए वर्तमान वर्तमान वर्ष के बजट में १,३०,००० रु० की राशि की व्यवस्था की गई है। प्रतियोगिता आयोजित करने वाली प्रत्येक राज्य सरकार को भारत सरकार, ६६०० रु० अथवा राज्य सरकार द्वारा खर्च किया गया वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, सहायक-अनुदान देगी ।

(ग) १९६१-६२ वर्ष के दौरान में केवल आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ही साहित्य रचनालय आयोजित किये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों के लिये कागज

५५१. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूल की पाठ्य-पुस्तकों के लिये कागज प्राप्त करने के लिये जो समझौते किये गये हैं उन से कुल कितना कागज प्राप्त होगा और कागज प्राप्त करने की बातचीत किन-किन देशों से चल रही हैं ;

(ख) इस कागज का वितरण किन-किन राज्यों को किस अनुपात से किया जायेगा ;

(ग) इस कागज पर पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण का व्यय कौन वहन करेगा ;

(घ) इस कागज से छपी पुस्तकें, जो प्राथमिक कक्षाओं के गरीब और जरूरत-मन्द बच्चों को मुफ्त देने की व्यवस्था है उस के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य के व्यय का भार क्या होगा ; और

(ङ) गरीब व जरूरतमन्द बच्चों की परिभाषा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) पांच वर्ष तक आस्ट्रेलिया से २,००० टन और स्वीडन से ८,००० टन कागज प्रति वर्ष प्राप्त होता रहेगा । इस समय अन्य किसी देश के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है ।

(ख) कागज का वितरण अलग अलग राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर किया जायगा । राज्य-वार वितरण दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) राज्य सरकारें ।

(घ) इस योजना के लिये कोई केन्द्रीय सहायक-अनुदान नहीं है ।

(ङ) स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस का निर्णय करना प्रत्येक राज्य सरकार का अपना कार्य है ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	कागज का परिमाण (टनों में)	
		स्वीडन से	आस्ट्रेलिया से
१	आंध्र प्रदेश	८४४	२११
२	असम	२६८	६७
३	बिहार	५५२	१३८
४	जम्मू और काश्मीर	२८८	७२
५	केरल	५२	१३

†मूल अंग्रेजी में

क्रम संख्या	राज्य का नाम	कागज का परिमाण (टनों में) स्वीडन से	आस्ट्रेलिया से
६	मध्य प्रदेश .	५००	१२५
७	मद्रास .	५२४	१३१
८	महाराष्ट्र .	४३२	१०८
९	मैसूर . . .	४६८	११७
१०	उड़ीसा	१४४	३६
११	पंजाब	९०४	३०१
१२	राजस्थान	२९६	७४
१३	उत्तर प्रदेश	६८०	१७०
१४	पश्चिम बंगाल	५४८	१३७
१५	भारत सरकार और संघीय क्षेत्रों के प्रयोग के लिए सुरक्षित . . .	१५००	३००
	जोड़ . . .	८०००	२०००

भूतपूर्व राजाओं की कारों पर लाल नम्बर प्लेट तथा झण्डे का प्रयोग

†५५२. **श्री दाजी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व राजाओं को अब भी अपनी कारों पर लाल रंग की विशिष्ट प्लेट और अपने झण्डे लगाने की अनुमति है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस प्रथा को कब समाप्त करने का है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) हां । भारत की भूतपूर्व रियासतों के राजाओं के साथ किये गये त्रिलय करारों में राजाओं को दिये गये विशेषाधिकारों में एक यह भी है ।

(ख) ऐसा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राष्ट्रीय अल्प बचत

†५५३. **श्री सु० भू० दास** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री स० ० सामन्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अल्प बचत में कमी हो रही है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(ग) यह कमी कब से हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग) वर्ष १९६१-६२ में ९१ करोड़ रु० की शुद्ध वसूली हुई जबकि १९६०-६१ में वसूली १०५ करोड़ रु० हुई थी । वर्ष १९६०-६१ में अधिक वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि डाकखाने के बचत बैंक में राशि अधिक जमा हुई जबकि १९६१-६२ में वाणिज्यिक बैंकों में जनता का विश्वास पुनः जमने के कारण यह प्रवृत्ति उलटी हो गई । अतः यह समझना ठीक नहीं है कि इन प्राप्तियों में कोई निरन्तर कमी हुई है ।

संरक्षण में रखा कोलार का सोना

†**५५४. श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलार को सोने को बाजार से बेचने की बजाये सरकारी संरक्षण में रखने का सरकार का निश्चय करने के क्या कारण है ; और

(ख) इस प्रबन्ध में कितना वित्त फंसा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) देश का विदेशी मुद्रा संचय बढ़ाने के लिये सोना प्राप्त किया जा रहा है ।

(ख) जुलाई १९५८ (केन्द्रीय सरकार ने इसी तारीख से सोना प्राप्त करना आरम्भ किया हैं) से मार्च १९६२ तक की अवधि में मैसूर में सोने की खानों से सोना प्राप्त करने में २१.०८ करोड़ व्यय हुए हैं ?

दिल्ली पुलिस की जेलें

†**५५५. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली पुलिस की जेलों में भीड़ और अस्वस्थकारी स्थितियों के बारे में दैनिक समाचारपत्रों में छपी शिकायतों की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो शिकायतें कहां तक ठीक है और सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). सरकार ने प्रश्नास्पद रिपोर्ट देखी हैं । इस दोषारोपण में कोई सार नहीं है कि पुलिस की जेलों में भीड़ या अस्वस्थकारी स्थितियां हैं ।

असिस्टेंटों के लिये सिलैक्शन ग्रेड

†५५६. { **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : **श्री बी० चं० शर्मा** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असिस्टेन्टों के लिये सिलेक्शन ग्रेड के बारे में कोई अन्तिम निश्चय किया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इसके लिये सेवा की कोई न्यूनतम अवधि है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). मामला विचाराधीन है ।

दिल्ली में आग दुर्घटनायें

†५५७. { **श्री बसुमतारी :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री नई दिल्ली के कनाट प्लेस में आग के बारे में ५ जून, १९६२ को लोक-सभा में दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच पूछ ताछ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) भविष्य में इन घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय अपनाये हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). इस मामले में पूछताछ की गई है। संबंधित प्राधिकारियों के उत्तर आ गये है और उनकी जांच हो रही है। यथासमय पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद् द्वारा दिया जाने वाला डिप्लोमा

†५५८. { **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा सिविल और ग्रामीण इंजिनियरी का दिया जाने वाला डिप्लोमा को अस्थायी मान्यता देने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो अवधि कब तक बढ़ा दी गई है ;

(ग) क्या डिप्लोमा को स्थायी मान्यता के बारे में कोई निश्चय किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो निश्चय कब तक किया जायेगा और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). हां, श्रीमान। अस्थायी मान्यता पहिले ही जुलाई १९६३ और उस समय तक बढ़ा दी गई है जब तक डिप्लोमा को स्थायी मान्यता देने के बारे में निश्चय किया जाये ।

(ग) और (घ). प्रौद्योगिकीय तथा व्यावसायिक योग्यता निर्धारण बोर्ड की यात्रा समितियां अब तक तीन ग्रामीण संस्थाओं में गई हैं। समस्त छः ग्रामीण संस्थाओं को देखने के बाद बोर्ड को रिपोर्ट दी जायेगी जिसकी सिफारिशों पर सरकार विचार करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयकर विभाग म पदोन्नति

†५५९. **श्री नाथ पाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग में प्रथम श्रेणी की आयकर सेवा में भारतीय प्रशासन सेवा, आदि परीक्षाओं से और द्वितीय श्रेणी से पदोन्नति द्वारा प्रथम श्रेणी की सेवा में वर्ष १९४४ से १९६२ तक कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये ;

(ख) क्या यह सच है कि आय-कर सेवा में द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में वर्ष १९५७ तक पदोन्नत व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता परीक्षा से सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा तीन वर्ष की सेवा का लाभ दिया गया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पदोन्नत व्यक्तियों को दिये गये लाभ और सरकार द्वारा निश्चित कोटा नियमों के खिलाफ सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों ने अनेक अभ्यावेदन दिये हैं और वे कई वर्ष से अनिश्चत पड़े हैं और अभी तक उनके बारे में कोई अन्तिम निश्चय नहीं हुआ है ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६७**]

(ख) वर्ष १९५६ तक (१९५७ तक नहीं) प्रथम श्रेणी के आय कर अधिकारी के पद पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों को सम्बन्धित वरिष्ठता नियमों के अनुसार सीधे लिये गये व्यक्तियों की अपेक्षा वरिष्ठता का लाभ दिया गया है।

(ग) कुछ सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों ने विभागीय पदोन्नत व्यक्तियों को दी गई वरिष्ठता के खिलाफ और प्रथम श्रेणी के लिये पदोन्नति के खिलाफ अभ्यावेदन किये थे। उनमें से कुछ ने पंजाब उच्च न्यायालय में 'रिट पैटीशन' किया है जिनमें अन्य बातों के साथ ये बातें भी कहीं गई हैं।

सरकारी नौकरी में हरिजन

†५६०. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मन्त्रालयों तथा विभागों में इस समय प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के केन्द्रीय सरकार में कितने हरिजन (अनुसूचित जातियों कें, तथा अनुसूचित आदिम जातियों) नौकर हैं ; और

(ख) राज्यवार उनकी संख्या क्या है।

†**गृह कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मन्त्रालयों के आय व्ययक अनुदान

†५६२. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने तथा कौन से मन्त्रालय गत वर्ष के आय व्ययक के लिये स्वीकृत अनुदान का उपयोग नहीं कर सके हैं ; और

(ख) कितने मन्त्रालयों ने गत वर्ष के स्वीकृत अनुदानों को वापस लौटा दिया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) वर्ष के लेखे बन्द कर दिये जाने के बाद तथा नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा विनियोग लेखों को इकट्ठा करने और संसद् में पेश किये जाने के बाद स्वीकृत अनुदानों का उपयोग किये जाने की जानकारी मालूम होगी।

(ख) कुछ सचिवालयों समेत, १८ मन्त्रालयों तथा ८ विभागों ने गत वर्ष के लिये स्वीकृत अनुदान में से कुछ वापस लौटा दी है।

संगीत नाटक अकादमी

†**५६३. श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मन्त्री २३ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी के मन्त्री के खिलाफ गबन के कथित मामले के बारे में और कुछ नई बातों का पता लगा है ; और

(ख) सम्बन्धित व्यक्तियों से रकम को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर)** : (क) दिल्ली की एक अदालत में मुकदमा चल रहा है।

(ख) २२–४–१९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १२५ के भाग (ख) के उत्तर में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

हंगरी सरकार की छात्रवृत्तियां

†**५६४. श्री प० कुन्हन्** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अलुमीनियम तापीयता तथा जल विद्युत्, क्रेन और खान इंजीनियरिंग, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स, इंजीनियरिंग और रसायन इंजीनियरिंग के विशेष प्रशिक्षण के लिये हंगरी सरकार द्वारा दी गई पाँच छात्रवृत्तियों के लिये अभ्यर्थियों का चुनाव कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो चुनाव का क्या व्यौरा है ; और

(ग) चुनाव किस आधार पर कर दिया गया है।

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अंधों का प्रशिक्षण

†**५६५. श्री प० कुन्हन्** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्धों को प्रशिक्षण देने के लिये भारत में इस समय कितनी संस्थायें चालू हैं ?

(ख) गत पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष (अलग अलग) इन संस्थाओं में से कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर निकले हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रशिक्षार्थियों को रोजगार देने की कोई योजना बनाई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) गत पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने व्यक्तियों को नौकरियाँ दी गईं और कितने अन्य प्रशिक्षार्थी अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में अंधों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये लगभग ९४ संस्थायें हैं ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी हाँ । अपंग व्यक्तियों को काम दिलाने के लिये विशेष काम दिलाऊ दफ्तरों की स्थापना की योजना है ।

(घ) विशेष काम दिलाऊ दफ्तरों में अपंग लोगों को दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास में वर्ष वार निम्नलिखित नौकरियाँ दिलवाई हैं :—

काम दिलाऊ दफ्तर का नाम	वर्ष	नियुक्त व्यक्ति
१. बम्बई	१९५९–६०	८
	१९६०–६१	३
	१९६१–६२	९
	१९६२–६३	४
३०–६–१९६२ तक का जोड़		२४
२. दिल्ली	१९६१–६२	१०
	१९६२–६३	१७
जोड़		२७
३. मद्रास	१९५७–५८	२९
	१९५८–५९	११
	१९५९–६०	२९
	१९६०–६१	१५
	१९६१–६२	१०
जोड़		९४
कुल जोड़		१४५

बम्बई, दिल्ली तथा मद्रास के तीन काम दिलाऊ दफ्तरों में ३०–६–१९६२ तक २२१ व्यक्ति पंजीबद्ध थे ।

†मूल अंग्रेजी में

केरल ग्रन्थशाला संगम

†५६६. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचिबावा :

क्या शिक्षा मन्त्री ६ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६६० के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय सहायता के लिये केरल ग्रन्थशाला संगम, त्रिवेन्द्रम की प्रार्थना पर कोई निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हाँ, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

केरल ग्रन्थशाला संगम ने 'स्वेच्छिक शिक्षा संघों को सहायता' की योजना के अन्तर्गत निम्न पाँच परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुदान की प्रार्थना की थी । परियोजनाओं पर विचार किया गया और निश्चय किया गया जैसा प्रत्येक के सामने लिखा है और वह संगम को उससे सूचित किया गया ?

१. पुस्तकालय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संस्था

परियोजना को योजना के क्षेत्र में नहीं माना गया और इस प्रकार उसके लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता नहीं दी जा सकती ।

२. मलयालम भाषा में विवलोग्राफी बनाना

संगम को सलाह दी गई कि वह 'आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास' योजना के अन्तर्गत सहायता के लिये वैज्ञानिक अनुसन्धान और साँस्कृतिक-कार्य मन्त्रालय को प्रार्थना पत्र भेजे ।

३. पुस्तकालय विज्ञान और सामाजिक शिक्षा पर मलयालम में पुस्तकों का प्रकाशन

सामाजिक शिक्षा पर मलयालम में दो पुस्तकों के प्रकाशन के लिये ४००० के अनुमानित व्यय का ६० प्रतिशत के अनुसार २४०० रु० स्वीकृत किये गये । संगम से माँगी गई कुछ आवश्यक सूचना के प्राप्त होने पर अनुदान दे दिया जायेगा ।

४. ताल्लुका केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना

संगम और राज्य सरकार से पूछे गये स्पष्टीकरण का उत्तर आने पर परियोजना पर विचार किया जायेगा ।

५. पुस्तकालय गहन क्षेत्र योजना

परियोजना ताल्लुका पुस्तकालयों और सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यों का आयोजनकरता सा प्रतीत होता है और इस रूप में उस पर केन्द्रीय सहायता के लिये विचार नहीं किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोग्रा में जीवन बीमा कम्पनियां

†५६७. **श्री पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के जीवन बीमा निगम ने गोग्रा में चल रही सभी बीमा कम्पनियों के दायित्व ले लिये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इन कम्पनियों के कुल दायित्व कितने हैं ;

(ग) क्या इसने कार्यालय खोले हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो कितने कार्यालय खोले हैं ।

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) गोग्रा, दमन और दीव में रहने वाले उन भारतीय नागरिकों की कठिनाई दूर करने के लिये जिन्होंने आजाद कराने से पहिले भारत में पुर्तगाली बस्तियों की चल रही पुर्तगाली कम्पनियों के बीमा लिये थे, भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम के परामर्श से यह निश्चय किया है कि ऐसी पालिसियों को भविष्य में निगम चलायेगा। सरकार ने यह भी निश्चय किया कि राजनीतिक परिवर्तनों के कारणों प्रीमियमों के भुगतान में हुए विलम्ब को छोड़ दिया जायेगा बशर्ते कि बकाया सब राशियों का १ सितम्बर, १९६२ तक भुगतान कर दिया जाये। इसके अलावा यह भी शर्त है कि पालिसियाँ पूर्णतया चालू हों और १८ दिसम्बर, १९६१ को उनके प्रीमियमों का भुगतान अद्यतन रहा हो ।

(ख) इन कम्पनियों के कुल दायित्वों सम्बन्धी जानकारी जीवन बीमा निगम एकत्रित कर रहा है ।

(ग) हाँ, श्रीमान् ।

(घ) दो। एक शाखा कार्यालय पंजिम में और मरगाँव में एक छोटा दफ्तर खोला है।

'फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी मास्को'

†५६८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि 'फ्रेण्डशिप (लुमम्बा) युनिवर्सिटी, मास्को' को दाखिल हुए अधिकतर गैर-भारतीय विद्यार्थी सीधे स्कलों के हैं और उनकी योग्यता अपने भारतीय साथियों की अपेक्षा बहुत कम हैं ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप भारतीय विद्यार्थियों को वस्तुतः एक या दो वर्ष, जब तक कि उनके अन्य साथी उनके बराबर आयें, विशेषकर विज्ञान के विषयों में, नष्ट करने होंगे ; और

(ग) क्या उपरोक्त बात का ध्यान रखकर सरकार भारतीय विश्वविद्यालयों के स्नातकों तक ही उम्मीदवारों को सीमित रखने की वर्तमान नीति पर पुनः विचार करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) सरकार को विदित है कि विश्वविद्यालय ने प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता अन्तिम मध्यम स्कूल परीक्षा में सफलता निर्धारित की है, परन्तु विश्वविद्यालय में दाखिल किये गये गैर-भारतीय विद्यार्थियों की योग्यता की उसे कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) तथा (ग). भारतीय विद्यार्थी पहिले वर्ष में रूसी भाषा सीखते हैं । उनकी योग्यता का ध्यान रखकर पाठ्यक्रम से उन्हें एक वर्ष की छूट देने पर भी विचार किया जाता है । इस प्रकार, वर्तमान नीति को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

राजनीतिक बन्दी

†५६९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राजनीतक दलों को कार्यकर्ता जो सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ अनेक प्रयासों के सम्बन्ध में जेल जाते हैं, राजनीतिक बन्दी नहीं माने जाते ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अब भारत में राजनीतिक बन्दी की क्या परिभाषा है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अवकाश गृह

†५७०. **श्री स० मो० नर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा के असैनिक कर्मचारियों के लिए कुछ अवकाश गृह खोले जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां और कब ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा बनाई गई कर्मचारी कल्याण पुनरीक्षण समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि कुछ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश-गृह बनाये जाने चाहिये या नहीं । सरकार ने समिति की सिफारिश पर अभी तक कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया है । अन्तिम निश्चय होने पर इस मामले पर प्रतिरक्षा के असैनिक कर्मचारियों का विशेष ध्यान रख कर विचार किया जायेगा ।

परीक्षा परिणाम

†५७१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा क गे कि :

(क) इस वर्ष विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में परीक्षा परिणाम कितने प्रतिशत रहे;

(ख) गत वर्ष की तुलना में यह कितने प्रतिशत कम या अधिक रहे ; और

(ग) परीक्षा परिणामों में सुधार करने के लिये क्या कुछ विशेष यत्न भी किये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1555(Ai) LSD—5.

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग): सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

५७२. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विभूति मिश्र : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कुल कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन रह रहे हैं जो पारपत्र ले कर आये थे ;

(ख) राज्यवार उनकी संख्या क्या है ;

(ग) क्या सरकार को कुछ ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के बारे में जानकारी है जो पारपत्र की अवधि समाप्त हो जाने पर भी भारत में रह रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है उन्हें वापस भेजने के लिये क्या कावार्यही की जा रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

विज्ञान विषयों के लिये शब्दावली

†५७३. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री विभूति मिश्र : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान विषयों के लिए भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकीय शब्दावली का पुनरीक्षण हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख): वैज्ञानिक तथा टक्निकल शब्दावली के विख्यात वैज्ञानिकों तथा भाषाविदों का एक आयोग बनाया गया है और इसके कृत्य निम्न हैं :—

(क) दिनांक २७ अप्रैल, १९६० की गृह-कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या २-८-६०—ओ० एल० के साथ प्रकाशित राष्ट्रपति के आदेश के पैराग्राफ ३ में निर्धारित सिद्धान्तों का ध्यान रख कर वैज्ञानिक तथा टेक्निकल शब्दावली के संबंध में अब तक हुए कार्य का पुनरीक्षण करना ;

(ख) हिन्दी और अन्य भाषाओं में वैज्ञानिक और टेक्निकल शब्दावली के समन्वय तथा मूल्यांकन संबंधी सिद्धान्त बनाना ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) राज्य में राज्य सरकारों की अनुमति से या उनके कहने पर वैज्ञानिक तथा टेक्निकल शब्दावली के क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों द्वारा किये गये कार्य का समन्वय करना और संबंधित एजेंसियों द्वारा पेश की जाने वाली शब्दावलियों को हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रयोग किये जाने के लिए स्वीकार करना; और

(घ) आयोग निश्चित स्तर की ऐसी वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने जिनमें उसकी स्वीकृत शब्दावली का प्रयोग किया गया हो, वैज्ञानिक तथा टेक्निकल शब्द-कोषों का बनाने और विदेशी भाषाओं में वैज्ञानिक पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने का काम भी कर सकता है।

आयोग ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिन्दी में या बनाई गई वैज्ञानिक और टेक्निकल शब्दावली के पुनरीक्षण तथा समन्वय का कार्य आरम्भ कर दिया है। हाल में उन्होंने भौतिकी, रसायन और गणित में स्नात-स्तर तक की शब्दावली का समन्वय किया है।

हैवी इलैक्ट्रिकल प्लांट, भोपाल

५७४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **इस्पात और भारी** उद्योग मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल प्लांट में १९६१-६२ में बिजली के कितने ट्रांसफार्मर, स्टैटिक केपैसिटर और थरमल वेल्डिंग सेटों का निर्माण किया गया;

(ख) इन सेटों का कुल मूल्य कितना रहा और इन्हें बेचने से कितना लाभ अथवा हानि हुई; और

(ग) इस प्लांट में तैयार किये गये ट्रांसफार्मर विदेशी ट्रांसफार्मरों की अपेक्षा कितने मंहगे अथवा सस्ते पड़ते हैं, और क्या इन्हें विदेशों को निर्यात किया जा सकता है?

इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) १९६१-६२ में भोपाल स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल प्लांट में निम्नलिखित पूर्ण वस्तुओं का निर्माण किया गया :—

(१) पावर ट्रांसफारमर	२५ (संख्या)	
(२) कैपिसिटर	१४०० के० वी० ए० आर०	
(३) थरमल वैल्डर		कोई नहीं।

(ख) उपरोक्त वस्तुओं का अनुमानित विक्रय मूल्य ८,७७,१८० रुपये है। चूंकि लाभ या हानि लेखा समस्त निर्माण कार्यों जिन में पूरी तरह तैयार इकाइयां और चल रहे कार्य सम्मिलित हैं, के लिये बनाया जाता है, केवल उत्पादन विशेष के लिये ठीक-ठीक लाभ या हानि बतलाना सम्भव नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सीमा शुल्क और दूसरे खर्च के आयात को देखते हुए भोपाल कारखाने में निर्मित ट्रांसफार्मरों का मूल्य विदेशी संभारकों के कथित मूल्यों की तुलना में अच्छा है। अन्य देशों को इन ट्रांसफार्मरों के निर्यात का प्रश्न केवल तभी उत्पन्न होगा जब कि कारखाने में पर्याप्त उत्पादन क्षमता हो जायेगी।

प्राकृतिक गैस का उपयोग

†५७५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार द्वारा स्थापित की गयी समिति ने, जिसमें आयल इण्डिया का प्रतिनिधान है, प्राकृतिक गैस के उपयोग के प्रश्न का अध्ययन पूरा कर लिया है; और

(ख) समिति अपना प्रतिवेदन कब देगी ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दी० मालवीय) :** (क) १९-४-६२ को आसाम सरकार ने प्राकृतिक गैस पर आधारित परियोजनाओं के कार्य का समन्वय करने के लिये, ताकि उन को शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके, एक समिति स्थापित की।

(ख) यह पता नहीं है कि क्या समिति आसाम सरकार को एक औपचारिक प्रतिवेदन देगी।

कर्मचारी परिषदों की सिफारिशें

†५७६. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या वित्त मंत्री १३ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी परिषदों की सिफारिशें न मानने के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :** कर्मचारी परिषदों की सिफारिशें न मानने के कारण ये हैं :—

(क) द्वितीय वेतन आयोग ने १५० रुपये प्रति मास से कम वेतन पाने वाले चतुर्थ तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में किराये को १० प्रतिशत से घटा कर ७.५ प्रतिशत करने की सिफारिश की थी। वेतन आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गयी है और क्रियान्वित कर दी गयी है; और

(ख) निम्न श्रेणियों के कर्मचारियों के क्वार्टरों का किराया पहले ही बहुत सहायता प्राप्त है, कोई और रियायत देना संभव नहीं पाया गया।

जाली करेंसी नोट

†५७७. { **श्री वारियर :**
श्री मे० क० कुमारन् : }

क्या वित्त मंत्री ५ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौ रुपये वाले जाली नोटों के संसाधनों का पता चल गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). पहले पकड़े गये १०० रुपये वाले पांच जाली नोटों में से चार के बारे में मामले पुलिस ने दबा दिये हैं क्योंकि उन का पता नहीं चला और पांचवें मामले की अभी छान बीन की जा रही है।

मिनिकोय द्वीप समूहों में चूहों का आतंक

†५७८. श्री अ० व० राघवन् : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मिनिकोय द्वीपसमूहों में चूहों द्वारा नारियल की फसल को नष्ट किये जाने का पता है;

(ख) इस समस्या के समाधान के लिये सरकार क्या उपाय करेगी; और

(ग) वर्ष १९६२–६३ में इस कार्य के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गयी है ?

†गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) (१) समय समय पर चूहों का पकड़ना।

(२) उत्पादकों को निःशुल्क चूहे मारने का जहर देना।

(३) चूहेदानों का संभरण, और उत्पादकों को बहुत कम दाम पर टीन की चादरें देना ताकि वे चूहों को वृक्षों पर चढ़ने से रोकने के लिये नारियल के वृक्षों को ढ़क दें।

(ग) वर्ष १९६२–६३ में नारियल के बागानों से चूहों को भगाने के लिये २५,५०० रुपये की धनराशि खर्च की जायेगी।

अखिल भारत खेल-कूद परिषद्

†५७९. श्री प्रभात कार : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारत खेल-कूद परिषद् ने जकार्ता जाने के लिये भारतीय खिलाड़ियों का चयन करने के लिये बंगलौर में परीक्षात्मक खेल-कूद में पर्यवेक्षकों के रूप में अपने तीन सदस्य भेजे हैं;

(ख) क्या इस परीक्षा में देश के सभी कलाप्रेमी खिलाड़ियों को आने का अवसर दिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो अखिल भारत खेल-कूद परिषद् ने सभी खेल-कूद यूनिटों को एक साथ करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ताकि भारत जकार्ता में सर्वोत्तम खेल प्रदर्शित कर सके ?

†शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के कलाप्रेमी खेल-कूद फैडेरेशन से सम्बद्ध यूनिटों द्वारा भेजे गये सभी खिलाड़ियों को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गयी।

(ग) इस का सम्बन्ध भारतीय ओलम्पिक संघ से है। अखिल भारत खेल-कूद परिषद् निकट से ध्यान देती रही है और केवल उन मदों में भाग लेने के लिये सहायता की सिफारिश करती रही है जिनमें भारतीय खिलाड़ी नाम पा सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

विकलांग बच्चे

†५८०. **डा० उ० मिश्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क ने जो सर्वेक्षण किया है उस से यह पता चलता है कि शहरों की अपेक्षा ग्रामों में विकलांग बच्चों की संख्या अधिक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि विकलांग संस्थाओं में रहने वालों के लिये न तो उन के पास पर्याप्त स्थान है और न उन को कुछ सुविधायें ही दे पाती हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा०का०ला० श्रीमाली):** (क) जो सर्वेक्षण किया गया है वह मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में ही किया गया है। अतः इस से ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में कोई निश्चित स्थिति का पता नहीं चल सकता ।

(ख) सर्वेक्षण के समय दिल्ली की विकलांग संस्थाओं का अध्ययन नहीं किया गया।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान स्टील रांची के कर्मचारी

†५८१. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री कुन्हन् : }

क्या **इस्पात, तथा भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील, रांची के कर्मचारियों के लिये भी द्वितीय वेतन आयोग का फैसला लागू किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्):** (क) तथा (ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने केन्द्रीय कर्मचारियों को जो लाभ हुए हैं उसी आधार पर अपने कर्मचारियों के वेतनक्रम तथा मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय १ जुलाई, १९६२ से किया है।

उर्वरक तथा मशीन टूल्स उद्योग आदि

†५८२. { **श्री यलमन्दा रेड्डी :**
श्री ईश्वर रेड्डी : }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से अत्यावश्यक उद्योगों ने, जैसे उर्वरक, मशीन टूल्स, स्टील ढलाई, विशेष अलाय जो गैर-सरकारी क्षेत्र में खोले गये थे कोई उन्नति नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) मशीन टूल्स ने तो काफी प्रगति की है । बाकी शेष उद्योगों की प्रगति धीमी है ।

(ख) उर्वरक परियोजना पर २० करोड़ की लागत खर्च होगी जिसमें से आधी राशि विदेशी विनिमय की है । विदेशी सहयोग पाने के लिये ताकि अच्छे प्रविधिक मिल सकें, अनुज्ञप्तियां प्राप्त करना शेष है । इस पर काफी खर्चा होगा । अभी हाल में ही यह उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्रों को दिया गया है । फिर कच्चे सामान के संभरण का भी प्रश्न है । ऐसी स्थिति में दूसरे क्षेत्रों का सहयोग पाने में कुछ तो समय लगता ही है ।

स्टील ढलाई के काम को जो प्रगति नहीं हुई है उस के कई कारण हैं । पहला कारण तो यह है कि विदेशी सहयोग नहीं मिल सका । यह काम कठिन है । और अनुज्ञप्ति धारियों ने काम करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी है ।

अलाय स्टील का काम प्रविधिक है और विदेशी सहयोग प्राप्त करने में ही काफी समय लग गया । इसमें खर्चा भी काफी होगा और अधिकतर विदेशी विनिमय । फिर भी ३१५.२०० टन विशेष अलाय की अनुज्ञप्ति मिल गई है । विदेशी विनिमय देने के लिये इस उद्योग को उच्च प्राथमिकता दी गई है ।

(ग) सभी अनुज्ञप्तिधारी परियोजना पर सरकार सावधानी से विचार कर रही है । और हर संभव यह प्रयत्न किया जा रहा है कि इन परियोजनाओं का काम आगे बढ़े इन सभी योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी गई है ।

पोलैण्ड से ऋण

†५८३. { **श्री यलमन्दा रेड्डी :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड सरकार ने तीसरी योजना की शेष अवधि में अतिरिक्त ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की पेशकश की गई है; और

(ग) किन परियोजनाओं के लिये ?.

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). अग्रेतर सहायता के बारे में पोलैंड के प्राधिकारियों के साथ कुछ प्रारम्भिक बातचीत हुई है और इस संबंध में एक भारतीय दल के शीघ्र ही पोलैंड जाने की संभावना है ।

कोठागुडियम में इस्पात संयंत्र

†५८४. **श्री यलमन्दा रेड्डी :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के खम्मन जिला में कोठागुडियम में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न की जांच एक प्रविधिक समिति द्वारा की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में समिति का प्रतिवेदन क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी हां। भारत सरकार ने एक प्रविधिक समिति नियुक्त की है जो एक कच्चा लोहा संयंत्र की स्थापना--बाद में स्थानीय तौर पर कच्चे माल की उपलब्धि के आधार पर आंध्र प्रदेश के विविध स्थानों पर इस्पात संयंत्र की स्थापना की संभावना के साथ--की संभाव्यता के बारे में विचार कर रही है।

(ख) प्रविधिक समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर के समीप सीमेंट फैक्टरी

†५८५. **श्री यलमन्दा रेड्डी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने, राज्य के गुंटूर जिले में नागार्जुनसागर के समीप सरकारी क्षेत्र में एक सीमेंट फैक्टरी स्थापित करने की अनुमति देने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

†५८६. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही नहीं है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने का काम योजना के अनुसार नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में उत्पादन कई बार, कुछ कठिनाइयों, जैसे खुले मुंह की भट्ठियों के नीचे मैल जमा हो जाना, बौक्स वैगनों को भरने की अपर्याप्त सुविधाओं आदि के कारण निर्धारित लक्ष्यों से, कम हो गया है। तथापि इन कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है।

खारी पानी

५८७. **श्री तन सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई के काम में प्रयुक्त करने के लिये खारी पानी के सुधार सम्बन्धी कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कहां और कब से;

(ग) इस कार्य पर अब तक क्या खर्च हुआ है; और

(घ) अनसंधान से क्या कोई परिणाम निकले हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर) :(क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). सवाल पैदा नहीं होता ।

राज्यों को ऋण

†५८८. **श्री मोरारका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि के पहले दो वर्षों में विविध राज्यों को कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने उन कामों के लिये ऋणों का उपयोग किया, जिन के लिये ऋण दिये गये थे; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन ऋणों पर क्या ब्याज लिया है ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सिलीगुड़ी और गौहाटी के बीच पाइप लाइन

†५८९. **श्री मुरारका :**
श्री अ० क० कुमारन :
श्री हेम राज :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलीगुड़ी और गौहाटी के बीच उत्पाद पाइप लाइन बिछाने का फैसला किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पाइप लाइन कितनी लम्बी होगी और अनुमानित लागत कितनी आयेगी;

(ग) क्या किसी फर्म को ठेका दे दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो कब ठेका दिये जाने की संभावना है ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (घ). मैसर्स बेचटेल कार्पोरेशन कैलीफोर्निया (अमरीका) को (लगभग २७० मील लम्बी) सिलीगुड़ी—गौहाटी पाइपलाइन परियोजना की परियोजन रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है । परियोजना रिपोर्ट का परीक्षण किये जाने के पश्चात् इस मामले में अन्तिम निर्णय किया जायेगा । पाइप लाइन की लम्बाई, अनुमानित लागत और अन्य ब्योरा तभी दिया जा सकता है जब परियोजना रिपोर्ठ का परीक्षण पूरा हो चुके ।

उर्वरक संयंत्र

†५९०. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रत्येक उर्वरक संयंत्र की विस्तारपूर्वक समीक्षा की जानी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में लाइसेंस दी गई उर्वरक फैक्टरियों की स्थापना सम्बन्धी की गई प्रगति

†मूल अंग्रेजी में

की लगातार देखभाल की जाती है। प्रगति की समीक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदनों में दर्ज की जाती है जिसकी प्रतियां संसद् के बजट सत्र में सभा को दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त उर्वरक निगम समिति के प्रभार में जो सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं होती हैं उनकी प्रगति की समीक्षा भी निगम के वार्षिक प्रतिवेदनों में शामिल की जाती है जिस की प्रतियां जब तैयार होती हैं सभा पटल पर रखी जाती हैं। उर्वरक निगम समिति के निदेशक मंडल में प्रशासी मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि निदेशक के रूप में होते हैं जो निगम के मामलों तथा इसकी प्रत्येक इकाई के कार्यों के साथ लगातार और अविरल सम्बन्ध बनाये रखते हैं।

त्रिपुरा में सहकारी संस्थाएं

†५९१. **श्री दशरथ देब** : क्या गृह-कार्य मंत्री १४ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी समिति ने, पुनर्वास केन्द्रों द्वारा चलाई जाने वाली त्रिपुरा की प्रत्येक सहकारी संस्था के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में अपने निष्कर्षों के बारे में त्रिपुरा प्रशासन को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) सरकार उन अनियंत्रित संस्थाओं की हालत को सुधारने के लिये क्या उपाय करने का विचार करती है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) अभी तक नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस का विचार किया जायेगा।

त्रिपुरा में पाकिस्तानियों द्वारा तस्कर व्यापार

†५९२. **श्री दशरथ देब** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अप्रैल और जून, १९६२ के महीनों में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की कोई सूची प्राप्त हुई है जिनके बारे में शिकायत है कि वे वैध पारपत्रों और वीजा के बिना कुरती बाजार में लगातार ठहरते हैं और तस्कर व्यापार करते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) वे कितने व्यक्ति हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा के व्यापारी

†५९३. **श्री दशरथ देब** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के व्यापारियों को राजशाही की घटनाओं के पश्चात् बरास्ता पाकिस्तान माल भेजने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उनके परिवहन की मात्रा में कमी हो गई है;

(ग) यदि हां, तो किस मात्रा तक; और

(घ) यदि हालत को सुधारने के लिये कोई उपाय किया गया है तो क्या ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). सवाल पैदा नहीं होते ।

अब्दुल नबी की मस्जिद नई दिल्ली

†५६४. { **श्री दशरथ देव :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मथुरा रोड, नई दिल्ली की अब्दुल नबी की मस्जिद को रक्षित स्मारक मानने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्रालय म उपमन्त्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) पुरातत्वीय सर्वेक्षण के पास काम बहुत अधिक है । इसलिये, क्योंकि यह स्मारक बहुत कम महत्व का है, इसे कुछ शर्तों के अधीन, जिन में एक शर्त यह होगी कि मस्जिद का प्रबन्ध पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के परामर्श से किया जायेगा, एक गैर-सरकारी संगठन को सौंपने का विचार है ।

हिन्दू धार्मिक न्यास समिति की रिपोर्ट

†५६५. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आज़ाद :

क्या **विधि** मंत्री १८ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दू धार्मिक न्यासों के बारे में जांच करने वाली समिति ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उक्त समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बी० मिश्र) : (क) और (ख). हिन्दू धर्मस्व आयोग की रिपोर्ट १० अगस्त, १९६२ को सदन के पटल पर रखी गई है । सरकार रिपोर्ट पर विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

संसद् सदस्यों के फ्लैटों में चोरियां

५९६. { श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या गृह-कार्य मंत्री २३ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नॉर्थ एवेन्यू व साउथ एवेन्यू में संसद् सदस्यों के फ्लैटों में चोरियों की रोक-थाम के लिये जो कदम उठाये गये थे उन से स्थिति में कहां तक सुधार हुआ है ; और

(ख) पिछली चोरियों का पता लगा कर दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिलाने में कहां तक सफलता मिली है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार): (क) १९६२ के मई, जून और जुलाई महीनों के दौरान नॉर्थ और साउथ एवेन्यू में संसद् सदस्यों के निवास स्थानों में चोरी और सेंधमारी के पांच मामलों की सूचना मिली जबकि १९६१ में तत्सम अवधि में १५ मामले दर्ज किये गये थे ।

(ख) अभी तक सिर्फ कुछ ही मामलों में सजा कराई जा चुकी है ।

पश्चिम बंगाल को सहायता

†५९७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायता व्यय के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सरकार की सहायता के आधार पर हाल में परिवर्तन हुआ है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप, अब यह व्यय ५० प्रतिशत के आधार पर नहीं होगा ;

(ग) यदि हां, तो यह परिवर्तन करने के क्या का आधार है; और

(घ) क्या इस का तीसरी योजना में पश्चिम बंगाल की परियोजनाओं पर कुप्रभाव पड़ेगा ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** :(क) जी नहीं । तथापि सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अफसरों के दल की इस सिफारिश को, स्वीकार कर लिया है, जिस के हाल में ही राज्य का दौरा किया था, कि राज्य सरकार द्वारा किया गया सहायता व्यय के अधिक भाग का प्राकृतिक आपदाओं के होने से सम्बन्ध नहीं होता, इसलिये वह उन के निर्धारित ढांचे के अन्तर्गत सहायता के लिये योग्य नहीं है ।

(ख) से (घ). सवाल पैदा नहीं होते ।

भारतीय वैज्ञानिक

†५९८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय वैज्ञानिकों के पुंज को बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) और (ख). पंज की शक्ति जून १९६२ में ३०० से ५०० तक बढ़ा दी गई है।

पूर्व-विश्वविद्यालय श्रेणियां

†५९९. श्री उमानाथ : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि विविध राज्यों में पूर्व-विश्वविद्यालय श्रेणियों में असफलताएं पिछले वर्षों की अपेक्षा १९६१-६२ के शैक्षिक वर्ष में अधिक थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या असफलताओं की अधिक प्रतिशतता के कारणों का पता लगाया गया था ;

(ग) क्या यह सही है कि विविध राज्यों में पूर्व-विश्वविद्यालय श्रेणियों में ये असफलताएं इस कारण हैं कि अचानक प्रादेशिक भाषाओं से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं तो उपरोक्त (ग) में उल्लिखित कारण किन राज्यों के बारे में लागू होता है और इस कठिनाई को दूर करने के लिये किन उपायों का विचार किया गया है ?

†शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (घ). १९६२ में हुई प्राक्-विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों सम्बन्धी सांख्यकीय सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। तथापि परिणामों की जांच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मानक समिति द्वारा की जायेगी, यदि १९६२ में (शैक्षिक वर्ष १९६२-६३) के लिये की गई प्राक्-विश्वविद्यालय परीक्षा के परिणाम पिछले वर्षों के परिणामों की अपेक्षा अधिक खराब रहते है।

प्राक् विश्वविद्यालय श्रेणियों की परीक्षा

†६००. श्री उमानाथ : क्या शिक्षा मंत्री यह निम्न सूचना देने वाले एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(१) शैक्षिक वर्ष १९६१-६२ में प्राग-विश्वविद्यालय श्रेणियों की परीक्षा में राज्यवार कुल कितने विद्यार्थी बैठे ;

(२) उक्त वर्ष में प्रत्येक राज्य में कितने विद्यार्थी अर्ह घोषित किये गये ;

(३) प्रत्येक राज्य में जो बैठे उनकी तुलना में कितने प्रतिशत पास हुए ; और

(४) शैक्षिक वर्ष १९६०-६१ में पास होने वालों की तुलना में ये कम हैं या अधिक ?

†शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (१) से (४). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

निवेली लिग्नाइट

†६०१. श्री उमानाथ : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सलेम लोह अयस्क और निवेली लिग्नाइट के आधार पर इस्पात संयंत्र के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये प्रविधिक सलाहकार नियुक्त किये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वे सलाहकार कौन हैं ;

(ग) वे किन शर्तों पर नियत किये गये हैं और सब सम्बद्ध ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उनको कब तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है और उन्हें किन बातों के बारे में सिफारिशें करनी हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) से (घ). मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी, फर्म को निवेली लिग्नाइट और सलेम या अन्य लोह अयस्कों के आधार पर एक इस्पात संयंत्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये नियुक्ति का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है । रिपोर्ट के क्षेत्र सम्बन्धी ब्यौरा और अन्य शर्तें तथा निबंधन अभी तै नहीं हुये हैं।

जीवन बीमा निगम के पालिसी होल्डरों के अनिर्णीत दावे

†६०२. **श्री शा० नं० चतुर्वेदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के पालिसी होल्डरों के कितने दावे (१) दो वर्षों से अधिक, (२) एक वर्ष से ऊपर, (३) छः महीनों से ऊपर और (४) तीन महीनों से ऊपर के अनिर्णीत और बकाया पड़े हैं ;

(ख) दावों के हल होने और भुगतान में विलम्ब होने के कारण क्या हैं ; और

(ग) दावों के निपटाने में कितना औसत वक्त लगता है ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हाई औक्टेन पेट्रोल का संयंत्र

†६०३. **श्री हेम बरुआ** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात राज्य में हाई-औक्टेन पेट्रोल प्राप्त करने के लिये एक संयंत्र स्थापित करने का विचार करती है ;

(ख) क्या यह सही है कि इस स्थापना का डिजाइन रूसी इंजीनियरों द्वारा किया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे संयंत्र प्राप्त करने के लिये अन्य देशों से पूछताछ की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) गुजरात तेल शोधन कारखाने में एक एकांश से आशा है कि वह एक प्लैटफार्मर होगा, जो स्ट्रेट-इन मोटर स्प्रिट फ्रक्शन के आक्टेन रेटिंग को ऊंचा उठाने के लिये किया गया है ।

(ख)) इस का डिजाइन रूसी दल द्वारा, भारत-रूस करार के निबंधनों के अनुसार समुद्री तेल शोधन परियोजना के डिजाइन के तौर पर डिजाइन किया जा रहा है ।

(ग) और (घ). सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय भाषाओं की लिपि

†६०४. **श्री भक्त दर्शन :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में २७ मई से ६ जून, १९६२ तक अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल के तत्वावधान में पच्चीस विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के प्रतिनिधि विद्वानों ने एक विशेष गोष्ठी में एकत्र होकर यह मत व्यक्त किया था कि देश की सभी भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव को कार्यान्वित करने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) उन प्रयत्नों को अब तक कहां तक सफलता मिली है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० श्रीमाली) (क) से (ग). विवरण संलग्न हैं ।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन के भारतीय स्कूल ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तथा प्रादेशिक अध्ययनों के विषय पर २७ मई से ५ जुन, १९६२ तक बंगलौर में एक सेमिनार का आयोजन किया था । "एशिया में उभरती हुई प्रवत्तियों और शैलियों पर चर्चा करते हुए दो या तीन वक्ताओं ने यह सुझाव दिया कि समान लिपि होने से विभिन्न भाषाओं के अध्ययन में सुविधा होती है जिसके फलस्वरूप विभिन्न दलों को एक दूसरे को समझना भी आसान हो जाता हैं । समिनार ने किसी भी विषय पर कोई संस्ताव पारित नहीं किया ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

६०५. **श्री भक्त दर्शन :** क्या गृह-कार्य मंत्री २८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद हाई कोर्ट में शेष मुकदमों को निपटाने के लिये जो छः अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किये गये थे उनकी नियुक्ति के बाद स्थिति में कहां तक सुधार हुआ हैं ; और

(ख) और न्यायाधीश नियुक्त करने के, जिस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था उसके बारे में क्या निश्चय किया कया है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) :** (क) कुछ मामलों में कोई कमी नहीं हुई है क्योंकि निपटाये गये मामलों का अनुपात दर्ज किये गये मामलों के समान नहीं हो सका ।

(ख) और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं ।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी

६०६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री १८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आफ इंडिया) के जिन कर्मचारियों को ऊंचे पर्वतों, सीमावर्ती

---

†मूल अंग्रेजी में

क्षेत्रों और संकटपूर्ण इलाकों में काम करना पड़ता है, उन्हें विशेष भत्ता देने और उनकी विशेष रूप से रक्षा करने के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० म० मो० दास) :** कुछ खास भत्ते देने के प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन हैं । ज्यादा ऊंचाइयों, सीमावर्ती क्षेत्रों और खतरनाक इलाकों में काम करने वालों की हिफ़ाज़त के लिए अभी तक निम्नलिखित इंतजाम किए गए हैं :—

(एक) ऐसे स्थानीय असैनिक और सैनिक अधिकारियों द्वारा सामान्य सुरक्षात्मक कार्यवाहियों की जा रही हैं जिनका भारतीय सर्वेक्षण विभाग से निकट का सम्बन्ध है।

(दो) ऐसी खास दवाइयां, कपड़े और औज़ार वगैरा दिये गय हैं जिनकी इन इलाकों में जरूरत पड़ती है ।

सीमेंट के दाम

†६०७. **श्री हेम राज :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सीमेंट निश्चत दामों पर बाजार में नहीं मिलता और चोर-बाजारी में अधिक मूल्य पर बिक रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) और (ख) : जनता के उपयोग के लिये सीमेंट स्टाक व्यापारियों के द्वारा दिया जाता है ; और जिनको, अधिकांश राज्यों में, राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंस मिल जाते हैं और जो राज्य सरकारों द्वारा नियत खुदरा दामों पर सीमेंट बेचते हैं । अधिकांश राज्यों में सीमेंट उपभोक्ताओं को राज्य प्राधिकारियों द्वारा दिये गये परमिटों पर मिलता है । राज्य सरकारों को भी कारंवाई करने की शक्ति होती है यदि सीमेंट अधिक दामों पिर बिकता है । अब जो भंडारन की अवस्था है उसमें तथा, अत्यावश्यक परियोजनाओं को प्रपत्र तुलनात्मक अग्रेतर की दृष्टि से, स्टाकधारियों को सीमेंट के नियतन से समय समय पर सामान्य जनता की पूरी मांग पूरी होने पर निकालना नहीं है। इससे कम या देर से संभरण होने की संभावना है । इन हालात में, प्राय: गड़बड़ें होती हैं । राज्य सरकारें इन बुराइयों को दूर करने के लिये अपना भरसक प्रयत्न कर रही है

शिक्षा मन्त्रालय में संगठनात्मक परिवर्तन

†६०८. **श्री यशपाल सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शिक्षा और परामर्श दने के कार्य की ओर अधिक ध्यान दे सकें इसके लिये कदम उठाये जा रहे हैं और इस लक्ष्य की पूर्त्ति के लिये कुछ संगठनात्मक परिवर्तन किये जा रहे है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां ।

(ख) यह एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसके लिये बराबर सिंहावलोकन करना आवश्यक होता है । अतीत में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जिनमें मंत्रालय के उच्च अधिकारियों को

---

†मूल अंग्रेजी में

प्त शक्तियां और उनके कार्य कनिष्ठ अधिकारियों को सौंपना, पहले मंत्रालय द्वारा किये जाते रहे कार्यपालिका के काम निबटाने के लिये अधीनस्थ और स्वशासी संगठनों की स्थापना और उच्च अधिकारियों को कम महत्वपूर्ण कामों से मुक्त करने के लिये मंत्रालय में किये गये संगठनात्मक परिवर्तन शामिल हैं। हाल में उठाया गया एक कदम शिक्षा अनुसन्धान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना है। शिक्षा क्षेत्र में स्वेच्छा से काम कर रहे संगठनों से आर्थिक सहायता के लिये प्राप्त आवदनों पर कार्यवाही करने के लिये एक अनुदान समिति एकक स्थापित करने का निश्चय किया गया है। इस एकक की स्थापना का उद्देश्य मंत्रालय के विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों का, जिन्हें आवेदनों की जांच आदि के सिलसिले में काफी काम करना पड़ता है, कार्यभार हल्का करना है।

सैनिकों का राशन

†६०९. { **श्री अ० व० राघवन् :**
　　　　श्री अ० क० गोपालन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक सैनिक को उसके राशन के लिये प्रतिमास चटनी के मूल्य के तौर पर केवल ७५ नये पैसे दिये जाते हैं ;

(ख) यह राशि किस वर्ष में निर्धारित की गई है ; और

(ग) क्या इस भत्ते में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) इस समय निम्नलिखित दरों से चटनी भत्ता दिया जाता है :—

(२) बड़े यूनिट जिनमें ५० से अधिक सैनिक हैं	०.७५ नये पैसे प्रति व्यक्ति प्रति मास
(२) छोटे यूनिट जिनमें ५० या ५० से कम सैनिक हैं	१.०० रु० प्रति व्यक्ति प्रति मास

(ख) ०.७५ नये पैसे का चटनी भत्ता १९४६ में पहले पहल निर्धारित किया गया था। बाद में इसमें संशोधन किया गया और १ दिसम्बर, १९५८ से छोटे यूनिटों को, जिनमें ५० या ५० से कम सैनिक हों, प्रति मास प्रति व्यक्ति के लिये १ रु० का भत्ता दिया जाने लगा।

(ग) जी, नहीं।

जवानों की तरक्की

†६१०. { **श्री अ० व० राघवन् :**
　　　　श्री अ० क० गोपालन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुनियादी हिन्दी परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के कारण कितने जवानों की तरक्की रोक दी गई है; और

(ख) क्या इस नियम को शिथिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) सभी जवानों को सेवा के दौरान शिक्षा दी जाती है जिसमें हिन्दी की शिक्षा शामिल है। उनकी तरक्की सेना के शिक्षा सम्बन्धी प्रमाणपत्रों जैसी

---

†मूल अंग्रेजी में

विहित शिक्षा अर्हताओं पर निर्भर करती है। जवान इन प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने के लिये परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकें इसके लिये शिक्षा के पाठ्यक्रम विहित हैं। इन पाठ्यक्रमों का माध्यम देवनागरी लिपि में हिन्दी है और इन परीक्षाओं में हिन्दी की परीक्षा भी शामिल है जिसका माध्यम भी देवनागरी लिपि में हिन्दी है। प्रत्येक जवान को हिन्दी की आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिये उचित सुविधायें दी जाती हैं और हिन्दी परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के कारण तरक्की रोक लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ख) सरकार के समक्ष वर्तमान प्रणाली में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी नहीं।

मनीपुर में कर अपीलीय प्राधिकार

*६११. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त मनीपुर का कर आयुक्त मनीपुर में इस समय लागू आसाम बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत एकमात्र अपीलीय प्राधिकार है जब कि न्यायदान के लिये आसाम व अन्य राज्यों में अपीलीय प्राधिकार के कई प्रक्रम हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा की जाने वाली है?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) यह सच है कि मनीपुर में कर आयुक्त इस राज्य-क्षेत्र में एकमात्र अपीलीय प्राधिकार है।

(ख) मनीपुर एक जिले वाला राज्य-क्षेत्र होने के कारण वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है।

राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां

†६१२. { **श्री रिशांग किशिंग** :
श्री हेम राज :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में गरीब किन्तु गुणवान छात्रों को उच्च शिक्षाप्राप्त करने के लिये छात्रवृत्तियां देने हेतु कुल कितनी राशि की व्यवस्था की गई और कुल कितनी छात्रवृत्तियां दी गइ; और

(ख) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र को कितनी छात्रवृत्तियां दी गई?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६८]

मनीपुर में सरकारी क्वार्टर

†६१३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में लाम्फेल पेट में सरकारी क्वार्टरों और इमारतो के निर्माण पर अब तक कितना धन खर्च हुआ है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या लाम्फेल पेट में बनाई गई प्रत्येक इमारत हाल में आई बाढ़ से जलमग्न हुई थी ;

(ग) यदि इमारतों को कोई क्षति पहुंची हो तो वह कितनी है ; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या उपाय करने का इरादा है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) २६.७० लाख रु० ।

(ख) से (घ). लाम्फेल पेट में १६ इमारतें बनाई गई हैं तथा ८३ क्वार्टरों के ब्लाक बन गये हैं या बनाये जा रहे हैं । १९६१ के जून के महीने में जो भीषण बाढ़ आई थी उसमें इनमें से कुछ इमारतें नींव की दीवार तक पानी में डूब गईं किन्तु कोई विशेष क्षति नहीं पहुंची । इन इमारतों को बाढ़ के दौरान जलमग्न होने से बचाने के लिये पानी की निकासी की एक योजना बनाई गई है और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है ।

परीक्षा प्रणाली

†६१४. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बड़ौदा विश्वविद्यालय ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिये अग्रिम परियोजनायें तैयार और प्रस्तुत की हैं ; और

(ख) विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के बारे में सिफारिशें करने के लिये नियुक्त शिक्षा शास्त्रियों की समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के बारे में परामर्श देने के शिक्षा शास्त्रियों की जो समिति नियुक्त की थी उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है । समिति की सिफारिशें विश्वविद्यालयों को उनकी राय जानने के लिये भेज दी गयी हैं और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पंजाब के लिये कोयला

†६१५. { **श्री राम रतन गुप्त** :
महाराज कुमार विजय आनन्द :

खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार को काश्मीर स्थित कालाकोट खानों से कोयला प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जम्मू और काश्मीर सरकार के पास कालाकोट खानों में लगभग २५,००० टन कोयले का स्टाक है । पंजाब सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

ने इस कोयले को सड़क परिवहन के जरिये ले जाने की अनुमति मांगी थी और भारत सरकार ने उसे अनुमति दे दी है ।

सायंकालीन कालिज

†६१६. { **श्री राम रतन गुप्त :**
महाराज कुमार विजय आनन्द :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने और सायंकालीन कालिज खोलने का निर्माण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये विभिन्न राज्यों को कितना धन दिया गया है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा देने के पाठ्यक्रम तथा सायंकालीन कालिजों की योजना ब्योरा तैयार करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने सायंकालीन कालिजों के बारे में अपने विचारों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जकार्ता में एशियाई खेल

†६१७. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ओलम्पिक संस्था ने जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में भाग लेने हेतु भारतीय दल भेजने के लिये आर्थिक सहायता दिये जाने का अनुरोध किया है ;

(ख) कितना धन मंजूर किया गया और क्या इसमें भारतीय दल के मैनेजरों तथा दल के साथ जाने वाले अन्य लोगों के खर्च की व्यवस्था है ; और

(ग) दल में कितने खिलाड़ी हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय ओलम्पिक संस्था को देने के लिये १,५१,०१२.०० रुपये का राशि मंजूर की गई है और इसमें मैनेजरों आदि का खर्च शामिल है ।

(ग) एक दल-प्रमुख, ७१ खिलाड़ी, ६ अन्य अधिकारी और एक रसोइया

लेवपारगैल चोटी पर सेना का अभियान

†६१८. { **महाराज कुमार विजय आनन्द :**
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पिति स्थित लेवपारगैल चोटी पर चढ़ने के लिये इस वर्ष सेना द्वारा कोई अभियान किया गया था ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी, हां ।

(ख) रिवो फारगुएल आरोहण का अभियान सेना पर्वतारोहण संस्था के तत्वावधान में किया गया था । यह चोटी (२२,००० फुट) हिमाचल प्रदेश में शिपकी-ला दर्रे के निकट स्थित है । आरोहण दल में सेना के निम्नलिखित पांच अधिकारी थे :—

१. कैप्टन पी० एस० बख्शी (मुखिया)

२. कैप्टन जे० एन० वधवा

३. कैप्टन के० पी० शर्मा

४. ले० एच० बहुगुना

५. ले० वाई० भार्गव ।

यह दल शिमला से ७ जून, १९६१ को रवाना हुआ । २० जून, १९६२ को दल के मुखिया कैप्टन बख्शी कैप्टन जे० एन० वधवा और दो शेरपा को लेकर कैम्प २ के लिये उपयुक्त स्थान खोजने के लिये कैम्प १ (१९,००० फुट) से रवाना हुए । लगभग २१,००० फुट की ऊंचाई पर कैम्प २ के लिये स्थान निश्चित करने के बाद दल ने उतरना शुरू किया । दृश्यता बहुत खराब थी और ४–१५ म० प० बजे कैप्टन बख्शी कड़ी बर्फ पर से फिसल गये और उनके साथ रस्सी से बंधे ३ लोग भी फिसले कैप्टन बख्शी तथा दो शेरपा को सिर में जबर्दस्त चोटें आईं और वे घटनास्थल पर ही मर गये । कैप्टन वधवा, जो बच गये थे, १५ मिनट तक बेहोश रहे ।

मृत व्यक्तियों को २१–६–१९६१ को २०,००० फुट की ऊंचाई पर आरोहण करने वालों की परम्परा के अनुसार दफना दिया गया ।

इस दुखद घटना के बाद यह अभियान समाप्त कर देना पड़ा और शेष सदस्य पहाड़ से सकुशल लौट आये ।

नागा विद्रोही

†६१९. श्री राम रतन गुप्त : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३ जुलाई, १९६१ को तीन नागा विद्रोहियों का सुरक्षा सैनिकों से संघर्ष हुआ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन): ३ जुलाई, १९६१ को नागा विद्रोहियों के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई । किन्तु, उस दिन निम्न दो घटनायें हुईं :—

(१) कुछ विद्रोहियों ने (जिनकी संख्या ज्ञात नहीं है) दिमापुर—कोहिमा सड़क पर कुछ वाहनों के समूह पर गोली चलाई । इसके बाद हमारे सुरक्षा सैनिकों ने गोली चलाई ।

(२) आसाम राइफल्स के कुछ सैनिकों की फेक से उत्तर-पूर्व में १८½ मील दूर स्थित क्षेत्र में ४० विद्रोहियों से मुठभेड़ हुई । दोनों तरफ से गोलियां चलाई गईं ।

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय कृषि सेवा

†६२०. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में अधिक अच्छे और अधिक समेकित प्रशासन के लिये एक अखिल-भारतीय कृषि सेवा निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय अथवा किसी अन्य सरकारी अभिकरण ने गृह-कार्य मन्त्रालय से इस प्रकार की सेवा निर्माण करने का अनुरोध किया है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). जी, हां ।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम म संशोधन

†६२१. { **श्री साधू राम :**
श्री हेम राज :

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कानून में संशोधन करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं और इसमें अनुमानतः कितना समय लगेगा ?

†**विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

छाव नृत्य

†६२२. **श्री डा० उ० मिश्र :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरायकेला के "छाव नृत्य" को, जो भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, बनाये रखने और बढ़ावा देने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर) :** संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली ने "छाव" को प्राचीन नृत्य के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है । इस नृत्य के प्रख्यात कलाकारों को अकादमी के पुरस्कार प्राप्त हो सकते हैं । "छाव" नृत्य को बनाये रखने और उसे बढ़ावा देने के लिये कार्यरत मान्यता प्राप्त संस्थाओं को विशिष्ट परियोजनाओं के लिये अकादमी आर्थिक सहायता भी देती है । इस प्रयोजन से अलग से धन नहीं रखा जाता किन्तु इस सम्बन्ध में जो आवेदन प्राप्त होते हैं उन पर अकादमी अपने नियमों के अन्तर्गत विचार करती है ।

सेयानपुर तेरा किला

†६२३. **श्री हेम राज :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के कांगड़ा जिले में स्थित सेयानपुर तेरा किले की दीवारों और छतों पर कांगड़ा चित्र शैली के दुर्लभ चित्र हैं ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ये चित्र खराब किये जा रहे हैं तथा उन्हें क्षति पहुंचाई जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार उसे एक रक्षित स्मारक घोषित करने और अपने संरक्षण के अन्तर्गत ले लेने का इरादा रखती है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० म० मो० दास) :** (क) तिरा सुजानपुर में एक ध्वस्त किले के खण्डहरों में स्थित गौरी शंकर मन्दिर की दीवारों और जनाना महल के एक हिस्से पर चित्रों के कुछ अस्पष्ट चित्र पाये गये हैं।

(ख) १९०५ के भूकम्प के फलस्वरूप बहुत क्षति पहुंची थी न कि लोगों के कारण।

(ग) किले के खण्डहरों के बीच स्थित कटोच महल रक्षित है। चित्रों की रक्षा के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्

†६२४. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस प्रकार की शिकायतें हैं कि भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् में नियुक्ति, पदोन्नति तथा कर्मचारियों को स्थायी बनाने में विशेष वर्ग का बड़ा ध्यान रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसी शिकायतें दोबारा न हों इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) से (ग). कुछ शिकायतें मिली थीं परन्तु जांच करने पर मालूम हुआ कि आरोप निराधार थे।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की राष्ट्रीय परिषद् को सहायता

†६२५. **श्री प्र० के० देव :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सम्मेलन से सम्बद्ध विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की राष्ट्रीय परिषद् को किस आधार पर सहायता दी जा रही है ; और

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस सहायता को अलीगढ़ विश्वविद्यालय के द्वारा क्यों दे रहा है क्या परिषद् को प्रत्यक्षतः क्यों नहीं दे रहा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को विद्यार्थी कल्याण योजना के अधीन वर्ष में ३००० रुपये से अनधिक आवर्तक अनुदान, भारत के विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की राष्ट्रीय परिषद् के कार्यपालिका मन्त्री की नियुक्ति के लिये देता है। इस अधिनियम के अधीन आयोग यह अनुदान विश्वविद्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों की संस्थाओं को देने का अधिकारी है। आयोग ने मार्च १९६२ के बाद इस काम के लिये कोई अनुदान नहीं दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में कपड़ा बनाने की मशीन का निर्माण

†६२६. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी सहयोग से मध्य प्रदेश में कपड़ा बनाने की मशीनें बनाने का एक एकक सरकारी क्षेत्र में स्थापित होगा ;

(ख) यदि हां, तो कितनी लागत से ; और

(ग) योजना की क्रियान्विति के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) से (ग). रूसी सहयोग से कपड़ा बनाने की मशीन बनाने के लिये मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु इण्डस्ट्रीज़ (डी एण्ड आर) अधिनियम, १९५१ के अधीन रूसी सहयोग से कपड़ा बनाने की मशीन के कुछ पुर्जे बनाने का लाइसेंस एक गैर सरकारी पार्टी को दिया गया है। सही स्थापना स्थान के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

दिल्ली में आत्महत्यायें

६२७. **श्री बागड़ी :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो मास में दिल्ली नगर में चोरी और आत्महत्या की कितनी घटनायें हुईं और उनके क्या कारण थे ; और

(ख) ऐसे अपराधों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय म राज्य मन्त्री (श्री दातार): (क) जून तथा जुलाई, १९६२ के महीनों में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में २५५ चोरियां तथा २१ आत्महत्या के मामले दर्ज किये गये। आत्महत्याओं के कारण निम्नलिखित हैं :

(१) पारिवारिक असन्तोष	८
(२) दुःस्वास्थ्य	४
(३) प्रेम सम्बन्धी	२
(४) विविध तथा जहां कारण मालूम नहीं हुआ	७
योग	२१

(ख) जहां तक चोरियों का सम्बन्ध है पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है और सारे शहर में पैदल, बाइसिकिलों तथा घूमने वाली गाड़ियों में गश्त लगा रही है। पुलिस में सेंधमारी को रोकने के लिये दुष्चरित्रों पर निगरानी तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०९ और ११० के अधीन निरोधक कार्यवाहियां आदि जैसे उपाय किये हैं ।

आत्महत्याओं को रोकने के लिये कोई विशेष उपाय सम्भव नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों की भरती

६२८. **श्री बाल्मीकी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के आरम्भ से विभिन्न राज्यों की शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों की भरती के आँकड़े इकट्ठे करने का उनके मंत्रालय का विचार है;

(ख) क्या सभी राज्यों से आँकड़े इकट्ठे करने के लिए आवश्यक प्रणाली बनायी गयी है;

(ग) क्या यह काम पूरा करने के लिए कोई रकम खर्च की जानी है;

(घ) दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए इसी तरह के आँकड़े इकट्ठे करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है; और

(ङ) जब तक कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए आँकड़े इकट्ठे नहीं किये जाते तब तक क्या 'साधन परीक्षा' (मीन्स टेस्ट) लागू की जायगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी, हाँ। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में, प्रयोग के तौर पर, आवश्यक जानकारी इकट्ठी करने का काम आरम्भ किया गया था।

(ख) वार्षिक शिक्षाविषयक आँकड़े इकट्ठे करने के लिए प्रायः सभी राज्यों में प्रणाली विद्यमान है।

(ग) कोई प्रत्यक्ष खर्च नहीं होगा।

(घ) जैसा कि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, यह जानकारी इकट्ठी करने का काम दूसरी पंचवर्षीय योजना के आखिर में शुरू किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्षों में जानकारी एकत्र करना इस बात पर निर्भर है कि लाखों की संख्या में सभी शिक्षा संस्थाओं में पुराने कागजात मिल सकें। यह संदेहपूर्ण है कि सभी पुराने कागजात मिलें लेकिन यदि वे मिल भी जायें तो यह जानकारी इकट्ठा करना एक बहुत भारी काम होगा।

(ङ) जी नहीं।

भारत के लिये जापानी रडार

६२९. { **श्री रा० स० तिवारी** :
श्री कजरोलकर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रडार यंत्र खरीदने के लिये जापान सरकार से बातचीत चल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो रडार यंत्र कब तक खरीदे जा सकेंगे; और

(ग) उस पर कितना व्यय होगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) से (ग). साज़सामान के लिए विभिन्न संसाधनों से प्रारम्भिक और समन्वेषी पूछताछ की जाती है। प्रश्न में उल्लिखित वर्ग के साज़सामान के सम्बन्ध में समन्वेषी पूछताछ के विस्तरण प्रकट करना लोक हित में नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा खनन निगम

†६३०. **श्री हेडा :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा खनन निगम ने कितनी पूंजी इकट्ठी की है;

(ख) क्या कार्यक्रम उसने आरम्भ किया है; और

(ग) किन किन सम्बद्ध योजनाओं से यह निगम सम्बन्धित है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी।

पंजाब में भारत के राज्य बैंक की शाखाएं

†६३१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जून, १९६२ से आज तक पंजाब में किन किन जगहों पर और कितनी भारत के राज्य बैंक की शाखाएं और उपशाखाएं खोली गयीं ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : १ जून, १९६० से ३१ जुलाई, १९६२ तक की अवधि के दौरान भारत के राज्य बैंक ने पंजाब में निम्नलिखित केन्द्रों में ३ शाखाएं और १ उपकार्यालय खोला :—

केन्द्र का नाम	खुलने की तारीख
शाखायें	
१. नंगल बस्ती	३०-७-१९६०
२. पालमपुर	२८-२-१९६१
३. जालन्धर छावनी . .	१-६-१९६२
उपकार्यालय	
१. बल्लभगढ़	२६-१०-१९६०

राष्ट्रीय एकीकरण में पुलिस का हाथ

†६३२. **श्री बी० चं० शर्मा** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने यह विचार करने के लिए एक समिति बनायी है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए पुलिस को एक प्रकार का साधन किस तरह बनाया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो उसने अपने काम में क्या प्रगति की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). जी, नहीं । राष्ट्रीय एकीकरण में पुलिस के कार्य के विषय पर काफ़ी विचार किया जा रहा है।

उच्च प्रशिक्षण और अनुसन्धान के केन्द्र

†६३३. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विश्वविद्यालयों में चुने चुने विषयों के उच्च प्रशिक्षण और अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनायी गयी योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है; और

(ख) उसका क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६१]

भारतीय बैंकरों का सम्मेलन

†६३४. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन बैंक्स असोसियेशन के तत्वावधान में बम्बई में जुलाई के तीसरे हफ्ते में भारतीय बैंकरों का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो मुख्य सुझाव क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है कि बैंक जमा के ब्याज पर कर न लिया जाये ?

†वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञात हुआ है कि इस सम्मेलन ने कई प्रश्नों पर चर्चा की थी जिनमें निम्नलिखित शामिल है :—

जिन स्थानों पर वाणिज्यिक बैंक नहीं हैं वहां शाखाए खोलना, सरकारी प्रतिभुतियां बेचने और रकमों के भुगतान के लिए अधिक सुविधाओं की व्यवस्था, देश में नियमित बिल बाजार निर्माण करना, वाणिज्यिक बैंकों में जमा पर ब्याज या उन बैंकों द्वारा रक्षित के लिए विनियोग के सम्बन्ध में आयकर से छूट देना, और बैंकों द्वारा सामान्य जनता को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार।

(ग) ज्ञात हुआ है कि इंडियन बैंक्स असोसियेशन की समिति इस सम्बन्ध में कई प्रस्तावों पर अभी भी विचार कर रही है। अतः इस दशा में इन में से किसी सुझाव को सरकार द्वारा छानबीन किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वयस्क बधिरों का प्रशिक्षण

६३५. श्री सरजू पाण्डेय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वयस्क बधिरों के प्रशिक्षण के लिये हैदराबाद में कोई केन्द्र स्थापित होने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्र में एक साथ कितने बधिरों को शिक्षा दी जा सकेगी; और

(ग) उक्त शिक्षा संस्थान में वयस्क बधिरों को किस आधार पर दाखिल किया जायेगा ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना देता हुआ एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रारम्भ में, प्रौढ़ बहरों के प्रशिक्षण केन्द्र में ३० प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए व्यवस्था होगी। तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक यह व्यवस्था बढ़ा कर १२० व्यक्तियों के लिए कर दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

१६ वर्ष से २५ वर्ष की आयु वाले बहरे व्यक्ति इस केन्द्र में दाखिला ले सकते हैं। अधिकतय आयु-सीमा पाँच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। दाखिला चाहने वाले उम्मीदवारों को निम्न दो वर्गों में बाँटा जायेगा :—

(क) वे जिनकी श्रवण-शक्ति अभी-अभी जाती रही है; और

(ख) वे जिनकी श्रवण-शक्ति बचपन में अथवा कई वर्ष पहले जा चुकी थी ।

वर्ग (क) के उम्मीदवारों को निम्नांकित शर्तें पूरी करनी होंगी :—

(१) बहरापन दाखिले की तारीख से तीन वर्ष से अधिक पहले नहीं हुआ हो। असाधारण परिस्थितियों में इस शर्त में कुछ छूट दी जा सकती है ।

(२) बहरेपन से पहले वह किसी शैक्षणिक संस्था में पढ़ा हो अथवा कहीं नौकरी में रहा हो। वर्ग (ख) के उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे कम से कम पाँच वर्ष तक बहरों की किसी संस्था में पढे हों ।

निम्नांकितों को दाखिले में अग्रता प्रदान की जायेगी :—

(१) वे उम्मीदवार, जो तीन वर्ष से अधिक से पहले बहरे नहीं हुए हों।

(२) सुरक्षा और सिविल सरकारी कर्मचारी, जो युद्ध में अथवा सेवा के संकटकाल के कारण बहरे हुए हों (इस वर्ग के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा ४० वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है) ।

(३) प्रशिक्षण के पश्चात् नौकरी दिलाने के विशेष प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त राज्य सरकारों तथा संस्थाओं/संगठनों द्वारा प्रतिनियुक्त उम्मीदवार ।

व्यायाम शिक्षा सम्बन्धी ग्रंथमालायें

६३६. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यायाम शिक्षण और खेल-कूद पर ग्रंथमाला प्रकाशित होगी;

(ख) इस योजना पर कुल कितनी धन राशि खर्च होगी; और

(ग) क्या व्यायाम तथा खेल-कूद के लिये कतिपय छात्रवृत्तियाँ भी देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हाँ ।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना की सम्पूर्ण अवधि के लिए २·२५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(ग) शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने अपनी ६ और ७ जलाई, १९६२ की पिछली बैठक में उच्च अध्ययन और/या देशी शारीरिक क्रियाकलापों तथा शारीरिक शिक्षा में अनुसंधान के लिए छात्रवृत्तियाँ देने की एक योजना की सिफारिश की है ।

दिल्ली पितृ संघ†

६३७. **श्री बागड़ी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य पितृ संघ ने सरकार को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो उसमें सरकार के सामने क्या मांग रखी गई है ; और

(ग) इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) पितृ संघ द्वारा प्रस्तुत मांगें ये हैं :—

(१) संघ के दो सदस्य दिल्ली की शिक्षण संस्थाओं की प्रबन्धकारिणी/परामर्शदात्री कमेटियों में मनोनीत किये जायें ।

(२) संघ को बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा के बारे में मत व्यक्त करने का अवसर दिया जाये और इसके लिये उसका सरकार की नीति निश्चित करने वाली संस्थाओं से सम्बन्ध कराया जाये ।

(३) अध्यापकों द्वारा की जाने वाली हड़तालों पर कानूनन् रोक लगा दी जाये ।

(४) अपने-अपने क्षेत्रों में नये विद्यालय खोलने के लिए पितृ सहकारी संस्थायें बनाई जायें ।

(५) संघ को विद्यार्थियों के लाभ के लिये धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति प्रदान की जाये तथा उच्च धार्मिक अध्ययन के लिये विशेष शिक्षण शिविर और कक्षायें चलाने की सुविधा दी जाये ।

(६) नई दिल्ली के लिए एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये ।

(ग) इन सब मांगों पर विचार किया जा रहा है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता

†६३८. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को कानुनी सहायता देने की योजना देश के सभी लोगों को पूरी तरह मालुम हैं ; और

(ख) सभी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों में इस योजना का प्रचार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) और (ख). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कानूनी सहायता की योजना कुछ राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी योजना के पिछड़े वर्ग के क्षेत्र में सम्मिलित की गई हैं । राज्य सरकारों द्वारा किये गये खर्च का ५० प्रतिशत भारत सरकार देती हैं । राज्य सरकारें ही इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये उत्तरदायी हैं । फिर भी उन्हें इस योजना का अधिक प्रचार करने के लिये कहा जायगा ।

संस्कृत के अध्ययन के लिये आसाम को सहायता

†६३९. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने संस्कृत, पाली अरबी और फारसी के अध्ययन की उन्नति के लिये आसाम सरकार को कोई धनराशियां दी हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में और तीसरी योजना की अवधि के पहले साल में इन में से प्रत्येक भाषा पर कितनी कितनी रकम खर्च की गई ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों को व्यायाम-शिक्षा के लिये कोई रकम देती हैं और प्रत्येक राज्य में वह धन किस प्रकार काम में लाया जाता हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). पाली, अरबी और फारसी के अध्ययन की उन्नति के लिये केन्द्रीय सरकार ने आसाम सरकार को कोई अनुदान नहीं दिया हैं। संस्कृत के अध्ययन के लिये वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में आसाम में ऐतिहासिक और प्राच्य विद्या विभाग को निम्नलिखित अनुदान दिये गये है:—

१९६०–६१ : असमिया लिपि में संस्कृत पांडुलिपियों के संग्रह के प्रकाशन के लिये ८००.०० रुपये

१९६१–६२ : संस्कृत में दो दुर्लभ पांडलिपियों के सम्पादन और प्रकाशन के लिये १,१९०.०० रुपये ।

(ग) व्यायाम शिक्षा की उन्नति के लिये केन्द्रीय अनुदान संबंधित संस्थाओं को सीधे ही दे दिये जाते हैं और इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों को कोई रकम नहीं दी जाती ।

आगरे का किला

†६४०. **श्री अचल सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि आगरे के किले की दीवारों और अन्य स्थानों की मरम्मत- इस बात के बावजूद कि वह एतिहासिक महत्व का स्थान हैं नहीं की जा रही हैं ; और

(ख) इस स्मारक की मरम्मत के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस किले में विशेष प्रकार की और सालाना मरम्मत कर के इस की रक्षा की जा रही हैं ।

आयकर विवरण प्रपत्र

†६४१. **श्री हेम बरुआ** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि दिल्ली के आयकर कार्यालय में आयकर विवरण प्रपत्र समाप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस के लिये क्या व्यवस्था कर रही हैं कि आयकर देने वाले लोग विवरण प्रस्तुत करने की तारीख से पहले स्वेच्छा से अपने विवरण प्रस्तुत कर सकें ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या वह तारीख बढ़ाने का सरकार का विचार है ताकि उन्हें और समय मिले ;

(घ) क्या वेतनभोगी लोगों द्वारा विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में आयकर पदाधिकारियों में कोई गलतफहमी है ; और

(ङ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) ऊंची प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त मात्रा में प्रपत्र पुनः छापने के लिये व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है और उन का बंटवारा शीघ्र ही किया जायेगा ।

(ग) स्वेच्छा से आयकर विवरण प्रस्तुत करने की तारीख दो महीने आगे पहले ही बढ़ा दी गयी है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

"साफ्ट बाल" का खेल

८६४२. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सॉफ्ट बॉल" का खेल भारत में प्रसिद्ध है और वह काफी हद तक खेला जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस खेल को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) क्या इस खेल की उन्नति के लिये फिलहाल कोई संगठन है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) यह खेल देश के कुछ भागों में खेला जाता है ।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(ग) संभवतः साफ्ट बॉल फेडरेशन आफ इंडिया को इस ओर ध्यान देना होता है ।

प्रतिरक्षा संगठन परस्पर सहायता निधि

†६४३. श्री रघुनाथ सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री २३ अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु सेना मुख्य कार्यालय के जो भूतपूर्व कर्मचारी भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों में इस समय काम कर रहे हैं उन्हें प्रतिरक्षा संगठन परस्पर सहायता निधि से धन लौटाने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि वायु सेना मुख्य कार्यालय के कई भूतपूर्व कर्मचारियों ने धन लौटाये जाने की मांग लिखित रूप में की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि धन लौटाये जाने के संबंध में उन के जो अभ्यावेदन प्रतिरक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी के नाम भेजे गये थे, उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस के कारण क्या हैं और उन भूतपूर्व कर्मचारियों को उनके अंशदान प्रतिरक्षा संगठन परस्पर सहायता निधि से संभवतः कब तक लौटा दिये जायेंगे ?

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :(क) वायुसेना मुख्य कार्यालय के १५ भूतपूर्व कर्मचारियों को जो अभी भारत सरकार के दूसरे मंत्रालयों/विभागों में काम कर रहे हैं, अप्रैल, १९६२ से ३०५ रुपये की रकम दी जा चुकी है। अभी लगभग २४ भूतपूर्व कर्मचारियों को लगभग केवल २५० रुपया देना बाकी है।

(ख) से (घ). जी हां। बकाया रकमों की अदायगी के लिए कुछ लोगों से अर्जियां प्रतिरक्षा संगठन परस्पर सहायता निधि के अवैतनिक कोषाध्यक्ष को सामान्य तौर पर सरकारी कामकाज के दौरान प्राप्त हुई थी और इसलिये उनकी स्वीकृति सूचित करना जरूरी नहीं समझा गया। अनुमान है कि बकाया रकम की अदायगी सम्बन्धित व्यक्तियों को लगभग एक महीने में कर दी जायगी।

लड़कियों का अपहरण

६४४. श्री बागड़ी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली शहर में जुलाई, १९६२ मास में कितनी लड़कियों को जबरदस्ती उठाने की घटनायें हुईं ;

(ख) कितनी लड़कियां बरामद की गईं ;

(ग) कितने मुल्जिम गिरफ्तार किये गये ; और

(घ) कितने केस अभी तक लापता हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) चार।

(ख) तीन

(ग) नौ

(घ) एक

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन पंजीकृत मामले

†६४५. श्री उमानाथ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन कितने मामले निम्नलिखित मदों के अधीन नकली रेशम निर्यात संवर्धन योजना के सम्बन्ध में प्रत्येक नीति-अवधि के लिये पंजीकृत किये गय थे :

(१) निर्यात बीजक (अर्थात् प्रशुल्क विभाग के लिये एक बीजक और रिजर्व के लिये एक अलग बीजक) तैयार करना ;

(२) बीजक में माल की ज्यादा कीमत लिखना ;

(३) वास्तविक माल न भेजना बल्कि बोरियों, पटसन और रद्दी कागजों से बण्डल बांधना; और

(ख) प्रत्येक नीति-अवधि में कितने मामलों में सजा दी गयी ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सोलवीन प्रतिनिधि मंडल का प्रतिवेदन

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: मैं रुरकेला आयरन एण्ड स्टील वर्क्स के बारे में विशेषज्ञों का प्रतिवेदन (सोलवीन प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवदन) सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३११/६२।**)

भारतीय प्रोद्योगिकीय संस्था खड़गपुर के लेखे

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: मैं

(२) प्रोद्योगिकी संस्था अधिनियम, १९६१ की धारा २३ की उपधारा (४) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर के प्रमाणित लेखे की एक प्रति उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३१२/६२**]

क्षेत्रीय परिषद (द्वितीय संशोधन) नियम

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री 'श्री दातार)**: मैं (३) क्षेत्रीय परिषद् एक्ट, अधिनियम २९५६ की धारा ५४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २२ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९८६ में प्रकाशित क्षेत्रीय परिषदें (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३१३/६२**]

समुद्र सीमा अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ और समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(क) दिनांक ९ जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७६३।

(ख) दिनांक ९ जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७६४

(ग) दिनांक २६ जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७७९।

(घ) दिनांक २३ जन, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८३०।

(ङ) दिनांक २३ जन, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८३१।

(च) दिनांक ३० जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८७२।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३१४/६२)**]

---

†मल अंग्रेजी में

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :

(क) दिनांक ९ जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७५९ ।

(ख) दिनांक २३ जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७९९ ।

(ग) दिनांक ३० जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८६५ ।

(घ) दिनांक ३० जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८६६ ।

(ङ) दिनांक ३० जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८६७ ।

(च) दिनांक ३० जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८६८ ।

(छ) दिनांक १४ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ९३६ ।

[पुस्तकलाय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३१५/६२]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :

(क) दिनांक २३ जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८२८ ।

(ख) दिनांक ३० जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८६९ ।

(ग) दिनांक ३० जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८७० ।

(घ) दिनांक २४ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ९४० ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३१६/६२]

निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं

(क) संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) अधिनियम, १९६२ की धारा ५ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १४ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३३ में प्रकाशित संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३१७/६२]

(ख) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, १९५७ की धारा ६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १४ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३४ में प्रकाशित अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (वितरण) नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३१८/६२]

सदस्य को सजा

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे तिरुचिरा पल्ली के स्पेशल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से दिनांक ९ अगस्त, १९६२ का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें यह बताया गया है

---

†मूल अंग्रेजी में

कि लोक-सभा के सदस्य श्री ईरा सेझियान पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४३ और दण्ड विधि संशोधन एक्ट की धारा ७(१) (क) और (ख) के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया और दो मास के कठोर कारावास की सजा दी गई। सदस्य को केन्द्रीय जेल तिरुचिरापल्ली में रखा गया है।

अनुदानों की अनुपुरक मांगें (सामान्य), १९६२-६३

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं वर्ष १९६२–६३ के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विवरण उपस्थापित करता हूं।

अनुदानों की अनुपुरक मांगें (रेलवे), १९६२-६३

†**रेलवे मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं वर्ष १९६२–६३ के बजट (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विवरण उपस्थापित करता हूं।

अणुशक्ति विधेयक

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि अणु शक्ति के भारत के लोगों के कल्याण और अन्य शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये विकास, नियन्त्रण और प्रयोग तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अणुशक्ति के भारत के लोगों के कल्याण और अन्य शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये विकास, नियन्त्रण और प्रयोग तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं :

अधिवक्ता (तीसरा संशोधन) विधेयक

†**विधि उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** मैं प्रस्ताव करता हूं "कि अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय।"

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

भारत-चीन सीमा की स्थिति के बारे मे प्रस्ताव

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्रीतथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत-चीन सीमा विशेष रूप से लद्दाख क्षेत्र की स्थिति पर विचार किया जाये ।"

एक सप्ताह पूर्व ६ अगस्त, को, मैंने श्वेत-पत्र संख्या ६ सभा पटल पर रखा था । इसमें पहले श्वेत पत्र के प्रकाशन के पश्चात् से भारत सरकार और चीन सरकार के बीच पत्र-व्यवहार और टिप्पण थे । मैंने भारत सरकार द्वारा चीन सरकार को २६ जुलाई, को भेजे गये एक पत्र को भी सभा पटल पर रखा ।

हमें एक तार प्राप्त हुआ जिसमें चीन सरकार द्वाराभेजे ६ अगस्त को गये उत्तर का संक्षेप था । अपने वक्तव्य में मैंने उस पत्र के कुछ अंशों को उद्धृत किया था। तत्पश्चात् हमने चीन सरकार का पूरा टिप्पण संसद् के पुस्तकालय में रख दिया जिससे संसद् सदस्य सुविधानुसार देख सकें ।

तब से भारत चीन सीमान्त पर कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई । हमारी जानकारी के अनुसार चीनियों द्वारा दूर से गोली चलाने की तीन घटनायें हुईं । जिनमें से दो पैंगों झील क्षेत्र में एक २७ और दूसरी २९ जुलाई, को और तीसरी घटना ४ अगस्त को दुलत बेग औल्दी के उत्तर में हुई ।

इन तीनों घटनाओं में काफी दूरी से गोली चलाई गई । हमारी कोई हानि नहीं हुई । हमने पहली दो घटनाओं के सम्बन्ध में चीन सरकार को विरोध-पत्र भेज दिया है ।

चीनियों ने हमें विरोध पत्र भेजा है। उन्होंने यह कहा है कि भारतीय सेना ने चार मर्तबा उनकी ओर गोलियां चलाई हैं । यह कहा गया है कि २७ जुलाई को चिपचैप क्षेत्र में दो गोलियां छोड़ी गईं, २७ जुलाई को न्या गूज क्षेत्र में १६ गोलियां छोड़ीं । ३१ जुलाई और १ अगस्त को गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी सेनाओं ने गोलियां छोड़ीं । हमारी जानकारी के अनुसार उक्त आरोप गलत हैं ।

स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया है सिवाय इसके कि चीनी टुकड़ियां गलवान घाटी क्षेत्र के निकट घूम रही हैं और उन्हें वहां खुदाई करते हुए देखा गया है । हमारा विमान रसद पहुंचाने के लिये चौकियों तक जाता रहा है । चीनियों ने इसका विरोध किया है । उन्होंने ऐसी उड़ानों की लम्बी सूची दी है । हमने कहा कि ऐसा आरोप लगाना निराधार है क्योंकि वह क्षेत्र सदैव से ही भारतीय क्षेत्र रहा है । अतः वहां की स्थिति गम्भीर है और भविष्य में भी वैसी ही बनी रहेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक सभा में पहले वक्तव्य देने के बाद से कुछ भ्रान्ति हुई है कुछ लोगों ने यहां तक कहा है कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जिससे कि भारत की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। ऐसा वही लोग कह सकते हैं जिनको हमारी पृष्ठ-भूमि और इतिहास का पता नहीं है। हमारा पिछला इतिहास हमें यही सुझाव देता है कि हमें भरसक अपनी ओर से शान्तिपूर्ण हल का प्रयत्न करना चाहिये। परन्तु हम अपने सम्मान की रक्षा करने का अपनी क्षमता के अनुसार भरसक प्रयत्न करेंगे।

चीनियों ने लद्दाख में अपने सीमान्त की दो अलग-अलग मौकों पर पृथक सीमा बताई हैं। एक रेखा १९५६ में उनके प्रधान मंत्री ने बताई थी। जब उन्होंने १९५६ में चीन के नक्शों में दिखाई गई सीमा की पुष्टि की थी। दूसरी लाइन वह है जो कि हमारे अधिकारियों को दिये गये नकशे में दिखायी गयी है। दूसरी लाइन अधिक पश्चिम की ओर है। हमने इसका विरोध किया परन्तु उनका कहना है कि दोनों नक्शे प्रायः एक से ही हैं। इस असंगति की ओर चीनियों का ध्यान आकर्षित किया गया जिससे कुछ लोग यह समझने लगे हैं कि हमने चाऊ एन लाई की रेखा को स्वीकार कर लिया है। यह सर्वथा गलत है। सरकार अन्तर्राष्ट्रीय सीमान्त का समर्थन करती है जो हमारे नकशों में दिखायी गयी है।

दूसरा प्रश्न भारत चीन सीमान्त के सम्बन्ध में अग्रेतर चर्चा के सम्बन्ध में हमारे प्रस्ताव के बारे में उठाया गया है। उस समय यह अनुमान किया गया था कि अधिकारियों की बातचीत समाप्त होने पर इस प्रकार का विचार किया जायेगा। तथापि चीन द्वारा अग्रेतर आक्रमण और तनाव के कारण हम ऐसा नहीं कर सके। हम यह बात स्पष्ट कर चुके हैं कि वर्तमान तनाव समाप्त होने पर ही ऐसा संभव है। चीनियों से यह भी कहा गया है कि दोनों ओर की सेनाओं को एस रेला से परे हट जाना चाहिये जिसका वह दावा कर रहा है। हमने इस बात पर जोर दिया कि तनाव समाप्त होने और उपयुक्त वातावरण पैदा होने तक अग्रेतर चर्चा को कोई लाभ नहीं होगा।

६ अगस्त को मैंने चीन सरकार के उत्तर का जिक्र करते हुए कहा था कि वह निराशाजनक था। चीन के विदेश मंत्री ने यूरोप में ३ अगस्त को अपने एक रेडियो भाषण में कहा था कि यह असम्भव है कि चीनी सेनाएं अपने ही क्षेत्र से हट जायें। ऐसा करना ६५ करोड़ चीनियों की इच्छा के विरुद्ध होगा। विश्व में हमसे कोई भी शक्ति इसकी अपेक्षा नहीं कर सकती है।

चीनी विदेश मंत्री की इस घोषणा को देखते हुए हम इस विषय में उनसे चर्चा नहीं कर सकते हैं। हमने यह नहीं कहा था कि हम चीनी सेनाओं को शक्ति के बल पर हटाना चाहते हैं हमने कहा था कि बातचीत के लिये उचित वातावरण तैयार हो जाये।

यह स्पष्ट है कि अधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर कोई चर्चा तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि वर्तमान तनाव समाप्त न हो जाये। और सीमान्त के सम्बन्ध में पूर्ववत् स्थिति न लाई जा सके। हम तनाव दूर करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने को तैयार हैं। परन्तु वह अधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेतर चर्चा की दिशा में पूर्व कदम होगा।

हमने चीन सरकार के ४ अगस्त के टिप्पण का कोई उत्तर अभी तक नहीं भेजा है। हम दो तीन दिनों के अन्दर यह उत्तर भेज देंगे वह उसी प्रकार का होगा जैसा कि मैंने संकेत दिया है।

मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के विचार जानना चाहता हूं तत्पश्चात् मैं अपना वक्तव्य दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री अ० के० देव :** (कालाहाड़ी) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय : यह दोनों संशोधन तथा मुख्य प्रस्ताव सभा के सम्मुख हैं । मुझे श्री उ० मु० त्रिवेदी, श्री फ्रैंक एन्थनी तथा श्री त्रिदिब कुमार चौधरी के तीन अन्य संशोधन भी प्राप्त हुये हैं किन्तु विलम्ब से प्राप्त हाने के कारण मैं उन्हें अग्राह्य घोषित करता हूं ।**

जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है स्थिति गम्भीर है । अतः माननीय सदस्यों को यह अधिकार है कि वह सभा में इसकी पूर्णतः चर्चा करे । तथापि मैं भाषणों के लिये समय निर्धारित करूंगा । दल के नेता २० से २५ मिनट तक तथा अन्य सदस्य १५ मिनट का समय ले सकते हैं । प्रधान मंत्री ५ बजे चर्चा का उत्तर देंगे ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** (केन्द्रपाड़ा) : मैंने अपने स्थानापन्न प्रस्ताव में बहुत विनम्र शब्दावली का प्रयोग किया है । मैं आशा करता हूं कि सभा उसे सर्व सम्मति से स्वीकार करेगी ।

२० अप्रैल, १९६० को दोनों प्रधान मंत्रियों की बातचीत के पश्चात् जारी की गई घोषणा के समय भी मैंने इस सभा में एक संशोधन रखा था । जिसका आशय यह था कि बातचीत जारी रखने से कोई प्रयोजन हल नहीं होगा । यह बात आज भी उतनी ही सत्य है ।

सभा को यह कदापि नहीं सोचना चाहिये कि हम इस स्थिति से कोई राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं । यह मामला सब राजनैतिक दलों से सम्बन्ध रखता है । यह प्रधान मंत्री के व्यक्तिगत आदर का प्रश्न नहीं है । यह सारे राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता के बाद सब से पहली बड़ी चुनौती है ।

यथासंभव युद्ध न करने पर तो सभी सहमत हैं । हम बातचीत करना चाहते हैं, परन्तु उचित समय पर । सरकार ने अभी यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि स सीमा के प्रश्न पर हम बिल्कुल झुकना नहीं चाहते ।

हमें, चीनियों ने हमारे क्षेत्र अपने कब्जे में किये हुए हैं उन्हें मुक्त करवाना है, परन्तु हम अपने वक्तव्यों और नोटों द्वारा सफाई पेश करते रहते हैं । ऐसा सन्देह उत्पन्न हो गया है कि हम चीन को प्रसन्न रखने की चेष्टा में रहते हैं ।

जब यह भयानक दुर्घटना हुई तो प्रधान मंत्री ने कहा कि स्थिति बहुत गम्भीर है और देश को तैयार रहना चाहिये । उन्होंने कहा कि चीनियों के इरादे का पता लगना बहुत कठिन है । उसके बाद चीनियों ने हमारे सैनिकों पर गोलियां चलाईं । ऐसी परिस्थिति में हमारे प्रतिरक्षा मंत्री चीन के विदेश मंत्री से मिले । प्रधान मंत्री ने कहा कि वे विदेश मंत्री से बड़ी कड़ी भाषा में अपनी मांग को कहने के लिये मिले थे । क्या पहले हमने कभी अपनी मांग को उन से नहीं कहा ?

जेनेवा में हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा कि उन क्षेत्रों में किसी का कब्जा नहीं । इतनी गम्भीर परिस्थितियों में ऐसा कहना उचित नहीं और इसका प्रभाव हमारे उन जवानों पर जो कि कठिन स्थिति में हैं क्या पड़ेगा ?

इस प्रश्न पर जो अस्पष्टता है उसे दूर करना चाहिए और हमारी नीति स्पष्ट की जानी चाहिए । हमारे प्रधान मंत्री चीनियों को विभिन्न तरीकों से प्रसन्न रखने की कोशिश करते रहे हैं । परन्तु चीनियों का क्या रवैया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वे हमारा अनादर करते रहे हैं। प्रधान मंत्री हमेशा यही कहते रहे हैं कि इस मामले में इसका अधिक महत्व नहीं कि थोड़े से गज इधर हैं या उधर परन्तु जो इस मामले में भावना है उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिये।

चीनियों का रवैया इस मामले में स्पष्ट है। चैनयी ने कहा है कि दुनिया की कोई शक्ति इस क्षेत्र को छोड़ने के लिये हमें बाधित नहीं कर सकती।

शान्तिमय बातचीत के लिये हमने सुझाव दिया है कि हम अपने क्षेत्र से पीछे हट जाएंगे हम पुनः इस पर कब्जा नहीं करेंगे। क्या यह बड़ी बात नहीं है। प्रधान मंत्री ने यह भी कहा कि शान्तिमय समझौते के लिये आप अकसाई चिन सड़क का असैनिक प्रयोग कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में चीनियों ने अपने दो जून के पत्र में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। अकसाई चिन सड़क के बारे में उन्होंने कहा कि चीन को अपने क्षेत्र में अपनी सड़क के प्रयोग करने के लिए इजाजत की क्या आवश्यकता है। यह है चीनियों का रवैया।

पहले प्रधान मंत्री जी कहते रहे हैं कि चीनियों के पास जो भी क्षेत्र है वह हमारा है। जब तक वे हमारे क्षेत्र को खाली नहीं करते, तब तक प्रश्न का हल नहीं हो सकता। परन्तु २६ तारीख का जो नोट है वह बहुत बदनामी करने वाला नोट है। ४ अगस्त को उन्होंने बताया है कि १९५६ लाइन और १९६० लाइन में उन्हें कोई भेद नहीं है। प्रारम्भिक बातचीत के लिए भी उचित वातावरण नहीं है। हमारे सामने जो ध्येय है वह चीनियों को देश से निकालने का है। हमें चीन के बारे में कड़ी नीति अपनानी चाहिए और हर चीज के लिये तैयार होना चाहिये। कोई भ्रान्ति उत्पन्न करने वाले वक्तव्य नहीं देने चाहिएं।

†**श्री प्र० के० देव** : (कालाहांड़ी) : चीन के साथ सीमा के झगड़े की कहानी यही रही है कि हम गलतियां करते हैं और वे विश्वासघात करते रहे हैं। अतः हमारी उत्तरी सीमा पर बहुत खराब स्थिति उत्पन्न हो गई है।

आरम्भ से हम चीन के साथ मित्रता का व्यवहार करते रहे हैं, उसकी सहायता करते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके प्रतिनिधित्व के लिये हम लड़ते रहे हैं। तिब्बत पर जब चीन ने अत्याचार किये तो भी हमने कुछ नहीं कहा। हमने व्यापार सम्बन्धी समझौता उनके साथ किया। उस समझौते में हमने अपनी सीमा के बारे में कुछ नहीं लिखा।

हमारा मित्रतापूर्ण रवैया होने पर भी चीनियों का हमारे प्रति व्यवहार अमित्रतापूर्ण रहा है। काश्मीर के प्रश्न पर पहले चीनियों का रवैया मित्रतापूर्ण था और काश्मीर का भारत के साथ मिलना उन्होंने उचित मान लिया था। परन्तु अब वे पाकिस्तान के साथ बातचीत करने वाले हैं। भारत और चीन ने पंचशील में अपना विश्वास प्रदर्शित किया। परन्तु २५ जून, १९५४ को जब चीन के प्रधान मंत्री यहां आये उसके २० दिन बाद ही चीनियों ने बारा होती पर अपने अधिकार के बारे में कहा। तब से चीनियों ने लगभग २०,००० मील भारतीय भूमि पर कब्ज़ा कर लिया है। सीमा पर कई सड़कें बनाई हैं और काफी सेना एकत्रित कर दी है।

इन सब अतिक्रमणों के बारे में हमने प्रोटेस्ट नोट भेजे, परन्तु वे अपनी गलती मानने के बजाए उलटे हम पर आरोप लगाते हैं और अपने अधिकारों के बारे में और अधिक बातें कहते हैं।

गत मास में लद्दाख की स्थिति और बिगड़ गई है। चीनी गलवान और चिपचाप घाटियों तक उतर आये हैं। उन्होंने कई बार हमारी चौकियों पर घेरा डाला और गोलियां चलाईं।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनियों के ऐसे गलत रवये के बावजूद हम उन्हें खुश करने में लगे हुए हैं। हमने चीन को २६ जुलाई को जो नोट भेजा है उससे यह आशंका उत्पन्न होती है कि संभवतः हम उनको अकसाई चिन क्षेत्र सौंप देने का विचार कर रहे हैं। चीन को भेजे गये विभिन्न पत्रों से स्पष्ट है कि सरकार अपनी बात से पीछे हट रही है। यदि चीनियों को जो वे चाहते हैं बिना युद्ध क मिल जाए तो उन्ह और क्या चाहिए।

नेफा में चीनी मैकमोहन लाइ न को मानने के लिये तैयार हैं।

अब अधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर बातचीत की प्रस्थापना है हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री हमें यह आश्वासन दें कि चीनियों के साथ उस समय तक कोई बातचीत नहीं की जाएगी जब तक कि वे हमारे राज्य क्षेत्र पर गैर कानूनी कब्जा बनाए रखेंगे सरकार को अपनी खुश करने की कमजोर नीति छोड़ देनी चाहिए। हमें चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध खत्म कर देने चाहिएं।

हमें दक्षिणपूर्वी देशों का सम्मेलन आमंत्रित करना चाहिए। सब दक्षिण पूर्व देशों द्वारा मिल कर साम्यवाद के खतरे को दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। नेपाल के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने चाहिए।

हमें अपने राज्य क्षेत्र की एकता की रक्षा करने के लिए किसी भी देश से सैनिक सहायता लेने से नहीं झिझकना चाहिए। हमें चीन की सैनिक शक्ति से नहीं घबराना चाहिए। उनके देश में आर्थिक संकट है। अतः हमें उनके साथ कड़ी नीति अपनानी चाहिए। प्रधान मंत्री को प्रतिरक्षा मंत्रालय अपने हाथ में ले लेना चाहिए। सदन और देश का विश्वास प्रतिरक्षा मंत्री से उठ गया है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : (कलकत्ता मध्य) : स्थिति की गम्भीरता को कम नहीं समझता हूं। हमारा यह कर्तव्य है कि अपने देश की सीमा की सुरक्षा का ध्यान रखें। परन्तु जैसा प्रधान मंत्री ने कहा है। शान्तिपूर्ण बातचीत से झगड़े निबटाना हमारी नीति है। एक मात्र उचित नीति देश की एकता को कायम रखते हुए बातचीत द्वारा समझौता करना है। बातचीत के लिए मार्ग बन्द नहीं किया जाना चाहिए। अब चीनियों ने भी बातचीत के लिए कहा है।

हमें युद्ध का वातावरण नहीं उत्पन्न करना चाहिए। हमें इस मामले में गैर जिम्मेदारी से काम नहीं लेना चाहिए।

पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध कैसे हैं ? हमारे प्रधान मंत्री हर कोशिश करते हैं कि उनके साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हों। लेकिन फिर भी पाकिस्तान हर प्रकार की ज्यादती हमारे साथ करता रहता है।

इसी तरह सवाल यह नहीं है कि हम चीन का समर्थन करते हैं, इसलिये कि वह समाजवादी देश है। बल्कि यह कि चाहे पाकिस्तान हो या चीन, सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्री पूण रहने चाहिये।

इसीलिये तो हम इतना सब कुछ होने पर भी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाये रहते हैं।

---

†मल अंग्रेजी में

संसार में आज वातावरण समझौतों का ही है। चीन के साथ हमारे सम्बन्ध कई घटनाओं की वजह से बिगड़ गये हैं। चीन सरकार ने जो नोट भेजे हैं, उनके शब्दों पर मैं अधिक जोर नहीं देता, इसलिये कि मूल चीनी भाषा से उनका ठीक-ठीक अनुवाद बहुत भिन्न मालूम पड़ेगा। यह चीनी भाषा की अपनी विचित्रता है। हां, लेकिन चीन सरकार ने कुछ एसी भी बातें कही हैं, जो उनको नहीं कहनी चाहिये थीं।

हो सकता है कि चीन में कुछ लोग इस तरह सोचते हों कि जब तक श्री जवाहरलाल नेहरु के हाथ में भारत की बागडोर है, तब तक कोई खतरा नहीं, लेकिन बाद में क्या होगा।

शायद चीन सरकार को आशंका के कि श्री जवाहरलाल नेहरु के बाद यदि श्री देव के राजनीतिक विचारों को लोग सत्तारुढ़ हो गये, तो परिस्थिति बिल्कुल उल्टी हो जायेगी।

मेरा अपना विचार है कि हमें समझौते की वार्ता चलाने की कोशिश करते रहना चाहिये और साथ में प्रतिरक्षा के अपनी शक्ति भी दृढ़ करते चलना चाहिये। हमारी यही नीति होनी चाहिये।

वे सभी लोग जो देश के हितों को ही सर्वाधिक महत्व देते हैं, समझातों और वार्ताओं के द्वारा ही मसले तय करने की नीति आगे रखते हैं। सभा को सरकार की इसमें सहायता करनी चाहिये। हमें वार्ता का द्वार खुला रखना चाहिये।

लगता यह है कि चीन भी अब वार्ता की बात सोच रहा है। मार्शल चेन यी ने शिकायत सी की है कि चीन के प्रधान मंत्री भारत आये हैं, पर भारत के प्रधान मंत्री चीन नहीं गये हैं। मैं समझता हूं कि यह वार्ता का संकेत है। हमें भी अपनी ओर से ऐसी अभिव्यक्ति कर देनी चाहिये कि यदि प्रधान मंत्री नहीं तो उनकी ओर से कोई अन्य नेता चीन जायेंगे। हमें अपने देश की परम्पराओं के अनुसार चीन का आतिथ्य स्वीकार करना चाहिये।

†**श्री खाडिलकर** (खेड) : चीन के साथ अपने सम्बन्धों को ठीक-ठीक रुप में समझना अत्यावश्यक है। विवाद शुरु कहां से हुआ था? २६५८ में चीन ने एकपक्षीय कार्यवाही करके अक्साई चिन क्षेत्र में सड़क तैयार कर ली थी उससे हमें एक बड़ा आघात पहुंचा था। इसलिये कि हम अपने पड़ौसी चीन का बड़ा सम्मान करते थे। १६५० तक चीन के प्रधान मंत्री और नेतागण हमें आश्वस्त करते रहे थे कि पुराने नक्शों को ठीक कर लिया जायेगा और भारत-चीन की परम्परागत सीमा को मान्यता दी जायेगी। हमने तिब्बत के अपने अधिकार चीन की सद्इच्छाओं पर विश्वास करके ही छोड़ दिये थे। चीन यह कभी भी नहीं समझ पाया कि भारतीय संस्कृति के साथ हिमालय कितना गुथा हुआ है। तिब्बत और भारत की संस्कृति में कई समानतायें हैं। इसलिये तिब्बत पर चीन की फौजी कार्यवाही देख कर हमें और भी आघात पहुंचा था। हम फिर भी पंचशील का नारा बुलन्द करते रहे थे। कोरियाई युद्ध के समय भी हमने चीन की सहायता करने की पूरी कोशिश की थी। इतने पर भी चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया।

उस समय तक हमारे प्रधान मंत्री का रुख इतना उदार था कि एक बार उन्होंने कहा था कि यदि चीन को चीनी तुर्किस्तान के अपने भाग और तिब्बत के साथ संचार में असुविधा थी, तो यदि हमसे अनुरोध किया जाता तो हम असैनिक कार्यों के लिए ऐसी सड़क बनाने की सुविधा दे देते। लेकिन चीन के हमें धोखे में रखा। हमारे सम्बन्ध उसी समय से बिगड़े हैं।

इस पर लोगों ने तरह-तरह की बातें कहनी शुरु कर दीं। सरकार की कटु आलोचना होने लगी। लेकिन यदि ठण्डे दिमाग से सोचा जाये, तो हमने अपनी वार्ता की नीति के जरिये दो चीजें

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खाडिलकर]

हासिल की हैं, पहली तो यह कि हमने इस बीच अपनी प्रतिरक्षा सुदृढ़ बना ली है। हमने अपनी शक्ति बढ़ा ली है।

और दूसरी यह कि चीन ने एक तरह से हमारी उत्तर-पूर्वी सीमा को मान्यता दे दी है।

यहां कुछ लोग युद्ध की बातें करते हैं। युद्ध शब्द इतना सस्ता नहीं है। इस प्रकार की गरम-गरम बातें करने से कोई लाभ नहीं होगा यदि देखा जाये तो विवाद एक ऐसे क्षेत्र के बारे में है जिस पर दोनों में से किसी भी पक्ष का प्रशासकीय अधिकार नहीं है। दोनों अपने-अपने ढंग की व्याख्यें कर रहे हैं और एक दूसरे को दोष दे रहे हैं लेकिन चीन ने इतने पर भी ही बस नहीं किया उसने उस क्षेत्र में एक पक्षीय सैनिक कार्यवाही, आक्रामक कार्यवाही शुरु कर दी थी हमारा बुनियादी रुख यही रहा है कि वार्ता द्वारा ही विवाद निबटाना चाहिये।

यदि हम यह नीति त्याग देंगे, तो कहीं के नहीं रहेंगे। वैसे इस सभा में कुछ लोग हैं जो यहां भी शीत युद्ध का वातावरण बनाये रखना चाहते हैं। ऐसे लोग देश के हित को नहीं बल्कि अपने दलगत हितों को ही सर्वोपरि समझते हैं और कांग्रेस को नीचा दिखाना ही अपना परम कर्तव्य समझते हैं। लेकिन उनको हर बार स्वयं ही नीचा देखना पड़ा है।

हमें युद्ध की इस समस्या पर यथार्थवादी ढंग से विचार करना चाहिये। उसके बारे में ऐसे हल्के-फुल्के ढंग से बात नहीं करनी चाहिये। सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हमें चीन के उकसाने में नहीं आना चाहिये।

चीन के वैदेशिक मंत्री के भाषणों से हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिये। इसलिये कि चीन के लोग तो अपने दम्भ और धृष्टता के लिये विख्यात हैं। वे अन्य समाजवादी देश, सोवियत संघ के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

मैं जोर देकर कहता हूं कि हमारी वैदेशिक नीति बुनियादी तौर पर सही है। हमें एक ओर तो अपनी प्रतिरक्षात्मक शक्ति बढ़ाते जाना चाहिये, आक्रमणकारियों का अनधिकृत कब्ज़ा ख़त्म करना चाहिये और दूसरी ओर वार्ता का द्वार खुला रखना चाहिये।

हमने अभी तक इसी नीति का सफलतापूवक पालन किया है।

मुझे महाभारत में भीष्माचार्य की उक्ति याद आती है : "अलम् शमेन तथा युद्धाय"—शान्ति स्थापित करने के लिये तैयार रहो और साथ में अपनी जनता और अपने राष्ट्र की गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये भी सन्नद्ध रहो। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं।

†**श्री अन्सार हरवानी** (बिसौली) : एशिया के दो सब से बड़े देशों के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नहीं हैं—यह बात भारत ही नहीं समूचे एशिया के लिये खेदजनक है। चीन की स्वतंत्रता का हमने ही सबसे पहले स्वागत किया था लेकिन बाद में कुछ घटनाओं ने हमारे सम्बन्ध बिगाड़ दिये हैं।

अब हमारे सामने तीन ही विकल्प हैं—आत्म समर्पण, युद्ध और समझौते की वार्ता।

श्री जवाहरलाल नेहरू का भारत आत्मसमर्पण नहीं कर सकता।

युद्ध भारत के लिये विनाशकारी होगा।

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

तीसरा विकल्प है वार्ता द्वारा समझौते का। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई यह सुन कर कि श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने कांग्रेस के १९४२ के अगस्त प्रस्ताव का उल्लेख किया। उस उथल पुथल के काल में भी गांधी जी ने अन्त तक ब्रिटिश वायसराय के साथ वार्ता चलाने की कोशिश की थी। हमारे प्रधान मंत्री ने भी वही मार्ग अपनाया है।

कुछ समाचार पत्र कुछ इस तरह की तसवीर पेश करते हैं जैसे कि हमारे प्रतिरक्षा मंत्री भारतीय सेनाओं द्वारा चीन के आगे आत्मसमर्पण करा देंगे। जब कि चाहिये यह कि हम भारतीय सेना के बहादुर जवानों और अधिकारियों को सम्मानित करें। वे बड़ी बहादुरी से देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं प्रतिरक्षा मंत्री के बारे में ऐसा रुख अपनाना बिल्कुल बेबुनियाद है

मेरा अपना खयाल है कि चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध तोड़ने का कोई लाभ नहीं। सभा के सभी दलों के सदस्यों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर दोनों देशों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये।

मैं अपने महान प्रधान मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री को बधाई देता हूं। मैं सरकार का पूर्ण समर्थन करता हूं।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर): कम्युनिस्ट दल के उपनेता ने सभा में कहा है कि भारतीय लोगों के विचार उलझे हुए हैं मैं इस कथन का जोरदार विरोध करता हूं। इसके बारे में हमारे विचार बिलकुल स्पष्ट हैं कि भारत का कोई भी राज्य क्षेत्र आक्रमणकारी के अधिकार में नहीं रहने दिया जायेगा। इस मसले पर सभी सदस्य एकमत हैं इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि सभा भारत सरकार को ताकीद कर दे कि जब तक चीन हमारे राज्य-क्षेत्रों से अपनी सेनायें नहीं हटा लेता तब तक वह समझौते की कोई वार्ता नहीं चलाये। असल में कम्युनिस्ट दल के अपने ही विचार उलझे हुए हैं।

प्रोफेसर मुकर्जी और प्रोफेसर खाडिलकर के भाषण बतलाते हैं कि भारत में चीन के पक्ष में प्रचार किया जा रहा है। हमें चाहिये कि देश के बच्चे-बच्चे के दिमाग़ में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिये कि भारत की एक इंच भूमि भी आक्रमणकारियों को नहीं दी जायेगी।

चीन सरकार का कहना है कि १९५६ में उसने एक मानचित्र प्रकाशित किया था और १९५९ में दूसरा मानचित्र प्रकाशित किया था और उसी के अनुसार वह पश्चिम में अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता है। वे मनमाने ढंग से अपने मानचित्र बनाया करते हैं।

चीन सरकार ने जितने भी पत्र भेजे हैं, वे सभी यथार्थ और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उल्टे हमको ही दोष दिया जा रहा है। हमारी गश्ती टुकड़ियों को घेर लेने पर भी, चीन सरकार कहती है कि उनकी टुकड़ियां घिर गई हैं। हमें ऐसे ही धूर्त लोगों के साथ निबटना है। इसलिये हमें दृढ़ता के साथ काम करना पड़ेगा।

मैंने चीनी सैनिकों को युद्ध में देखा है। मैं दावे से कहता सकता हूं कि एक भारतीय सैनिक दस चीनी सैनिकों के लिये पर्याप्त है। हमारे पास सेना भी पर्याप्त है। हम चीन को पीछे ढकेल सकते हैं। देश सरकार की इस कमजोरी की नीति को सहन करने के लिये तैयार नहीं है।

युद्ध तो वैसे कोई भी नहीं चाहता। उससे विनाश होगा। लेकिन चीन को भी तो युद्ध का भय है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० यू० त्रिवेदी]

हमारे राज्य-क्षेत्र में अनधिकृत रूप से घुस-पैंठ करने वाले को यहां खड़े रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं।

हमने १९५७ और १९५९ में चाउएनलाई के दावों को ठुकरा दिया था। तब फिर अब हम उनके दावों से सहमत क्यों हों? कैलाश पर्वत का नाम ही बतलाता है कि वह भारतीय पर्वत है। मान-सरोवर भी केवल भारत में ही हो सकता है। हम उसे छोड़ने को तैयार नहीं।

कई शताब्दियों से हम हिमालय पर्वत की देखभाल कर रहे हैं। गौरीशंकर पर्वत भी हमारा है। यह बात समझ में नहीं आई कि चीनियों ने इन को पार करने की हिम्मत किस तरह की। खैर वे सीमा पार करके हमारे देश में घुस भी आये फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। हमने ये भी बर्दाश्त किया। अब इन्हें बताना होगा कि हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में इनका प्रश्न उठाया। अब हमारे लिये इनका और बर्दाश्त करना कलंक की बात है। प्रधान मंत्री को चाहिये कि जब तक ये चीनी अकसाई चिन क्षेत्र को खाली न कर दें तब तक उनसे कोई बात न करे। यह उनका कर्त्तव्य है कि वह अकसाई चिन को तुरंत खाली कर दें। यह बात तो ठीक है कि समझौते से बात-चीत तै कर लेनी चाहिये लेकिन समझौता आक्रान्ता के साथ नहीं किया जाता। हम भी ताकतवर हैं और हम में इतनी शक्ति है कि हम उनको निकाल बाहर कर सकें। मैं नहीं चाहता कि लड़ाई हो। लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि हमारे देश पर किसी का आक्रमण न हो। चीनियों को स्वाभाविक सीमा से दूर ही रहना चाहिये। और यह सीमा पंक्ति पिछले ३०० वर्षों से चली आ रही है। हम कोई अन्याय सहना नहीं चाहते। हम चीन से लड़ना नहीं चाहते और न यही चाहते हैं कि उसके साथ कोई दूसरा देश ही युद्ध करे। हम तो हर तरह से उसकी सहायता करना चाहते हैं। लेकिन चीनियों ने हमारे साथ एक शरीफ जैसे व्यक्तियों की भांति बर्ताव नहीं किया है। वे भारत जैसे महान देश के दोस्त होने लायक नहीं है। वे पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। पाकिस्तान तथा चीन मिल कर भारत को लूटना चाहते हैं। चीन को यह क्या अधिकार था कि वह पाकिस्तान से मिलता।

अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि अब समय आ गया है जब हमें इनका डटकर मुकाबला करना होगा। चीन ने जो क्षेत्र हड़प लिया है उसे वापस लेना चाहिये। जब तक वह हमारा क्षेत्र वापस नहीं कर देता तब तक हमें उनके साथ कोई बातचीत नहीं करनी चाहिये।

†**श्री फ्रेंक एंथनी** (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय): मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पर सदन और देश इस बात पर सहमत है कि चीन के प्रति हमारा रवैया क्या होना चाहिये। किन्तु मैं यह भी अनुभव करता हूं कि इस को कार्यरूप देने में हम अपने बढ़ते हुये पड़ौसी के आगे झुक जाते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमें चीन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अपनी नीति बदलनी चाहिये। दलाई लामा को इस देश से अपनी सरकार चलाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? इस से न केवल मकाबला करने वाले तिब्बतियों को बल्कि नेपाल, भूटान और सिक्किम के लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता।

मैं चीन के प्रति तटस्थता को अपनाने की बात को समझ नहीं सकता। यह बिल्कुल निरर्थक है क्योंकि हम अतिक्रमण और चालाकी के सामने कैसे तडस्थ रह सकते हैं?

१९५९ में प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम अपने राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई सौदा नहीं कर सकते तथा चीनियों से उस समय तक कोई बातचीत सफल नहीं हो सकती जब तक वे परम्परागत सीमान्त तक पीछे नहीं हट जाते। उसके बाद ३० अप्रैल, और २१ मई, के उन के

†मूल अंग्रेजी में

वक्तव्यों से भी हमें ऐसा विश्वास हुआ कि सरकार को चीन के अतिक्रमण के इरादे और उनकी कठिनाई का पूरा विश्वास हो चुका है। किन्तु क्या हम १९५९ की स्थिति से हट नहीं चुके क्योंकि अब सरकार इस शर्त पर चीन से बातचीत करने के लिये तैयार है कि वे १९५६ की रेखा तक हट जायें ।

६ अगस्त, १९६२ को प्रधान मंत्री ने कहा कि चीनियों की भाषा निरन्तर अपमानजनक बातों से और गाली से भरी होती जा रही है तथा कि उन का क्रियाकलाप लदाख में बढ़ रहा है । फिर भी वह उन्हें बातचीत की प्रस्तावना कर रहे हैं।..तथा उसके लिये उचित वातावरण की आशा किये बैठे हैं। जिस तरह की परिस्थिति का हमें सामना है, हमारे लिये एक दूसरे को दोष देने से कोई लाभ नहीं है। हम प्रधान मंत्री से केवल १९५९ की नीति का पुष्टीकरण चाहते हैं।

इस समय चीनी हम से समझौता करना चाहते हैं क्योंकि वे दृढ़ स्थिति में हैं। क्षेत्रीय और सैनिक दृष्टि से इस समय वे लाभप्रद स्थिति में हैं। यह तथ्य कि उन्होंने लद्दाख क्षेत्र में जुलाई में छः और चौकियों स्थापित कर ली हैं तथा गलवान और चिपचाप घाटी में हुई घटनाओं से जाहिर होता है कि सैनिक दृष्टि से बहुत ही प्रबल स्थित में हैं। चीनी उस क्षेत्र में अपने अड्डे, डिपो, पाइप-लाइन, सड़कें तथा संचार साधन बड़ी शीघ्रता से कायम करते जा रहे हैं।

चीनी लद्दाख को सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं, चाहे हम उस क्षेत्र को अनुपजाऊ या उजाड़ कहें। उन्होंने पहले दर्रों पर अपना दावा जमा लिया है तथा उनका पाकिस्तानी क्षेत्र पर दावा यह बताता है कि उनकी आंख अब लद्दाख को जाने वाले शेष के मुख्य दर्रों पर है।

राजनयिक दृष्टि से स्थिति क्या है ? क्या चीनियों का हाथ हमारे ऊपर नहीं है। उन्होंने बर्मा और नेपाल के साथ हमारी दोस्ती को भी प्रभावित किया है। दुःख की बात है कि नेपाल निरन्तर साम्यवादों के चंगल में जा रहा है। वास्तव में देश को खतरा चीन से है। चीनी नीति का मुख्य उद्देश्य भारत का सम्मुख हो कर मकाबला करना नहीं है परन्तु पुलों का बनाना है, ताकि बाद में विध्वंसक कार्यवाहियों द्वारा साम्यवाद के लिये उसको छड़ाया जा सके। ये पुल नेपाल, भूटान तथा सिक्किम है। चीनियों का भूटान और सिक्किम में अनधिकृत रूप से प्रवेश करना अनिवार्य है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उन की स्थिति बहुत अच्छी है। चीनियों की नीति यही है कि भारत में अड्डे बनाये। भारतीयों का ही प्रयोग करे और उन्हें विनाशकरी कार्यवाहियों में प्रशिक्षण दे कर अपना प्रयोजन सिद्ध करे ।

हमें रूस के बारे में गलतफहमी नहीं होनी चाहिये। वे नहीं चाहेंगे कि एशिया में भारत की सरदारी रहे। चीन पर आक्रमण की हालत में रूस अवश्य चीन के पक्ष में होगा। रूस के नकशों में भी चीनी दृष्टिकोण की पुष्टि की गई है ।

प्रधान मंत्री ही एक एसे व्यक्ति हैं जो देश को खतरे का मुकाबला करने के लिये इकठ्टा कर सकते हैं। हम केवल इतना चाहते हैं कि वे अपने १९५९ के नीति वक्तव्य को दुहरायें की तब तक बातचीत नहीं होगी जब तक चीनी १९५९ की रेखा तक नहीं, बल्कि परम्परागत सीमान्त तक वापस न चले जायें ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जनसंघ के महान् नेता, श्री त्रिवेदी, ने कहा कि "हिमालय" नाम भारतवर्ष का दिया हुआ है। मैं उन को याद दिलाना चाहता हूं कि "चीन" नाम भी चीनियों का दिया हुआ नहीं है --वह भी भारत का ही दिया हुआ है। हमारे वैदिक साहित्य से लेकर अब तक "चीन" के लिये "स्तीन" और "रेशम" के लिये "चीनान्शुक" शब्द

[श्री रघुनाथ सिंह]

का प्रयोग किया गया है। इस से प्रकट है कि हिमालय का ही नहीं, बल्कि चीन का नाम भी भारतवर्ष का ही दिया हुआ है।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : क्या हिमायल का भारतीय नाम कायम रहेगा ?

श्री रघुनाथ सिंह : अवश्य रहेगा। जब तक हम हैं, वह कायम रहेगा। वह समाजवादी पार्टी के कारण नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी की बदौलत कायम रहेगा।

अभी श्री मेनन के सम्बन्ध में कहा गया है कि जेनेवा में उन्होंने मार्शल चेन यी से बातें कीं। मार्शल चेन यी ने श्री मेनन से बातें करने के बाद तीन बातें उठाई हैं। पहली बात उन्होंने यह कही कि दलाई लामा के भारतवर्ष में आने के पश्चात हिन्दुस्तान की तरफ से चीन के एग्रेशन का सवाल उठाया गया। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि चीनी सैनिक तेरह बरस उस भूभाग में स्थित हैं, जिस को चीन अपना बताता है। तीसरी बात उन्होंने यह कही कि सीमासेके इस प्रश्न को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैं देखना चाहिये।

श्री रामसेवक यादव : प्रतिरक्षा मंत्री की सफाई देने की जरूरत नहीं है। वह स्वयं अपनी सफाई देंगे।

श्री रघुनाथ सिंह : उन की सफ़ाई मैं दगा। वह भी कांग्रेस पार्टी में हैं और मैं भी कांग्रेस पार्टी में हूं। फिर इस में सफाई देने का सवाल नहीं है। जो वास्तविक स्थिति है, वह मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

मार्शल चेन यी के स्टेटमेंट में पहले यह कहा गया है :—

> "१९५९ में दलाई लामा के भारत में भाग आने के बाद ही भारत चीनी अतिक्रमण की शिकायत करने लगा।"

उसके बाद दूसरी बात यह कही गई है :—

"१९५९ और १९५० के बाद हम अपनी राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने लगे, पिछले तेरह वर्षों से हमारे सैनिक अपने पदों से बाहर नहीं गये।"

आप देखेंगे कि ये दोनों स्टेटमेन्टस परस्पर-विरोधी हैं। अगर उन की पहली बात मान ली जाये कि दलाई लामा के यहां पर आने के बाद से हम ने एग्रेशन की बात शुरु की है तो फिर उन की दूसरी बात ठीक नहीं है कि वे तेरह बरस से उस भूखंड पर कायम हैं।

जहां तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सवाल है, चीन का तिथिवार इतिहास ४०० ए० डी० से शुरू होता है। काश्मीर का इतिहास और लद्दाख का इतिहास ३,००० बी० सी० से आरम्भ होता है। ५,००० वर्ष से लद्दाख और काश्मीर का तिथिवार इतिहास हमारे पास मौजूद है। संसार में किसी देश के पास भी, किसी राष्ट्र के पास भी इतना सुन्दर और इतना पुराना इतिहास नहीं है। यह बात मैं जिस को पृष्ठभमि कहा जाता है, उसकी आपको बतला रहा हूं।

आगे चल कर उन्होंने कहा है :—

"जब भारत ब्रिटिश उपनिवेश था, तो निर्णय का अधिकार . . .

लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर पुरानी बात को आप उठायेंगे तो पुरानी बातों में भी आपकी यह बात ठहर नहीं सकेगी। महाभारत को अगर आप देखेंगे तो पायेंगे कि चीन के सम्राट

†मूल अंग्रेजी में

युधिष्ठिर को भेंट लेकर आए थे। इस बिना पर अगर आज हम कहें कि चीन भारत-वर्ष का अंश था तो यह बात ठीक नहीं उतरती। आज से पांच हजार वर्ष पहले चीन ने माना था कि भारत सम्राट है। यह बात सभापर्व महाभारत में आप पायेंगे।

यह पुरानी बात है और आप कह सकते हैं कि पुरानी गाथा गाने से क्या लाभ। (अन्तर्बाधा) अगर हम महाभारत और रामायण की बात को भी भूल जाएं और काश्मीर के इतिहास को देखें तो आप पाएंगे कि लद्दाख काश्मीर का अंश था। काश्मीर के इतिहास में मेघवाहन, ललितादित्य और अवन्तिवर्मा के समय में लद्दाख का जो एरिया कहा जाता है और जिस के बारे में कहा जाता है कि चीन का है, वह काश्मीर का एरिया था। उसको भी आप छोड़ दें। चौदहवीं शताब्दी में आप जाएं। बादशाह जैनुल आबदीन के समय में लद्दाख काश्मीर के अधीन था। इसको भी आप छोड़ दें और रीसेंट बात पर आप आयें। आप सिखों के इतिहास को लें। मुगल पीरियड की बात मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि उन के समय में काश्मीर की सत्ता मुगलों के हाथ में आ गई थी। मैं नहीं कह सकता हूं कि लद्दाख उस समय काश्मीर के अन्तर्गत था या नहीं लेकिन सिख काल में तथा डोगरा काल में लद्दाख काश्मीर का अंश था और भारतीय सेना तिब्बत के पास तक करीब करीब पहुंच चुकी थी।

इस को भी आप भूल जाएं। तिब्बत के नाम को आप लें। तिब्बत का नाम किमपुरुष देश था। किन्नर देश का नाम लद्दाख का था। शुरू से लेकर अब तक के भारतीय वाङमय में जहां भी आप देखें, किन्नर देश नाम आप पायगे, किमपुरुष नाम आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों की संज्ञा थी लद्दाख और तिब्बत से है। प्राचीन इतिहास को आप देखें, आपको पता चलेगा कि किमपुरुष देश तो भारत के अन्तर्गत नहीं था, । किन्तु किन्नर देश भारत वर्ष के अन्तर्गत था। किन्नर देश के राजा लोग भारतवर्ष का जो सम्राट हुआ करता था उसको अपना सम्राट मानते थे। मैं चीनी इतिहास-कारों से पूछना चाहता हूं कि क्या कभी भी इतिहास में काश्मीर के राज्य ने या लद्दाख के राज्य ने चीन वालों को या चीन के सम्राटो को अपना सम्राट माना है? कभी नहीं माना है। चीन के सम्राट को कभी लद्दाख के और काश्मीर के राजाओं ने अपना सम्राट नहीं माना है और नहीं अपने को उनके अधीन माना है। इसके विपरीत लद्दाख और काश्मीर के जो राजा थे या जब काश्मीर का राज्य सिंहासन खाली होता था तो भारत का जो सम्राट होता था उसकी अनुमति से काश्मीर के सिंहासन पर राजा लोग बिठाये जाते थे। यह हमारी ऐतिहासिक परम्परा रही है।

अब मुख्य बात यह है कि हम को करना क्या चाहिये बहुत सी बातें हमारे एंथनी साहब ने कहीं हैं और डिफेंस की चर्चा हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने भी की है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सभी बात खोली नहीं जाती हैं। मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं। बातें पुरानी हैं लेकिन बहुत ठीक हैं। युधिष्ठिर से भीष्म ने पूछा कि लोकतंत्र कब असफल होता है? शान्तिप्रेमी युधि-ष्ठिर ने उत्तर दिया कि लोकतंत्र उस समय असफल होता है जब सुरक्षा नीति, सुरक्षा व्यवस्था का आभास जो शत्रु को प्राप्त हो जाता है। आपको मैं एक दूसरा प्रमाण देता हूं। भगवान बुद्ध से अजातशत्रु के मंत्री वष्टाकार ने पूछा कि लिछवी लोग हैं, उन का नाश कैसे होगा। वे लोकतंत्रीय थे। इस के जवाब में भगवान बुद्ध ने कहा कि लिछवी लोग सन्निपात बहुल हैं, अर्थात् आपस में मिलते खूब हैं, बातचीत करते हैं, विचार विमिमय करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अपने बद्धों का आदर करते है और उन के आदेश के अनुसार चलते हैं। अगर ये दोनों बात चलती रहती हैं, तो लोकतंत्र का नाश नहीं हो सकता है, उनका नाश नहीं हो सकता है। आज भी यह बात बिल्कुल ठीक बैठती है। अगर हम डिफस के सम्बन्धमें बहुत ज्यादा प्रश्न करेंगे, बहुत ज्यादा बातें उठायेंगे, कहां क्या है, कब है कैसे होगा, क्यों होगा, इस तरह की बातें उठायेंगे तो हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था दूसरों के लिए खोल देंगे और ऐसी स्थिति में अगर आप चाहें तो भारत की रक्षा हो तो वह ठीक तरह से हो नहीं सकती है।

[श्री रघुनाथ सिंह]

आज पाकिस्तान क्या सोचता है ? एक तरफ तो पाकिस्तान सिक्योरिटी कांउसिल में सवाल उठाता है कि काश्मीर पाकिस्तान का है, और दूसरी ओर जहां तक लद्दाख एरिया का प्रश्न है वह चुप है, ऐसा क्यों है, ? इस के दो कारण हैं । एक तो पाकिस्तान यह सोचता है कि चीन का भारत के साथ संघर्ष हो जाए और उस संघर्ष का लाभ उठा कर वह हिन्दुस्तान पर आक्रमण करें । ऐसा मालूम हुआ है कि पाकिस्तान के डिफेंस चीफ आफ स्टाफ की यह स्ट्रेटेजी है और हमें उसको मान लेना चाहिये । दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान सोचता है कि अगर कभी जनगणना होगी तो लद्दाख तो उस के पास आने वाला नहीं है, जम्मू तो उसके पास आने वाला नहीं है , तो इन दोनों के बारे में क्यों सोचा जाए इसलिए पाकिस्तान लद्दाख के बारे में और जम्मू के बारे में सोच नहीं सकता है । इस वास्ते हमें इस बात से सावधान रहना चाहिये । आप इतिहास को देखिये कभी भी , जब का भी इतिहास आपके पास है , न भारत ने चीन पर और न ही चीन ने भारत पर आक्रमण किया है । लेकिन पाकिस्तान से हिन्दुस्तान पर आक्रमण होने की सम्भावना है । पाकिस्तान हिन्दुस्तान पर आक्रमण कर सकता है । हम सैक्युलर हैं । चीन सैक्युलर स्टेट है । लेकिन पाकिस्तान सैक्युलर स्टेट नहीं है । हमारे ही माननीय सदस्यों ने भाषण दिए और बहुत सी बातें कहीं लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो इतने एग्रेशन हमारे ऊपर हो रहे हैं, प्रतिदिन इनकी घटनायें घट रही हैं, बोर्डर रेडज हो रहे हैं, उन के सम्बन्ध में उन्होंने एक बात भी नहीं कही है । हमें पाकिस्तान की तरफ से भी सावधान रहना होगा और पूरी तैयारी रखनी होगी ।

†**श्री कृष्ण पाल सिंह** (जालेसर) : औचित्य प्रश्न के हेतु ! क्या हम भारत चीन सीमान्त की स्थिति या भारत-पाकिस्तान सीमान्त की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं ?

†**श्री रघुनाथ सिंह:** दोनों पर ।

†**कुछ माननीय सदस्य :** नहीं, नहीं ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह इसलिए कहता हू कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि काश्मीर उसका है । इस वास्ते मैं उसका जवाब दे रहा हू कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या है । हमें ऐसी उलझनों में नहीं फसना चाहिये । जिन में से हम बाहर न निकल सकें और बाहर निकलने का कोई रास्ता हमारे पास बाकी न बच सके । अब सवाल यह पैदा होता है कि हमें क्या करना चाहिये । चीन की स्ट्रेटेजी तिब्बत के सम्बन्ध में क्या है? आप देखेंगे कि १ अगस्त को पेकिंग रेडियो से एक विज्ञप्ति प्रसारित की गई थी जिस में यह कहा गया था कि बीस लाख आदमियों को तिब्बत में वे बसायेंगे । प्रतिदिन आप पेकिंग रेडियो को सुने तो आप को पता चलेगा कि वह इस बात पर जोर दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आदमी जा कर तिब्बत् में आबाद हों । जो तिब्बती लोग हैं, उनकी तादाद तिब्बत में १.२ मिलियन अर्थात् १२ लाख है । अगर दो मिलियन , अर्थात २० लाख चीनी वहां जा कर आबाद हो जाते हैं तो उसका फल यह होगा कि तिब्बतियों के ऊपर उनकी सुपीरियारिटी कायम हो जाएगी । पेकिंग रेडियो ने यह भी अनाउंस किया है कि पांच लाख चीनी अब तक तिब्बत में जा कर आबाद हो चुके हैं। प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषणों में बहुत बार कहा है कि यह जो लद्दाख का एरिया है इस में आबादी नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि शत्रु की कही हुई बात का ी हमें कभी अनुकरण करना चाहिये । कभी कभी उसकी कही गई बात भी ठीक होती है । चीन जो पालिसी तिब्बत में अपना रहा है । वही पालिसी हमें लद्दाख में अपनानी चाहिये । हमें भी उस गैर-आबाद भूखंड को आबाद करना चाहिये । हम सभी जानते हैं कि काश्मीर में एक कानून बना हुआ है कि जिस के अनुसार कोई बाहरी आदमी जा कर वहां आबाद नहीं हो सकता है । जमीन नहीं खरीद सकता है । मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक लद्दाख का ताल्लुक है, इस कानून में, इस धारा में संशोधन किया जाए और अगर कोई आदमी लद्दाख में जा कर आबाद होना चाहे तो इसका उसको अधिकार होना चाहिये ।

†मूल अंग्रेज़ी में

दूसरी बात नैगोशिएशंस की है । नैगोशिएशंस के माने, जैसा हमारे दूसरे भाइयों ने कहा, सरेण्डर नहीं होते। कौटिल्य ने कहा है कि पहले वार्ता होनी चाहिये, तत्पश्चात् सन्धि होनी चाहिए। इसके बाद अभियान होना चाहिये और अन्त में आक्रमण होना चाहिये। लोग एक एक स्टेज से चलें। पहले हम लोग वार्ता संधि करें। जब वार्ता संधि असफल हो जाय तब फिर अभियान की बात आती है ।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि जहां तक मंत्रिमंडल का सम्बन्ध है, सीमा का विषय है, चूंकि उस म रोज ही अनेक प्रकार की घटनायें हुआ करती हैं, इसलिये उसके लिये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । हमारे सुरक्षा विभाग में तीन मंत्री हैं, उन में से कम से कम एक मंत्री का यह काम होना चाहिये कि वह सिर्फ बार्डर के विषय को देखे।

चौथी बात मुझे यह कहनी है कि आज सब से बड़ी आवश्यकता लद्दाख एरिया म काफी एअर पोर्ट होने की है, वहां पर सड़क होनी चाहिये। अगर वहां पर अधिक एअर पोर्ट नहीं होगा, सड़क नहीं होगी, तो हमारी जीवन रेखा वहीं सूख जायेगी।

इन शब्दों के साथ में फिर कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति है, उसके अलावा और कोई नीति भारतवर्ष की हो नहीं सकती और मैं उसका समर्थन करता हूं ।

†श्री कर्णी सिंहजी (बीकानेर) : चीन क प्रति भारत की कमजोर नीति के कारण, नेपाल, भूटान और सिक्किम जैसे देशों का हमारे नेतृत्व से विश्वास उठ गया है । यदि एशिया के स्वतंत्र विचार वाले देश हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम उनका सुदृढ़तापूर्ण नेतृत्व करें ।

वास्तव में राष्ट्र को हमारी भूमि पर चीनियों के अतिक्रमण का पता है । लोगों में ऐसी भावना पाई जाती है कि प्रधान मंत्री ने चीनियों की नीति के बारे में इतनी दृढ़ता से काम नहीं लिया।

निश्चय ही हम चीन से कुछ नहीं चाहते, परंतु साथ ही हम अपमानयुक्त शांति नहीं चाहते तथा न ही अपने राज्य क्षेत्र को छोड़ना चाहते हैं।

यदि हम चीन के खतरे का सामना करना चाहते हैं तो सैनिक दृष्टि से हमारे देश को अच्छी तरह से तैयार होना चाहिये। बताया जाता है कि चीन आण्विक शस्त्र तैयार कर रहा है । हमारे देश के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह आण्विक अनुसन्धान करे तथा किसी आपात के लिए भी तैयार रहे। इस बारे म लापरवाही घातक सिद्ध हो सकती है ।

मैं निशस्त्रीकरण के हक में हूं किन्तु क्या प्रतिरक्षा की दृष्टि से दो विरोधी देशों क बीच शस्त्रीकरण का संतुलन नहीं होना चाहिये। यदि चीनी लद्दाख में अणुबम का प्रयोग करें, तो हम क्या करेंगे । इसलिए हमारे देश के लिए आण्विक अनुसंधान को बढ़ावा देना आवश्यक है ।

हम रूस के प्रति उसके द्वारा दी गई सहायता क लिए आभारी हैं किन्तु मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या चीन के साथ युद्ध होने की स्थिति म रूस हमारी मदद को आयेगा। हमें इस बात का पूरा पता लगा लेना चाहिये और यह जान लेना चाहिये कि हमारे मित्र कौन हैं प्रतिरक्षा मंत्री का कहना ह कि हमें अधिक खतरा पाकिस्तान से है, और चीन से नहीं है । मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि चीन ने भारतीय इलाके पर कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान ने नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कर्णी सिंहजी]

हम बीते समय से शिक्षा लेनी चाहिये तथा अपने मित्रों के चुनने में सावधान रहना चाहिये । हमें सुनिश्चित करना चाहिये कि हम जो देश शस्त्र बेचते हैं उनका सचमुच प्रजातंत्र में विश्वास हैं तथा हमारा मजबूती से साथ देंगे ।

राष्ट्र प्रधान मंत्री से यह निश्चित उत्तर चाहता है कि चीनी कब तक हमारा राज्य क्षेत्र छोड़ देंगे । हम अनुरोध करना चाहिये कि किसी वार्ता से पहले चीनी पुराने सीमांत तक पीछे हट जायेंगे ।

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : सब से पहले उन जवानों को बधाई देता, जिन्होंने इतनी ऊंचाई पर हमारे राष्ट्र के सीमांतों की रक्षा की है और वहां अपना काम बहुत प्रशंसनीय तरीके से कर रहे हैं ।

मैं अनुभव करता हूं कि आजकल सीमांत पर हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था पहले से इतनी दृढ़ हो गई है कि राष्ट्र को प्रधान मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री का आभारी होना चाहिये । वह दिन दूर नहीं जब हम चीनियों से अपने क्षेत्र को लौटाने के वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो जायेंगे ।

दो देशों के बीच खिंचाव को धैर्य से और ढंग से दूर किया जाता है । हमारा देश इसी नीति पर चल रहा है और हम इसी नीति पर चलते रहेंगे जब तक यह समस्या हल नहीं हो जाती ।

राष्ट्रीय संकट के सामने सदन क सब सदस्यों का कर्त्तव्य है कि वह प्रधान मंत्री का पूरा पूरा समर्थन करे और दल बन्दी का ख्याल न करे । यह कहना गलत है कि प्रधान मंत्री चीन को संतुष्ट करने के लिए देश का क्षेत्र चीन के हवाले कर रहे ह । हवाले करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । प्रधान मंत्री ने केवल यह कहा है कि अधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भिक बातचीत होनी चाहिये । यह प्रतिवेदन बहुत अच्छी तरह तैयार किया गया है और इसके आधार पर बातचीत करने में कोई हानि नहीं है ।

यह कहना भी गलत है कि नेपाल, भूटान और सिक्किम के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं । मैं समझता हूं कि वह पहले से बहुत अच्छे हैं ।

समय की आवश्यकता पर है कि प्रत्येक दल इस समय प्रधान मंत्री का समर्थन करें ताकि वे चुनौती का डट कर मुकाबला कर सकें । वे एक महान नेता हैं जिन में देश को विश्वास है । हमारी नीति देश की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाना है तथा इसम हम काफी सफल हो रहे हैं ।

श्री जोकीम अल्वा (कनारा) : पिछल श्वेतपत्र में हमारे महान उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट कर दिये गये थे । भारत और चीन की सीमा एक मैत्री सीमा थी और वह कई शताब्दियों तक निरन्तर चलती रही । लेकिन अब चीन ने इस सीमा को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है । आज चीनियों ने सीमा का अतिक्रमण किया है । चीनी एक ऐसी जाति है जिसके बारे में कभी भी यह पता नहीं चलता कि वह कब हमारे दोस्त हैं और कब हमारे दुश्मन हैं । हमें अपनी सीमा की सुरक्षा करनी चाहिये वर्ना स्थिति खराब हो जायेगी ।

†मूल अंग्रेज़ी में

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि हमें युद्ध छेड़ देना चाहिये । लेकिन मेरा विचार है कि उन्होंने युद्ध की विभीषिका को समझा ही नहीं है । इस युद्ध का अभिप्राय विश्वयुद्ध होगा । स्वतंत्रता प्राप्ति में पश्चात् अब तक हम पाकिस्तान से बराबर जूझत चले आ रहे हैं। लड़ाई की बात करना बड़ा आसान है । कुछ लोगों का कहना है कि यदि चीन से युद्ध होगा तो रूस हमारी सहायता करेगा लेकिन यह बात गलत है । रूस अवश्य ही चीन की मदद करेगा । वर्ना उसकी स्थिति खराब हो जायेगी ।

जनहित को ध्यान में रखकर यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमें प्रतिरक्षा के विभिन्न अंगों के बारे में जो स्थिति है उसके बारे में सही जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिये क्योंकि इससे हमारी हानि ही होगी । आज जब देश पर युद्ध के बादल छाये हुए हैं तो यह सभी का कर्त्तव्य हो जाता है कि हमें अपना कोई भेद प्रकट नहीं करना चाहिये । यदि हम सेना के बारे में भेद बता देते हैं तो इसमें देश के उन नौजवानों की जान का खतरा है जो सेना में काम कर रहे हैं ।

हमारे प्रधान मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि वह युद्ध के पक्ष में नहीं हैं किन्तु यदि युद्ध आ ही जाता है तो हमें अपना बचाव करना ही होगा बचाव के अलावा और कोई चारा नहीं है । यदि पाकिस्तान के साथ ही लड़ाई होती है तो सारा देश बर्बाद हो जायेगा । युद्ध की बात करने वाले यह भूल जाते हैं कि क्या हम मानसिक अथवा शारीरिक रूप से लड़ाई के लिये तैयार हैं ? मुझे तो यह भी दिखाई नहीं देता कि यदि युद्ध हुआ तो कोई भी व्यक्ति अपनी लड़कियों को युद्धकाल में नर्स का काम करने के लिये भी भेजेगा । मैं तो यही कहूंगा कि न तो हम सामाजिक, न आर्थिक और न राजनैतिक दृष्टि से ही युद्ध के लिये तैयार हैं ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सन् १९६१ में चीन ने रूस के साथ काफी व्यापार किया है । चीन ने रूस को १९७० लाख पाउंड का सामान भेजा जब रूस ने चीन को १३१० लाख पाउंड का सामान भेजा । १९६० में चीन ने रुस को ३०३० लाख पाउंड का सामान भेजा जब कि रुस ने २९२० लाख पाउंड का माल बेचा । इससे दोनों देशों के बीच के सम्बन्ध का पता चलता है ।

कलकत्ता से लेकर कैनबरा तक का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है । हम उसकी अवहेलना नहीं कर सकते । इस क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं उनके सामने चीन की समस्या है । वे किसी न किसी रूप में चीन से पीड़ित हैं । यह वह समय है जब हमें इन सभी देशों के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित करें । ऐसा करने से हमें बल मिलेगा । भले ही हम उनसे राजनैतिक दृष्टि से मतभेद रखते हों लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती हमारे लिये लाभदायक होगी । अब हमारे सर पर विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं । वह दिन दूर नहीं है जब हम युद्ध के लिये अच्छी तरह तैयार हो सकेंगे ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : आज जिस विषय पर इस सदन में चर्चा चल रही है, वह बहुत ही गम्भीर विषय है । भारत की चौदह हजार वर्ग मील भूमि चीन के अधिकार में है और पचास हजार वर्ग मील भूमि पर वह आंख लगाए हुए है । इस विषय पर जितनी गम्भीरता के साथ विचार होना चाहिये, शायद नहीं हो रहा है । प्रधान मंत्री जी जिस समय अपना प्रस्ताव रखने खड़े हुए तब कांग्रेस सदस्यों की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट से

[श्री राम सेवक यादव]

उनका भाषण प्रारम्भ हुआ और उसका अन्त भी तालियों की गड़गड़ाहट से ही हुआ। ऐसा लगता था जैसे शायद प्रधान मंत्री जी कोई विजय प्राप्त करके आए हों या कोई हिस्सा ले करके लौटे हों। इन माननीय सदस्यों को शायद यह पता नहीं था कि चौदह हजार वर्गमील जमीन चीन के अधिकार में चली गई है और ऐसा कर के उसने हमारे आत्म-सम्मान को जबर्दस्त धक्का लगाया है। चाहे इस ओर के माननीय सदस्य हों और चाहे उस ओर के हों, जब हम इस प्रश्न पर विचार करें तो उस समय ऐसा आभास नहीं मिलना चाहिये। कि इधर के लोग यह कहते हैं कि चौदह हजार वर्ग मील भूमि को वापस लो और उधर के लोग कहते हैं कि नहीं, वापिस न लो। लेकिन जब इस प्रश्न पर विचार चल रहा है तो ऐसा मालूम देता है कि इस प्रकार का वातावरण बन गया है।

जब यहाँ पर अंग्रेज राज्य करते थे, उस समय उनकी विदेश नीति का कोई सिद्धान्त नहीं था, उनका ध्यान तो केवल इसी बात पर केन्द्रित रहता था कि अपने व्यापारिक हितों की रक्षा कैसे की जाये, अपने साम्राज्य की रक्षा कैसे की जाये और इसीलिए उन्होंने मलाया, सिंगापुर और अरब देशों आदि पर अपना प्रभुत्व, अपना अधिकार जमाए रखा और उन पर हावी रहे। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई कि वह अपने पड़ौसी राज्यों के साथ कुछ नए सम्बन्ध कुछ नए रिश्ते जोड़े। लेकिन भारत ने इस अवसर को खो दिया। हिन्देशिया के देशों को आजाद कराने में हिन्दुस्तान ने जरूर सहयोग दिया, हिन्दुस्तान ने जरुर योगदान किया लेकिन जहाँ तक मलाया और सिंगापुर का सम्बन्ध है, भारतवर्ष कुछ खामोश रहा और उसका नतीजा यह है कि आज वह उनकी सहानुभूति खो बैठा है, उनकी सहानुभूति हमारे साथ नहीं है।

चीन से हमारा हजारों बरस पुराना सम्बन्ध है। उसके साथ हमारा धार्मिक सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध हजारों वर्ष पुराना है। लेकिन कम्युनिस्ट चीन के साथ हमारा सर्वप्रथम सम्बन्ध ३० दिसम्बर, १९४९ से शुरु होता है जब हिन्दुस्तान ने कम्युनिस्ट चीन को मान्यता प्रदान की। कम्युनिस्ट चीन शुरु से ही विस्तारवादी था। उसकी इस विस्तारवादी नीति का पता ७ अक्तूबर, १९४९ को ही लग गया था जब उसने अपनी फौजें तिब्बत में भेज दी थीं। प्रधान मंत्री ने उस समय चीन को ठीक ही सलाह दी थी कि वह ऐसा कोई काम न करे क्योंकि उस की ऐसी कार्रवाई से शायद संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके पक्ष के विरुद्ध कुछ संकट या कठिनाई पैदा हो जाये। परन्तु इस नेक सलाह का जवाब चीन ने क्या दिया ? उसने कहा कि भारतवर्ष ने शायद इसलिये ऐसी बात कही हो कि जो देश चीनियों के दुश्मन हैं वह उनके प्रभाव के अन्तर्गत हो। यह उसकी बदनियती का दूसरा सुबूत था जो कि हिन्दुस्तान के प्रति थी।

सन् १९५४ में इस घटना के बावजूद, चीन की विस्तारवादी नीति का संकेत मिलने के बाद भी हिन्दुस्तान और चीन के बीच संधि हुई, और उस संधि के फलस्वरूप तिब्बत को चीन का अंग मान लिया गया, और यही नहीं तिब्बत के अन्दर हिन्दुस्तान के व्यापारिक और अन्य दूसरे अधिकार जो थे, सुविधायें थीं, उन्हें चीन के हवाले कर दिया गया। भारत को चाहिये था कि तिब्बत और हिन्दुस्तान के बीच जो परम्परागत धार्मिक व्यापारिक और साँस्कृतिक सम्बन्ध थे, उनको दृष्टि में रखते हुए वह तिब्बत की स्वतंत्रता को स्वीकार करता और संयुक्त राष्ट्र संघ में और दूसरे देशों के सामने उसको मान्यता दिलाता और उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र की शक्ल में रखने की कोशिश करता। यहाँ कभी कभी

सुजरेन्टी और सावरेन्टी की बात कही जाती है, खास तौर सरकार की ओर से, अव्यवहारिक बहस करके बराबर इस मसले को खराब किया गया, और ऐसा करके भारत ने न केवल तिब्बत की ही जनता को चीनियों के चंगुल में फंसाया बल्कि हिन्दुस्तानके सामने भी एक जबर्दस्त खतरा ला रक्खा, और वह खतरा हिन्दुस्तान की सीमा की अरक्षा का है। आज हमारी सीमा सुरक्षित नहीं है क्योंकि इस समझौते के बाद तिब्बत हिन्दुस्तान का पड़ौसी न रह कर चीन हिन्दुस्तान का पड़ौसी हो गया। चीन और हिन्दुस्तान की सीमायें एक दूसरे से मिल गई, और उसका कुपरिणाम हम आज भोग रहे हैं। आज कैलाश और मानसरोवर अपने नहीं रहे। लद्दाख में चीनियों का कब्जा हो गया है और आज हम उस खतरे से दो चार हो रहे हैं। पंचशील का जो बहुत ही अच्छा सिद्धांत था वह आज पंच शूल के समान हमारे सामने आ गया है।

सन् १९५४ में बड़ाहोती पर चीन ने सबसे पहले हक जताया कि बड़ाहोती चीन के अन्दर है, और उसके बाद ही २८ जून, १९५५ को उसने वहाँ प्रवेश किया। इस प्रकार से उसने अब तक १४,००० मुरब्बा मील को हड़प लिया और ५०,००० मुरब्बा मील पर उसका दावा है। हिन्दुस्तान की जो नीति हमेशा चीन के प्रति रही वह तुष्टीकरण की रही। सन् १९५५ से ले कर जुलाई, १९६२ तक हमने देखा कि चीन ने कम से कम पचास बार भारतीय सीमा का अतिक्रमण किया, भारत के अन्दर चौकियों की स्थापना की, सड़कों का निर्माण किया, भारतीय सिपाहियों की पिटाई की, किलों पर कब्जा किया, गोली वर्षा की, सिपाहियो को कैद किया, और साथ साथ गलवान नदी, जो कि हमारा इलाका था, उसको घेरने इत्यादि की घटनायें हुईं। उससे भी मजेदार बात थी चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की बातचीत और समझौते की बात चीत चलाना। यह सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि चीन का क्या नुक्ता नजर है, चीन हिन्दुस्तान के बारे में किस तरह से सोचता है। लेकिन इस के उल्टे हमारे देश ने, हमारे प्रधान मंत्री ने, इसी बीच में कम से कम चार या पाँच बार हमला होते हुए, भारतीय भुमि पर कब्जा होते हुए, भी संक्युत राष्ट्र संघ में चीन के दाखिले की बात की उस की तरफदारी की। मैं नहीं कहता कि हिन्दुस्तान की सरकार यह कहती कि चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में न लिया जाये। लेकिन कम से कम हमारी क्या, हमारे आत्म सम्मान का तकाजा था कि हम ऐसी बात न करते, क्योंकि वह समझता था कि चाहे जिस तरह पर भारत की जमीन पर कब्जा किया जाये, भारत घुटने टेकता जायेगा। आज चीन समझता है कि भारत कमजोर है। आज चीन मकाओ और हांगकांग की तरफ आँख उठाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन हिन्दुस्तान के भीतर बढ़ता चला आता है, और वह आक्रमण आज भी जारी है। यह सब क्यों है? यह इसलिये है कि प्रधान मंत्री ने जो नीति अपनाई है वह घुटना टेक नीति है। समझ में नहीं आता कि प्रधान मंत्री को चाऊ एन लाई की कौन सी अदा पसन्द आ गई है कि वे घुटने टेकते जाते हैं। एक शायर ने क्या खूब कहा है :

"पसन्द अपनी अपनी, नजर अपनी अपनी,
वह जितने ही कातिल हैं, वह उतने ही प्यारे हैं।"

जितना ही वह कब्जा करते चले जायें उतना ही हिन्दुस्तान की सरकार उन की प्रशंसा करती चली जाय और प्रधान मंत्री बोली बोलें की चीन का इरादा हिन्दुस्तान की जमीन पर कब्जा करने की नहीं है, लड़ाई की नहीं है? वह क्यों लड़ाई लड़ेगा जब उस की मन चाही जमीन ही उस से मिल जाती है? जब भारत की तरफ से केवल विरोध पत्र के आइटम चले जाते हैं तो उस को क्या जरूरत

[श्री रामसेवक यादव]

पड़ी है कि वह लड़े ? आज भारत की उत्तरी सीमा अरक्षित है। सरकार ने फौज रखते हुए भी चीनी अतिक्रमण का मुकाबला नहीं किया। मैं नहीं कहता कि लड़ाई करनी चाहिये, लेकिन जब हम फौज रखते हैं, जब हम पलटन रखते हैं तब अगर हमला होता है तो उस का मुकाबला किया जाना चाहिये चाहे हम कितने ही कमज़ोर क्यों न हों आज शायद ही कोई कहता हो कि लड़ाई की जाय, मैं नहीं समझता कि इस तरफ से किसी ने भी कहा है कि लड़ाई की जाय। मैं कहना चाहूंगा कि लड़ाई की बात करना मैं बचपना समझता हूं । हालांकि हमारे पास फौज काफी नहीं है लेकिन किसी देश की फौजी ताकत ही काफ़ी नहीं होती । किसी देश की आन्तरिक आर्थिक दशा कैसी है, किसी देश के आन्तरिक भौतिक साधन कैसे हैं, इन सब चीज़ों से किसी देश की फौजी शक्ति आंकी जाती है । अगर हम इस तरह से आंकें तो पायेंगे कि जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था तब चीन और हिन्दुस्तान इस्पात या लोहे के मामले में करीब करीब बराबर थे। अन्न के मामले में बराबर थे, लेकिन आज दस या पन्द्रह साल के बाद जहां हम ३५, ४० लाख टन लोहा पैदा करते हैं वहां चीनमें डेढ़ करोड़ टन लोहा होता है। हमारे यहां अन्न ८ या ६ करोड़ टन पैदा होता है और चीन में २७ करोड़ टन पैदा होता है, जब कि आबादी का अनुपात चीन और भारत में ३: २ का है। चीन हमसे लोहे और अन्न के मामले में तीन या चार गुना आगे हैं। जब तक हम इस स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकते तब तक हमारा चीन के साथ युद्ध की बात करना मैं बचपना ही समझता हूं। लेकिन जैसा शुरू में मैं ने कहा, यदि हम पर हमला होता है तो हम नहीं देखेंगे कि हम तैयार हैं या नहीं । हमारे सामने रूस और इंग्लैंड का इतिहास रहना चाहिये कि हमला होने पर हम उस का मुकाबला करें और लड़ते लड़ते अपने को मजबूत करते जायें ।

हिन्दुस्तान के चारों ओर आज संकट है और उस संकट का कारण हमारी विदेश निति है । हम संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर के मामले में हाल में जो कुछ हुआ उस को देखें तो पता चलेगा कि घना और मिस्र जैसे निर्लिप्तराष्ट्रों ने भी हमारा साथ नहीं दिया, इसलिये कि हमारी नीति गलत रही । जो छोटे छोटे अफ्रीकी राष्ट्र स्वतंत्र हुए, उन की हमारे साथ पूरी सहानुभूति नहीं रही क्योंकि सारे अफ्रीकी राष्ट्रो की इच्छा के विपरीत हमने अल्जीरिया की सरकार को मान्यता नहीं दी थी, जोकि देनी चाहिये थी । जब सब राष्ट्रों ने उस को मान्यता दे दी तो हम ने भी दे दी।

गत पन्द्रह वर्षों में हमारे परम्परागत व्यापारी रिश्ते, फौजी और सांस्कृतिक रिश्ते वैसे के वैसे हैं। हम यन्त्र शास्त्र, विज्ञान और फौज़ी हथियारों में परवश हैं। पंचवर्षीय योजनाओं और आत्म निर्भरता का ढिंढोरा हम पीटते अवश्य हैं, इस सदन में भी आप कहने लगे हैं कि डेढ़ वर्ष में हम हिन्दुस्तान में मिग विमान पैदा करने लगेंगे । लेकिन आज हालत यह है कि हमारे किसी एक कारखाने में भी पूरा ट्रक तैयार नहीं होता। हम केवल विदेशों से पुर्ज़े मंगा कर असेम्बल कर लेते हैं। आज चीन समझता है कि आप कमज़ोर हैं । आज चीन से तो हमको खतरा है ही, लेकिन सही खतरा हमें अपनों से है। आज देश को खतरा है इस की जनता की उदासीनता से। आज इस देश को चीनी आतिक्रमण का पता नहीं है। आज पता नहीं किसी को कि इस देश की कितने मुरब्बा जमीन पर चीन ने कब्जा जमा लिया है। हमारी तरफ से जनता में प्रचार नहीं है। जनता को बतलाया नहीं जाता, प्रचार नहीं किया जाता। सिर्फ पांच या छ: व्हाइट पेपर छाप दिये जाते हैं। आज जो इस सदन के माननीय सदस्य विराजमान हैं उन्हें पता नहीं कि इनमें क्या भरा हुआ है, उन में कौन से सांप विच्छू भरे हुए हैं, क्योंकि हम ऐसी भाषा में उन को छापते हैं जिस भाषा से इस देश की ९९ प्रतिशत जनता का कोई सम्बन्ध नहीं है। आज चीन ताकतवर इसलिये है कि चीन अपनी भाषा में राजकाज चलाता है। आज चीन इस लिये सम्पन्न है कि चीन का आधुनीकरण हुआ है उपज के मामले में और हमारे यहां आधुनीकरण होता है खपत के मामले में। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं सुधारते हैं तब तक हम

ताकतवर नहीं बन सकते और देश को बचा नहीं सकते। जब तक देश का शासन जनताभिमुख हो कर सामाजिक क्रान्ति का हथियार नहीं बनता तब तक हम इस देश की रक्षा नहीं कर सकते और हमेशा ही इस देश पर आक्रमण की तलवार लटकती रहेगी, जैसा सदैव से ही होता आया है।

भारत अरसे से विदेशी आक्रमण का शिकार रहा है। घोर आर्थिक और सामाजिक विषमता ने सरकार और जनता के बीच में जबरदस्त खाई पैदा कर दी है। आज इस देश की जनता अपने देश की रक्षा के बारे में सोच तक नहीं पा रही है। आज इस देश की जनता में इस देश की रक्षा के बारे में में उत्साह नहीं है। उसको पता नहीं है जाति व्यवस्था ने बुद्धि, संस्कृति और सम्पन्नता को ऊंची जातियों में सीमित कर देश की बहुत बड़ी आबादी को, औरतों समेत, बुनियादी अधिकारों और भौतिक सुखों से वंचित कर दिया है। जब तक हम इसको नहीं तोड़ते, जब तक हम अपने देश के बुनियादी सामाजिक और आर्थिक कानून को नहीं बदलते तब तक देश की ४३ करोड़ जनता शक्तिशाली और बलशाली नहीं बन सकती और तब तक देश की रक्षा करना सम्भव नहीं और मैं चाहूंगा कि यदि देश की रक्षा होनी है तो इस देश में कुछ कार्य . . .

श्री रा० शि० पाण्डेय (गुना) : माननीय सदस्य कौनसी जनता की बातें करते हैं, कौनसी जनता बलशाली और शक्तिशाली नहीं है? जहां तक चीन का सम्बन्ध है, इस देश की जनता उसका सामना करने के लिए बलशाली और शक्तिशाली है।

श्री रामसेवक यादव : माननीय सदस्य को जनता का पता नहीं क्योंकि वह जनता की बोली नहीं जानते।

श्री रा० शि० पाण्डेय: जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले केवल सोशलिस्ट पार्टी के दो सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : हर एक की नजर अलाहिदा अलाहिदा है। हर माननीय सदस्य के लिए जनता अलाहिदा अलाहिदा है।

श्री रामसेवक यादव : जो वाक्य माननीय सदस्य ने अभी कहा उस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि शुरू शुरू में कांग्रेस की क्या दशा थी। अगर कोई सफेद टोपी पहन कर जाता था तो उसकी कोई बात नहीं पूछता था लेकिन अब क्या स्थिति है। तो क्या संख्या का आधार सच्चा है? आने वाला जमाना बतायेगा कि संख्या का आधार सच्चा है या कोई और आधार सच्चा है।

†**श्री रा० शि० पाण्डेय** : देश तथा देश की ४२ करोड़ जनता की ओर से उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह निर्वाचित होकर आये हैं। जो कुछ वह कहना चाहते हैं उन्हें वह कहने का अधिकार है।

श्री रामसेवक यादव : आज सुबह से इस सदन में बहस चल रही है कि और केवल श्री रघुनाथ सिंह के और मेरे सिवाय जितने भी सदस्य बोले हैं ऐसी बोली में बोले हैं कि शायद गैलरी के अन्दर बैठे हुए ७५ प्रतिशत लोगों के पल्ले एक अक्षर भी न पड़ा होगा। जब इस देश में इस तरह की बात चीत चल रही है तो हम कैसे कह सकते हैं कि देश की रक्षा हो सकती है और देश की जनता को भी जाग्रत और जागरूक किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री रामसेवक यादव]

श्रीमन्, आज चीन का जो मसला हमारे सामने है वह अपना पैदा किया हुआ है। हमने पैदा किया है इसे। हम ने चीनी आक्रमण को न्योता दिया है और आज जब हम इस सदन में बैठे हैं तो पक्ष की बात की जाती है और कहा जाता है कि देश में जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है और जो जमीन चली जा रही है वह ठीक है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह हमारे आत्म सम्मान के मुआफिक है कि एक तरफ तो ये सारी चीजें हो रहीं हैं और दूसरी तरफ हमारे रक्षा मंत्री जेनेवा में जा कर चीनी विदेश मंत्री के साथ दावत और चाय पार्टी करें। मुझे तो खतरा लगता है। मैं देश के पीछे हूं। और मैं इस देश की सरकार को और इस देश की जनता को बताना चाहता हूं कि देश को जब भी खतरा होगा समाजवादी पार्टी का एक एक अनुयायी देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहेगा लेकिन हम प्रधान मंत्री के पीछे चलने के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि उनकी नीति के कारण देश की १४ हजार मुरब्बा मील जमीन चीन के हवाले कर दी गयी है। हमें तो यह खतरा पदा हो गया है कि चीनी विदेश मंत्री के सामने हमारे रक्षा मंत्री ने ऐसा प्रस्ताव न रख दिया हो कि यह सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए ***

†**श्री रघुनाथ सिंह** : हम इसका विरोध करते हैं। इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये।

†**श्री रा० शि० पाण्डेय** : माननीय सदस्य इसे वापस लें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो ठीक है कि माननीय सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन बोलते समय उत्तरदायित्व से काम लेना चाहिये। किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिये। इन शब्दों को सभा की कार्यवाही में से मैं निकाल ने का आदेश देता हूं ।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : आपकी राय अलाहिदा हो सकती है, मगर दूसरों को कहना कि वह मुल्क का दुश्मन हैं, यह बहुत गलत बात है। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता।

श्री रामसेवक यादव : जितने नोट एक्सचेंज हुए हैं उन में कहीं इस बात की गंध तक नहीं आती कि कहीं पर हमने मुकाबला किया हो ।

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरी बात है ।

श्री रामसेवक यादव : हम बराबर सरेंडर करते रहे हैं। हमारी जमीन छिनती रही है और उसके बाद भी हम इस तरह की बात करते हैं।

†**श्री दे० द० पुरी** (कैथल) : एक औचित्य प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : एक प्वाइंट आफ आर्डर आ गया है, सुन लीजिए।

†**श्री दे० द० पुरी** : माननीय सदस्य उन शब्दों को फिर से दुहरा रहे हैं। यह सभा के लिये अपमान जनक है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह उन शब्दों को फिर दुहरायेंगे तो उन्हें फिर निकलवा दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

***अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में इतना ही कहूंगा कि इस देश को चीनी खतरे से बचाना है तो आज हमारे प्रधान मंत्री इस सदन में साफ शब्दों में यह ऐलान करें—हम उन से यह आश्वासन चाहेंगे—कि हिन्दुस्तान की एक इंच भूमि दे कर के भी चीन से समझौता नहीं किया जाएगा, इस देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा की जाएगी और चीनियों ने जो हमारी जमीन ले ली है उसको वापस लिया जाएगा। और तब तक कम से कम हम चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में दाखिल कराने की बात नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारे राष्ट्र के सम्मान के बिल्कुल विपरीत है।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : कांग्रेस मेम्बरों की तर्जुमानी तो प्रधान मंत्री करेंगे ही इसलिए कांग्रेस के मेम्बरों को टाइम न दिया जाए और दूसरी पार्टियों के मेम्बरों को समय दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : अगर ऐसा हो सकता है तो आपके ग्रुप को भी समय मिल चुका है। आपके लीडर भी बोल चुके हैं।

†**श्री हनुमन्तैया** (बंगलौर नगर) : जब ६ तारीख को श्वेत पत्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया तो कुछ लोगों ने सरकार के उद्देश्य को गलत समझा। यह सवाल हमारे देश की प्रतिष्ठा का है और उस से भी अधिक प्रतिष्ठा का प्रश्न तो कांग्रेस के लिये है जो कि आजकल शासन कर रही है। बहुत से लोगों ने उसकी आलोचना की और यहां तक कहा कि हम चीन को खुश करना चाहते हैं। मुझे प्रजा समाजवादी दल के नेता का भाषण सुन कर बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें इस प्रश्न पर देशभक्ति को सामने रखकर सोचना चाहिये न कि किसी दल विशेष को ध्यान में रखकर। प्रधान मंत्री ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है।

कुछ सदस्यों ने हमारे प्रतिरक्षा मंत्री को चीन के प्रतिरक्षा मंत्री के साथ जो मुलाकात हुई है उसकी कड़ी आलोचना की है। ऐसा करना ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे प्रतिरक्षा मंत्री उन के मंत्री से मिलने तो गये नहीं थे वह तो एक शिष्टाचार की मुलाकात थी जो जिनेवा में सम्मेलन कक्ष से बाहर हो गई थी। प्रधान मंत्री ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिरक्षा मंत्री ने यह भेंट उनकी राय से ही की थी। प्रधान मंत्री जी ने जो कुछ भी कहा है वह स्थिति का सही अध्ययन करने के बाद ही कहा है। कभी कभी गलतफहमी हो जाती है जिस के कारण बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। आज वह जमाना तो रहा नहीं जब कि लड़ाइयों के द्वारा विजय प्राप्त होती थी। अब स्थिति बदल गई है।

चीन ने जिन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया है हम उनको बातचीत अथवा युद्ध के द्वारा वापस नहीं ले सकते। और न ही चीनी लोग उन हिस्सों को ले सकते हैं जिन को कि वे लेना चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते कि इस समस्या का समाधान युद्ध के द्वारा हो।। हमारे प्रधान मंत्री यह चाहते हैं कि सारी स्थिति का हल सम्मानपूर्वक तथा संतोषजनक ढंग से हो।

चीनी लोग साम्यवादी हैं। वे प्रगतिवादी हैं। वे मध्यवर्ती विचारों, तरीकों और सभ्यता से णा करते हैं। उनका कहना है कि यह मानचित्र मध्ययुग में मध्ययुगीन तरीकों से तैयार किया गया या। वे चाहते हैं कि इस मानचित्र को नया रूप दिया जाये।

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर) : चीनियों ने हमारे देश पर जो आक्रमण किया है मैं उसका विरोध करता हूं। स्वतंत्रता के बाद से हम पड़ौसी देशों से मैत्री सम्बन्ध बनाये रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। चीन के साथ भी हम ने यही किया है लेकिन चीन ने हमारा साथ नहीं दिया। हम निरंतर यह प्रयत्न कर रहे हैं कि उन के साथ हमारे मैत्री सम्बन्ध रहें। सयुक्त राष्ट्र संघ में भी हम प्रयत्न कर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भागवत झा आजाद]

रहे हैं। लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर भी हमें प्रसन्नता है कि हम ने अपने सिद्धान्त को नहीं छोड़ा और हम उस पर अटल रहे। हम अब भी इस समस्या को बातचीत के द्वारा हल करना चाहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से इन पन्द्रह वर्षों में हम ने तरक्की की है। हम में कुछ ताकत आई है। हमारी बातचीत का प्रभाव अच्छा हुआ है। हम ने एक प्रकार से चीन को अलग कर दिया है। आज उनका एक भी दोस्त नहीं है। चीन के परम मित्र ने भी कहा है कि तुमने भारत पर आक्रमण किया है अतः तुम उसके साथ बातचीत करो।

कुछ माननीय सदस्यों ने बातचीत करने के प्रश्न पर आपत्ति उठाई है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि बातचीत के आधार पर ही हम ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। चीन के साथ हम बात चीत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम प्रतिरक्षा बल भी बढ़ा रहे हैं। उस क्षेत्र में हम ने सड़कें बनाई हैं, पुलिस चौकियां बनाई हैं। लेकिन उनकी संख्या बताना जनहित की दृष्टि से ठीक नहीं है। हम ने अपनी सीमा पर सुदृढ़ प्रबन्ध किये हैं। साथ ही विश्व को भी हम ने यह दिखा दिया है कि हम ठीक हैं। और चीन गलत है। परमाणु अस्त्र यदि चीन ने बनाये तो यह हमारे लिये अच्छा नहीं होगा।

हम बातचीत करना चाहते हैं लेकिन बातचीत तभी तक रहेगी जब तक कि बातचीत के लिये वातावरण अनुकूल है। कुछ सदस्यों ने प्रतिरक्षा मंत्री की उस बातचीत का विरोध किया है जो उन्होंने जिनेवा में चीन के विदेश मंत्री से की है। मेरी समझमें यह नहीं आता कि उस में हानि क्या है। हम तो अपने दुश्मनों से बातचीत करना चाहते हैं और उन्हें यह बताना चाहते हैं कि तुमने गलती की है।

दुनिया सब को भूल जाती है लेकिन उनको नहीं भूलती जो अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं। या उसकी प्रतिष्ठा को कम करते हैं। अतः मैं तो यही कहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री तथा हमारी कांग्रेस सरकार उस प्रतिष्ठा को कायम किये हुए हैं। वह देश का मान बढ़ाने के लिये सतत प्रयत्नशील हैं।

†**श्री मा० श्री० अणे** (नागपुर) : चीन और भारत के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ है उसे मैं ने पढ़ा है और इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया है और भारत के एक भाग पर कब्ज़ा कर लिया है। लेकिन भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वह भारत की सीमा की भारत देश की पूर्ण रक्षा करे। और यह देखे कि कोई भी देश भारत के किसी भाग पर अपना अधिकार न जमा सके। तीसरी बात यह है कि हम निरंतर बातचीत करते रहेंगे। हमारे प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम चीन से तभी बात करेंगे जब वह हमारे देश के उस भाग को छोड़ देता है जो कि उसने हथिया रखा है। लेकिन चीन का कहना है कि हम ने भारत का कोई भाग नहीं हथिया रखा है वह तो हमारा अपना क्षेत्र है ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि बातचीत करने के लिये अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती।

ऐसी स्थिति में भारत सरकार का कर्तव्य यह है कि जब सीमा की परिभाषा ठीक से कर दी गई है तो वह अपने क्षेत्र की देख भाल ठीक से करे और उस भाग को चीन से वापस ले जो कि उस ने जबरदस्ती ले लिया है। अब तो स्थिति यह है कि चीन हम से बातचीत शुरू करे। उन्होंने लिखा है कि वे बातचीत करना चाहते हैं अतः हम उन से यही कहें कि जब तक वे हमारे क्षेत्र को खाली नहीं कर देते तब तक हम उन से बातचीत नहीं करेंगे। हमें कुछ ऐसे उपाय ढूंढने होंगे जिन से कि वे हमारा क्षेत्र खाली करें। अब वह समय आ गया है जब कि वे अधिक दिन तक हमारे क्षेत्र का उपभोग नहीं कर

†मूल अंग्रेजी में

सकते। हमारी नीति किसी से लड़ने की नहीं है। और मैं उस नीति से पूर्णतः सहमत हूं। सरकार उनको भी यह बता दे कि भारत की जनता तथा भारत सरकार की मर्जी के बिना इस क्षेत्र पर अधिकार बनाये रखना उन के हित में नहीं होगा।

ऐसी स्थिति में जब कि चीन बराबर हमारे क्षेत्रों पर अधिकार जमाता चला जा रहा है और हम केवल राजनयिक बातचीत कर रहे हैं, हमारी स्थिति बड़ी कमजोर हो जाती है। लोग हमें कमजोर समझेंगे। दूसरे देशों के सामने हमारी प्रतिष्ठा कम हो जायेगी।

कुछ देश हमारे देश की ओर नेता बनाने के लिये देख रहे हैं, हम भी अपने देश की प्रगति के लिये दूसरे विकसित देशों से सहायता पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि चीन के साथ हमारी यही दशा रही तो हमारी प्रगति का क्या होगा। इन सभी बातों पर विस्तृत रूप से विचार करना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी उस घोषणा पर दृढ़ रहे कि हम चीन के साथ तभी बात करेंगे जब कि चीन हमारे देश के उस भाग को खाली कर देगा जो उस ने जबरदस्ती हथियालिया है। और वह अपने इस दृढ़ निश्चय को क्रियान्वित भी करे। हमें फिर भी ऐसे उपायों को ढूंढना होगा जिन से कि हमारे देश की प्रतिष्ठा बनी रहे। यदि हम ने सड़कें बनाई हैं वहाँ पुल बनाये हैं तो ये काम अधिक मात्रा में किये जाने चाहियें। ताकि उन लोगों पर हमारी प्रगति का प्रभाव पड़े। और ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाय कि वे भारत के इस भाग को छोड़ने के लिये मजबूर हो जाये।

†**श्री बाकर अली मिर्जा** (वीरांगल): चीन और पाकिस्तान ने जो नीति अपनाई है वह शांति की द्योतक नहीं। हालाँकि एशिया में इस समय शाँति की सब से अधिक आवश्यकता है। शाँति के लिए कार्य करना इस समय मानव मात्र के कल्याण के लिये कार्य करने के बराबर है। यद्यपि यह कहा जाता है कि हम युद्ध नहीं चाहते परन्तु कई बातें ऐसी हैं कि जिनको यदि कार्यान्वित किया जाय तो युद्ध हो कर रहेगा। चीन ने हम पर आक्रमण किया और हम ने उसे बड़े नियंत्रण से सहन किया। कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि कड़ी नीति अपनाई जाये परन्तु उन्हें मालूम होना चाहिये कि युद्ध से किसी भी देश का भला नहीं होगा।

चीन लद्दाख में आगे बढ़ा और कुछ सैनिक कार्यवाहियाँ भी उसने की। कारण यह है कि हमारे लिए ५,००० फीट से २०,००० फीट तक ऊपर जाना कठिन है, जब कि उन के लिए वहाँ कुछ सुविधायें है। इस पर भी हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे सैनिकों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि वे संख्या में बहुत कम हैं। हमें अपने सैनिकों के कार्य की सराहना करनी चाहिये। हमें समझना चाहिए कि चीनी कोई महामानव तो है नहीं वही हमारे जैसा इन्सान है। वे तो अभी अभी गृह-युद्ध की आग से निकले हैं। हम उनका मुकाबला करने की पूरी क्षमता रखते हैं। और आज तो हमारी स्थिति आगे से काफी मजबूत है।

श्री देव ने कहा वह सब कुछ बताया है जो कि हम चीन के लिए करते रहे हैं। बात यह है कि चीन में आजकल आन्तरिक संकट चल रहा है और कुछ चाहते हैं कि जिस पर सारे राष्ट्र की आँखें लगी रहे। और साथ ही वह अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सके। तिब्बत की आजादी को उन्होंने हड़प कर ही लिया है। उस पर पुरातन काल से लामाओं का राज्य चला आ रहा था। और चू-एन लाई ने जनेवा में कहा भी है कि दलाई लामा के जाने के बाद ही भारत आक्रमण की शिकायत करने लगा है। यद्यपि इस बारे में हमने स्थिति काफी स्पष्ट की है कि हमारा उद्देश्य दलाई लामा को आश्रय देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं फिर भी उनका भय नहीं गया। इस सम्बन्ध में श्री फ्रांक एंथनी द्वारा दिये गये सुझाव व्यावहारिक नहीं हैं। उससे तो मामला सुलझने के स्थान पर उलझता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री बाकर अली मिर्जा]

बात यह है कि हमारी नीति इस बारे में बड़ी साफ है कि हम ने चीन को आगे बढ़ने से रोका है। चीन ने अधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर बातचीत करना स्वीकार कर लिया है। मेरे विचार में यह हमारी नीति की किसी सीमा तक सफलता ही कही जा सकती है। मेरा निवेदन है कि बातचीत करने वालों को पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वह अपनी इच्छानुसार चल सके। उस क्षेत्र को खाली कराने के लिए बातचीत आवश्यक है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपने प्रधान मंत्री पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिये।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : (एटा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जितना आज यहाँ कार्यक्रम हुआ उस से मैंने यही अनुभव किया है कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री महोदय की भावना को सभी ने समझा है। सभी सदस्यों की ओर से यह बात लायी गयी कि हमें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। और हमको नैगोसिएशन से कार्य करना चाहिए। परन्तु मैं इसे मानव स्वभाव के विपरीत मानता हूं। मैं यह तो समझता हूं कि लड़ाई न करें, यह ठीक बात है। परन्तु बार बार यह कहना कि हमें लड़ाई नहीं करनी है, उचित नहीं है। यह कहने का ही यह फल है कि आज हमारे सामने पाकिस्तान और चीन का सवाल आया है। अगर आज हम स्ट्रेंग्थ के साथ . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर, यहाँ तो पाँच बजने पर बहुत सारी तकरीरें शुरू हो गयीं।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : अगर हम ने ताकत के साथ अपनी बात कहीं होती तो मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की या चीन की कोई भी बात हमारे सामने न आती। पहली गलती तो हम ने पाकिस्तान के साथ गलत बरतावा कर के की। दूसरी गलती यह हुई कि चीन को बिना समझे नेशनल वार्डर को उस के हवाले कर दिया।

और उसी का आज यह फल है कि चीन हमारी सीमा पर सवार है। अब हमारे अनेक काँग्रेस पार्टी के मित्रों ने अपने भाषणों में काँग्रेस गवर्नमेंट की पालिसी को इंडोर्स किया और कहा कि बहुत ठीक प्रकार से काम चल रहा है। परन्तु मैं नहीं जानता कि कितने सज्जनों को यह बात प्रिय लगेगी और कितनों को यह अप्रिय लगेगी परन्तु मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे किन्हीं मित्रों ने आदरणीय प्रधान मंत्री के लिये कहा कि हालाँकि सन् १९५९ में यह स्पीचेज दी थीं कि अब कोई भी अग्रशन चीन का हम वर्दाश्त नहीं करेंगे लेकिन हम ने देखा कि बराबर वह चीजें हमारे ऊपर चलती आ रही हैं। मैं अपने आदरणीय प्रधान मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि आप यह मत कहिये कि इस का कोई असर नहीं है। जैसा कि हमारे एक मित्र श्री खाडिलकर ने कहा कि वह जमीन बिलकुल नाकारा जमीन है और उस के लिए किसी बड़े मुल्क को लड़ना नहीं चाहिये तो क्या मैं उन से पूछ सकता हूं कि अगर किसी के माता, पिता बूढ़े हो गये हों और कोई भी उनकी बेइज्जती क्यों न करे उसे चुपचाप बर्दाश्त कर लेना चाहिये और उसे इस के वास्ते लड़ना ही नहीं चाहिये ? इसलिए खाडिलकर साहब की यह नाकारा जमीनवाली बात तो बिलकुल समझ में नहीं आयी। मैं तो आप से यह कहना चाहता हूं कि हमारी देश की इज्जत का प्रश्न है यह हमारे देश की सुरक्षा का प्रश्न है और यह देश के स्वाभिमान का प्रश्न है। अभाग्यवश आज जिस तरह की पालिसी देश में चल रही है उस के फलस्वरूप मैं इस सदन् को बड़े विश्वास के साथ बतलाना चाहता हूं कि आज समाज के जितने घटक हैं समाज के जितने रत्न हैं सब ऐसी कल्पना करने लगे हैं और प्राइम मिनिस्टर के मनोविज्ञान के साथ सारे देश में एक इस तरह की मानसिक स्थिति व भावना पैदा हो गई है कि हमारा देश लड़ेगा ही नहीं और हम लड़ नहीं सकते। इस तरह की हीन भावना का देश में पैदा होना बड़ा खतरनाक है और यह देश के लिये बड़ा अहितकर है।

इस संबंध में मैं एक मिसाल अपने आदरणीय प्रधान मंत्री के सामने रखना चाहता हूं। सन् १९३३ में जर्मनी के पास केवल एक लाख फौज थी और उस समय उसकी आर्थिक स्थिति उसका आर्थिक ढांचा टूटा फूटा था। परन्तु उसी जर्मनी के पास सन् १९३७ में ३० लाख फौज हुई और सन् १९४५ में जब जर्मनी का फोल हुआ तो उस समय उस के पास एक करोड़ फौज थी जिस में कि रेगुलर आर्मी और नगर आर्मी दोनों शामिल थीं।

दूसरी मिसाल में स्वेज नहर की देना चाहता हूं। आप स्वयं विचार कीजिये कि स्वेज नहर के प्रश्न को ले कर कहां छोटा सा कर्नल नासिर का देश और कहां उस के मुकाबले संसार का महा शक्तिशाली और बड़े राष्ट्र? लेकिन दुनिया जानती है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि कर्नल नासिर मुकाबले में पीछे नहीं हटे और उस छोटे से राष्ट्र ने स्वेज कैनाल पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और कोई कुछ भी उस का न कर सका। अगर आज उसी तरह की परिस्थिति हमारे देश के अन्दर मान्य होती और हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री पाकिस्तान का जवाब उसी प्रकार से देते तो आज कोई भी कारण नहीं था कि लद्दाख इस तरह से हमारे पास से निकल जाता? किसी भी मुल्क की हमारी सीमा का अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं पड़ती। आप की ओर से बराबर जो यह कहा जाता है कि हमारा देश लड़ना नहीं चाहता आप अपने मन में तसल्ली कर लें मैं बड़े विश्वास के साथ यह बतलाना चाहता हूं कि आप का आज पुनः पुनः यह कहना कि हम लड़ना नहीं चाहते यह हमारी कायरता का द्योतक है। संसार ऐसा मानने लगा है कि आप में लड़ने की ताकत नहीं। आप एक पर्दा लगा कर बैठे हैं और उस पर्दे के अंदर से बार बार यह कहना चाहते हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते और हम बड़े शान्तिप्रिय हैं। यह शान्तिप्रिय होने की बात आप अपने मन को तसल्ली देने के लिये कह सकते हैं परन्तु संसार पर इस का यह असर पड़ रहा है कि भारत एक कमजोर देश है और वह अपनी सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर सकता और हमलावर को खदेड़ नहीं सकता। यह हीनता की भावना देश के लोगों में भी घर कर गई मालूम पड़ती है। आज दुनिया इस बात को देख रही है कि हिन्दुस्तान को किस तरह से लोग दबा रहे हैं और उस की सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं। अपने देश की जमीन तो चली ही गई लेकिन उस में सब से बड़ा खतरा मैं यह मानता हूं कि आज हमारे देश की मानसिक स्थिति ऐसी बन रही है और हमारे देश के जवानों का मौरेल इतना गिर चुका है कि हमारे मन में एक ऐसी हीन भावना घर कर गई है कि हम लड़ नहीं सकते और हमें तो केवल निगोशिएशंस से ही सारा काम करना है। आप कहते तो हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते तो आप फौजें क्यों रखते हैं और यह आप की कैसी अहिंसा है जो आप की पुलिस द्वारा सारे हिन्दुस्तान में आये दिन गोली चलाई जाती है? अगर आप ने अपनी सीमा सुरक्षा के प्रति सावधानी बर्ती होती और अपनी सीमा पर पुलिस को खड़ा किया होता तो मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि कोई कारण नहीं था कि हमारे देश की इस तरह से बेइज्जती होती।

मैं फीगर्स की तरफ नहीं जाना चाहता कि कितनी जमीन शत्रु के कब्जे में है लेकिन इस से तो कोई इंकार नहीं करेगा कि काफी हमारा भूभाग इस समय चीनियों के गैर कानूनी कब्जे में है। लेकिन इतना मैं अवश्य चेतावनी देना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा बर्ती जाने वाली कमजोर नीति का परिणाम देश के लिये बड़ा अहितकर सिद्ध होगा। अगर हमारे देशवासियों का मौरेल गिर गया और कमजोर पड़ गया तो यह स्वतंत्रता बहुत महंगी पड़ेगी। हमारा भविष्य इस से अंधकारमय हो जायगा और आने वाले समय में हम कोई भी लड़ाई लड़ने में समर्थ नहीं हो सकेंगे।

श्री एच० एन० मुकर्जी की स्पीच सुन कर मैं तो हैरान रह गया कि हमारे देश में ऐसे लोग भी रहते हैं जोकि यह कहते हैं कि हमारे देश पर चीन ने चढ़ाई ही नहीं की। चीन ने हमारे ऊपर कोई अग्रेशन ही नहीं किया। यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जायगा कि इस देश के अंदर ऐसे भी भारतीय नागरिक बसते हैं जो कि ऐसा खयाल करते हैं कि चीन अग्रैसर नहीं है। देश के लिये यह कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के ऐसे पढ़े लिखे और जिम्मेदार लोगों ने किस तरह की मनोवृत्ति

[श्री बिशद चन्द्र सेठ]

बना ली है कि वह सच को झुठलाने से नहीं हिचकिचाते और सच्चाई के सामने एक दीवार खड़ी कर के वह यह कहते हैं कि चीन ने भारत पर अतिक्रमण नहीं किया है। इस का तो यह अर्थ हुआ कि अगर आज चीन का कोई एग्रैशन देश पर होता है, चीन हिन्दुस्तान पर हमला करता है तो यह हमारे देश के नागरिक चीन की तरफ हो कर चीन का झंडा उठायेंगे ।

जहां तक बाउंडरी का संबंध है एक बड़ी अजीब सी बात आज हमारे देश के सामने है। आज तक हमारे देश के आदरणीय प्रधान मंत्री महोदय और उन की सरकार ने ईमानदारी से यह निश्चय नहीं किया कि हमारी कौन सी बाउंडरी है। इस बाउंडरी को ले कर आज एक कन्फ्यूजन है। रोज चीन नये नये नक्शे बना रहा है। हमारे देश के माननीय मंत्रियों का कोई निश्चित मत नहीं है कि ईमानदारी से हमारा देश कौन सी बाउंडरी में विश्वास करता है। आप अपनी बाउंडरी के संबंध में निश्चित मत निर्धारित कीजिये कि हमारी कौन सी बाउंडरी है। अब जो सच्ची हमारी बाउंडरी थी वह तो प्रधान मंत्री महोदय ने चीन को एक तरह से दान कर दी परन्तु ईमानदारी से जो भी आप अपनी बाउंडरी मानते हों उस बिना पर आप अपना निश्चित मत बनाइये और निश्चित मत बनाने के बाद आप को चीन को एक अल्टीमेटम दे देना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि सन् ६२ का अल्टीमेटम दें। आप सन् ६३ के लिए दें, सन् ६४ के लिये दें या सन् ६५ के लिये दें लेकिन एक इस तरह का अल्टीमेटम हमारे देश की तरफ से जाना अवश्य चाहिये। यह सवाल किया जा सकता है कि उस अल्टीमेटम से प्रभाव क्या पड़ेगा? इस के लिये मैं अपने आदरणीय प्रधान मंत्री से कहना चाहता हूं कि आप के एक एक शब्द का मूल्य है और वह देश के अंदर बिजली के करंट के समान एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल जाता है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : अल्टीमेटम सन् ६५ के लिये दें और ऐलान आज कर दें।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : पहले मेरी पूरी दरख्वास्त सुन लीजिये। मैं कनैक्शन मिलाये दे रहा हूं। हमारा अल्टीमेटम यह होना चाहिये कि अगर अमुक तिथि के अंदर अन्दर चीन अपनी सारी फोर्सेज अनधिकृत प्रदेश में से हटा लेता है और हमारे भूभाग को खाली कर देता है तब तो उस के साथ में हम दोस्ताना ताल्लुक रक्खेंगे और प्रेम का सम्बन्ध कायम रक्खेंगे लेकिन अगर उस ने फलांनी तिथि की १२ बजे रात तक हमारे उस भूभाग को खाली नहीं किया तो उस हालत में चीन को लड़ाई के लिये तैयार हो जाना चाहिये . . .

एक माननीय सदस्य : दिन का टाइम रखिये ।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : रात को बारह बजे ही तिथि बदलती है वैसे मेरे दोस्त को पता होना चाहिये कि भारत को आजादी कब मिली थी? रात को बारह बजे ही आजादी भारत को मिली थी। अगर श्री जवाहरलाल नेहरू के मुख से यह शब्द निकल जाय कि सन् १९६५ की ३१ दिसम्बर के १२ बजे रात के बाद अगर चीन ने इस देश के किसी भी भूभाग पर कब्जा जमाये रखा तो उसे लड़ाई के लिये तैयार हो जाना चाहिये। इससे देश में एक उत्साह की लहर दौड़ जायगी और सारे देश के नौजवान कमर कस कर देश की सुरक्षा के लिये तैयार हो कर खड़े हो जायेंगे। आज देश के सामने भयंकर संकट मौजूद है। लद्दाख में शत्रु अपने पैर जमाये हुए है और पता नहीं कौन सी नई मुसीबत हमारे सामने आ कर खड़ी हो जाय इसलिये सरकार के लिये यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि वह फौरन सावधान हो जाय, कमजोर नीति का परित्याग कर दृढ़ नीति का अवलम्बन ले और देश की जनता को भारत की स्वतंत्रता पर आंच न आने देने के लिये आवाहन करे। चूंकि समय थोड़ा है और अभी कई माननीय सदस्यों को और बोलना है इसलिये मैं और अधिक न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया) : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें चीन के समक्ष कोई शर्त रखे बिना उस से बातचीत करनी चाहिये। उसे यह आश्वासन देना चाहिये कि हम अपने क्षेत्र खाली करवाने के लिए बल का प्रयोग नहीं करेंगे। एक युद्ध विरामरेखा प्रायः खींची जा चुकी है जिसका भारत अथवा चीन दोनों ही उल्लंघन कर सकते हैं। यह बात तो बिलकुल स्पष्ट ही है कि आज संसार के समक्ष दो ही रास्ते हैं। आण्विक विनाश और एक विश्व सरकार की स्थापना। भारत और चीन के सीमा विवाद का स्थायी हल है। मेरा तो यह भी मत है कि हमें अपना प्रतिरक्षा कार्य भी राष्ट्र संघ को सौंप देना चाहिये। और यदि हम चाहते हैं कि इस समस्या का अल्पकालीन हल हो तो रूस और भारत की मैत्री स्थापित कर देनी चाहिये। रूस और भारत एक हो गये तो चीन को समझौता करना ही होगा।

शांति तो हर कीमत पर कायम रखी ही जानी चाहिये। इस के लिये चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े वह अधिक नहीं है। यदि यह न हुआ तो विश्व व्यापी विनाश होगा और मिनिटों में मानवता का समूल नाश हो जायेगा।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर): माननीय सदस्य कई ऐसी बातें कर रहे हैं जिस का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत से सदस्यों को तो वहां का भूगोल भी मालूम नहीं। हमारे देश की सीमायें तो परम्परा से निर्धारित थीं। शताब्दियों तक उस से किसी ने छेड़ छाड़ नहीं की। लोग शांति से जीवन व्यतीत करते रहे हैं। 'अक्सई चिन' नाम का जो रास्ता है यह शताब्दियों से चल रहा था। 'अक्सई चिन' का मतलब ही यह है कि चीन को जाने वाला रास्ता। इस रास्ते पर कभी चोरी, डाका और लूट सुनी ही नहीं गई थी। इसी रास्ते से उजबेकिस्तान, ताशकन्द, समरकन्द और केन्द्री तुर्किस्तान के देशों से श्रीनगर तक व्यापार होता था। यह स्थिति १९२९ तक चलती रही। बाद में रूस ने केन्द्रीय तुर्किस्तान को विजय कर के इस का व्यापार बन्द कर दिया और फिर इस रास्ते से व्यापार न हुआ।

जब पहिले पहल हमें पता चला कि चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, तो हमारे जवानों को हजारों मीलों का कठिन रास्ता तय कर के लेह तक जाना पड़ा। उस में कोई सड़क नहीं थी। यह बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य था। लद्दाख क्षेत्र में सड़कें बनाने, सम्भरण केन्द्र स्थापित करने और संचार प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए सरकार बधाई की पात्र है। उस कठिन पहाड़ी क्षेत्र में हमारी सेनाओं का यह कार्य वास्तव में बड़ा ही आश्चर्यजनक है। ३५० मील तो श्रीनगर से लेह तक है और इस से भी आगे १०० मील का रास्ता है। अड्डे भी बनाये गये हैं और वायु बल की भी व्यवस्था की गई है। जो कुछ इस क्षेत्र में कर दिया गया है उस पर कोई भी भारतीय गौरव कर सकता है। सरकार आज किसी भी स्थिति का मुकाबला करने को तैयार है। हमारे जवान भी पूरी तरह प्रशिक्षित हो कर तैयार खड़े हैं।

गलवान की घटना के संबंध में हम ने जो कड़ा रुख अपनाया और हमारे सैनिकों ने जो साहस दिखाया उस से देश के नैतिक साहस में बहुत ही वृद्धि हुई। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार आगामी समय में उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति का सामना करने में समर्थ होगी। मेरा निवेदन यह है कि हमें जागरूक रहना चाहिये और देश भर में इस प्रकार का वातावरण निर्माण होना चाहिये कि हम प्रत्येक प्रकार की स्थिति का मुकाबला करने में समर्थ हो सकें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, यह पहली मर्तबा है कि एक ऐसे सवाल पर, जिस मामले में, मैं समझता हूं, हिन्दुस्तान की पूरी जनता, ४३ करोड़ जनता आज हमारे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

हरदिल अजीज प्रधान मंत्री के पद चिन्हों पर चलने के लिये तैयार है, मुझे भी मौका मिला कि म कुछ अपने विचार रक्खूं । आज देश के सामने दो तरह के खयाल हैं । कुछ हमारे मित्र यह सोचते हैं कि अगर आज जंग की परिस्थिति, जंग की भावना फैल जाय तो शायद इससे देश का मोराल ऊंचा होगा, और हमारे जवान सिपाही लोगों का भी, जो हमेशा अपने देश की हिफाजत करने के लिये तैयार हैं, दिल बढ़ेगा ।

दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि आज अगर किसी तरह से इन दो देशों में युद्ध शुरू हो जाता है तो यह युद्ध सिर्फ चीन और हमारे देश के बीच सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया का बड़ा हिस्सा इसमें शामिल हो जाएगा और हमारे दोनों देश इस युद्ध में पिस जायेंगे । तो यह हमारे देश की परम्पराओं और संस्कृति के अनुसार है कि आज हम यह सोचते हैं कि समझौता हो जाए तो अच्छा है । लेकिन हमको युद्ध के लिये तैयार रहना चाहिए ।

चीनी आक्रमण का मुकाबला हिन्दुस्तान की जनता नहीं कर सकती है और हममें कमजोरी है आज इस प्रकार की गलत भावना देश में फैलायी जा रही है । आज हम कमजोर नहीं हैं लेकिन अगर यह भावना फैलायी गयी तो हम कमजोर हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे सौभाग्य प्राप्त है उन लोगों में काम करने का जो देश की रक्षा के लिए बम और राइफिलें आदि बनाते हैं । यह लोग हमारे उन जवानों के लिये हथियार बनाते हैं जो आज १४ हजार, १५ हजार और २० हजार फीट की बुलन्दी पर देश की सीमाओं की हिफाजत कर रहे हैं । जो लोग यह हथियार बनाते हैं आज उनमें यह भावना है कि वह प्रधान मन्त्री जी की आवाज पर १४ और १५ घंटे तक अपना काम करने को तैयार हैं और उसके लिये सरकार से यह नहीं कहेंगे कि हमें कुछ और मिलना चाहिए ।

आज देश में खतरा क्या है । कुछ लोग यह चाहते हैं कि हमारे प्रधान मन्त्री जी अपनी शान्ति की नीति को छोड़ कर देश में जंग का माहौल पैदा कर दें ताकि इन दो देशों में लड़ाई हो जाए ताकि जो हमारे दोस्त समुद्र के पार बैठे हैं, और जो एक हाथ से हमको गेहूं देते हैं और दूसरे हाथ से पाकिस्तान को हथियार और हवाई जहाज देते हैं, उनको पाकिस्तान की तरफ से काश्मीर के सवाल को उछालने का मौका मिल जाए । और उनकी तरफ से कहा जाए कि अब जबकि हिन्दुस्तान चीन के साथ लड़ाई में लगा है तो काश्मीर का सवाल उठा कर उसको परेशान किया जाए ।

मैं समझता हूं कि हमारे प्रधान मन्त्री जी की नीति बिल्कुल सही है। हिन्दुस्तान की एक इंच भूमि भी कहीं न जाए इसकी जिम्मेदारी आज केवल प्रधान मन्त्री जी की ही नहीं है । आज जो लोग यहां बैठ कर प्रधान मन्त्री जी के हाथों को मजबूत करने की बात कहते हैं, मैं चाहता हूं कि सदन के बाहर भी जाकर वह यही भावना पैदा करें । आज देश के सब लोग पंडित जी के साथ हैं और उनके एक इशारे पर इस देश की धरती की रक्षा के लिये अपने को निछावर करने को तैयार हैं । जब हम अपने देश के लिये जान देने को तैयार हैं तो कैसे किसी की नजर हमारे देश की भूमि पर लग सकती है ।

लेकिन कुछ लोग आज देश में जंग का माहौल पैदा करना चाहते हैं । आज मेरे मुअज्जिम दोस्त द्विवेदी जी ने भाषण किया, पी० के० देव साहब ने भाषण किया, और उनके बाद त्रिवेदी जी ने भाषण किया । अच्छा होता यदि कोई चतुर्वेदी जी भी सदन में होते और भाषण देते ।

एक माननीय सदस्य : हैं ।

श्री स०मो० बनर्जी : तो ऐसी बातों से क्या देश को फायदा होगा ? ये लोग लड़ाई की बात करते हैं। लेकिन हमारे प्रधान मन्त्री जी शान्ति की नीति पर चलना चहाहते हैं। मैं पूछता हूं कि शान्ति की नीति से देश को फायदा होगा या नुकसान। मैं राजनीति का पंडित नहीं हूं पर मेरे दोस्त राजनीति के पंडित हैं। वह समझ सकते हैं कि हमें किस बात से खतरा हो सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गोश्रा के मामले में हमारे प्रधान मन्त्री की श्रर्थी लिस्बन में जलायी गयी थी। जब हमारे प्रधान मन्त्री श्रमरीका में गए थे तो वह डाकूमेंटरी नहीं दिखायी गयी थी। हमें यह याद रखना चाहिए। श्राज हमको उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जिन्होंने हिन्दुस्तान को बांटा था। वे श्राज भी श्रपनी श्रांखें हिन्दुस्तान पर लगाए हैं। वे श्राज भी देख रहे हैं कि मौका श्रावे तो हिन्दुस्तान को फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ दें।

मैं एक हिन्दुस्तानी होने के नाते प्रधान मन्त्री जी को यकीन दिलाना चाहता हूं—मेरे पीछे कोई ताकत नहीं है, मैं ईमानदारी से जीत कर सदन में श्राया हूं, लेकिन मैं फिर भी उनको कानपुर की जनता की श्रोर से यकीन दिला सकता हूं कि हम उनके पीछे हैं। वह समझौते की नीति पर चलें श्रौर श्राखिर तक समझौता करने की कोशिश करें। लेकिन उसके बाद भी श्रगर देश की धरती के जाने की बात हो तो कानपुर शहर की ११ लाख जनता की तरफ से उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम देश के लिए श्रपने को न्यौछावर कर देंगे।

श्री यशपालसिंह (कैराना) : श्रध्यक्ष महोदय, बहुत देर से मैं सदन में बहस सुन रहा हूं। हमारे माननीय मित्र श्री भवगत झा श्राजाद ने सदन में यह भी कहा कि भारत की यह संस्कृति रही है कि शत्रुश्रों के साथ बैठकर चाय पियें। मेरी दिक्कत यह है कि भारतीय संस्कृति श्रंग्रेजी में पढ़ी नहीं जाती, वह संस्कृत में पढ़ी जाती है, श्रौर भारत की संस्कृति का मूलमन्त्र मैं श्रापसे श्रर्ज कर दू कि भगवान् कृष्ण को दुर्योधन ने खाने पर बुलाया था तो भगवान् कृष्ण ने उनको जवाब दिया था :

प्रीतिभोज्यानि श्रन्नानि, तथा श्रापद्गतानि

उन्होंने कहा था कि हे दुर्योधन खाना खाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो मैं तेरा मित्र होऊं या मुझ खाना मिलता न हो। मैं इतना गरीब नहीं हूं कि भूखा होऊं श्रौर चूंकि तू धर्म के विरुद्ध युद्ध कर रहा है इसलिये मेरी तुझ से मित्रता भी नहीं है। तो यह हमारी संस्कृति है।

यह कौनसी संस्कृति है कि एक श्रोर तो गलवान घाटी में चीनी दरिन्दे हमारे जवानों पर गोलियां बरसा रहे हैं श्रौर दूसरी तरफ हमारे रक्षा मन्त्री मारशल च्यांग यी के साथ गिलास तबदील कर रहे हैं श्रौर उनकी सेहत का जाम पी रहे हैं। देश की श्रात्मा इसको कभी भूल नहीं सकती।

श्राज श्रगर देश कमजोर है तो वह सरकार की नीति के कारण कमजोर है। देश श्रगर श्राज भीरु है तो वह सरकार की वजह से है। श्रगर इन पन्द्रह वर्षों में प्रधान मन्त्री चाहते तो देश श्राज लोहे की दीवार की तरह खड़ा हो जाता, लेकिन प्रधान मन्त्री ने ऐसा नहीं चाहा।

हमारी संस्कृति का मूल मन्त्र यह नहीं रहा है कि लोगों को डराया जाए कि श्रगर एक एटम बम गिर गया तो इतने लोग मर जायेंगे। हमारी संस्कृति का मूल मन्त्र तो यह रहा है :

सम्भावितस्य चा कीर्तिमरणदतिरिच्यते

हमारी संस्कृति का मूल मन्त्र यह है कि जिल्लत की जिन्दगी से मौत बेहतर है। श्राज जो लोगों

[श्री यशपालसिंह]

को डर दिखलाया जाता है वह इसलिये कि देश के लोग नपुंसक हो जाएं और लड़ न सकें। हमारी संस्कृति का मूल मन्त्र तो यह रहा है :

चिड़ियों से जो बाज़ मरावां, तभी नाम गोविन्द धरावां

लेकिन आज चीज यह है कि बाज नीचे है और चिड़ियां उसके ऊपर हमला कर रही हैं। यह इसलिए हो रहा है कि इन १५ सालों में देश की बहादुरी को नहीं जगाया गया।

हमारे प्रधान मन्त्री की ट्रेनिंग अंग्रेजी में हुई है और अंग्रेजी सही भावना को पनपने नहीं देती। अंग्रेजी जहां गयी है उसने राष्ट्रमाता की भावना को पनपने नहीं दिया है। जब हम हिन्दी में अपनी माता को पत्र लिखते हैं तो उनको वन्दनीया या प्रातर्वन्दनीया लिखते हैं और उर्दू में लिखते हैं तो मखदूमा या मुअज्जिमा लिखते हैं। लेकिन अंग्रेजी में माता को "माई डियर" लिखते हैं और वाइफ को भी "माई डियर" लिखते हैं। तो अंग्रेजी के कारण भारत माता का प्रेम नहीं जग पाया और जितने हम अंग्रेजी के नजदीक जाएंगे उतना ही हम उस प्रेम से दूर होते जाएंगे। मुझे याद है कि प्रिंस बिस्मार्क कहा करते थे कि "जब अंग्रेज ईसा का नाम लेता है तो उसका असली मतलब रूई से होता है।"

मुझे याद है कि हमसे वायदे किये गए थे कि पाकितान नहीं बनने दिया जाएगा, हमसे वायदे किए गए थे कि आन्ध्र प्रान्त नहीं बनने दिया जाएगा, हमसे वायदे किए गए थे कि इस देश को बुभुक्षा और एक्सप्लायटेशन से बचाया जाएगा, लेकिन वे वायदे काफूर हो गए। मुझे याद है। मुझे वह वह वायदा भी याद है जब हिन्दुस्तान की जनता के साथ यह वायदा किया गया था यह प्रतिज्ञा की गई थी कि चाहे सारा देश जल जाये हम विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे। यह वायदा किया गया था लेकिन देश के अरमानों के साथ जो कुछ हुआ वह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

इन पन्द्रह सालों में जितना नाचने और गाने के ऊपर खर्च हुआ है अगर मिलेटरी ट्रेनिंग के ऊपर खर्च हुआ होता तो आज हम हिमालय की तरह से मजबूत होते। नृत्य कला भवन में और संगीत कला भवन में जिस तरह से रुपया उड़ाया गया है अगर उतना रुपया कम्पलसरी मिलेटरी ट्रेनिंग के ऊपर खर्च हुआ होता तो आज हमारी शक्ति अभूतपूर्व होती। जब मैं यह कहता हूं कि अनिवार्य सैनिक शिक्षा देश में लागू की जाय जब कहता हूं कि मिलेटरी ट्रेनिंग देश में लाजिमी की जाय उस वक्त यह जवाब मिलता है कि यह बमों की लड़ाई है, यह हवाई जहाजों की लड़ाई है और यह तो राकेटों की लड़ाई है इसमें मिलेटरी ट्रेनिंग क्या करेगी ? लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपने कितने बम संग्रह किये हैं जब मैं पूछता हूं कि आपने कितने राकेट्स तैयार किये हैं और कितने हवाई जहाजों का निर्माण आपने किया है तो उस वक्त जवाब नदारद हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश के बच्चे-बच्चे को अगर फौज की तालीम न दी गई, अनिवार्य सैनिक शिक्षा यदि देश में लागू न हुई तो हमारा देश बच नहीं सकता है। देश की रक्षा के लिए जरूरी है कि हर इन्सान अपनी माता की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाय। मुझे बड़ा दुःख होता है जब मैं श्री खाडिलकर की यह बात सुनता हूं कि वह बैरन इलाका है और वह एक ऐसा इलाका है जिसमें कुछ पैदा नहीं होता है। अरे भाई यह तो भारतमाता की इज्जत का सवाल है। हमारी जन्म भूमि का सवाल है मादरेवतन का सवाल है। सवाल यह नहीं है कि यहां पैदा होता है या नहीं पैदा होता है। मैं भारतमाता की इसलिये इज्जत नहीं करता हूं कि वह सोना उगलती है। सोना उगलने वाली तो बड़ी बड़ी और जगहें हैं मैं भारतमाता की इज्जत इसलिये करता हूं कि वह मेरी मातृभूमि हैं, वह मेरी जन्मदात्री है। उसमें राम और कृष्ण पैदा हुए हैं। उसमें गोविन्द सिंह और गुरू नानकदेव पैदा हुए हैं। उसमें बड़े-बड़े ऋषि और महर्षि जन्मे हैं। इसी भारत भूमि में महात्मा गांधी, विवेकानन्द और दयानन्द आदि पैदा हुए हैं और इसलिये हम अपनी मातृभूमि की इज्जत करते

हैं। अगर भारतमाता सोने के बजाय गोबर भी उगलती होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि यह मेरी जन्मभूमि भारतमाता की इज्जत का सवाल है।

"इसके हैं गदा गैर के सुलतान से बेहतर।

इसकी है हवा बूए गुलिस्तान से बेहतर।"

यह तो भारत माता की इज्जत का सवाल है और उसकी इज्जत के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना बहुत बुरा मालूम होता है। आज जब कि हमें पन्द्रह साल आजाद हुए हो गये हैं हमें फिर यह बात कही जाएगी कि हम कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम नहीं दे रहे हैं। हमारे लिए फिर यह बात कही जायगी कि हमने सिर्फ सरकार की नुक्ताचीनी की है लेकिन हमने उसे कोई तामीरी सलाह या सुझाव नहीं दिया है। लीजिये मैं आपके सामने तामीर सलाह रखता हूं। आपके सामने मशविरा रखता हूं। उस पर आप अमल कीजिये। पहली चीज तो यह हो कि आज से ही हर एक हिन्दुस्तानी को फौजी ट्रेनिंग दी जाय। दूसरे हथियारों पर से लाइसेंस हटाया जाय और तीसरे यह कि जो नाच गाने होते हैं और आये दिन दिन यह जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं इन नाच गानों को कानूनन आप बन्द कीजिये। सिनेमाओं को कानूनन बन्द कीजिये। शराबखोरी को कानूनन बन्द कीजिये और ऐय्यासी के अड्डों को आप कानूनन बन्द कीजिये। यह मेरी आपको कंस्ट्रक्टिव सलाह है। आपके लिए रचनात्मक मशविरा है कि १५ अगस्त के त्यौहार के लिए जितनी नर्तकियां और गायिकायें आई हुई हैं उन सब को आप बहन बेटी कह कर बिदा कीजिये। इस दिल्ली की पाक जमीन में कोई नाच गाना और इस तरह की ऐय्यासी नहीं होनी चाहिए। जिस देश की १४००० मुरब्बा जमीन पर दुश्मनों का झंडा लहरा रहा हो उस देश के सिनेमाघर एक मिनट के लिए भी बन्द नहीं हुए, जिस देश के हिमालय के ऊपर दुश्मन का झंडा लहरा रहा हो उस देश के शराबखाने एक दिन के लिए भी बन्द नहीं किये गये। कल्चरल प्रोग्राम बराबर चलते रहे। मैं तो इन्हें कल्चरल प्रोग्राम नहीं कहता हूं बल्कि कंचन प्रोग्राम कहता हूं। अब जिस बहन को या जिस बेटी को हम नाचते हुए देखते हैं उसके प्रति मां, बहन और बेटी का भाव पैदा नहीं हो सकता है। जाहिर बात है कि यह हमारे कलचरल प्रोग्राम्स भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं अन्यथा नामुमकिन बात है कि ४४ करोड़ इंसान अपनी मातृभूमि की रक्षा न कर सकें। एक एक नौजलवान जिसने कि जाकर काश्मीर को फतह किया वह लोग अपनी मातृभमि की रक्षा न कर सकें यह असम्भव बात है। आपने किया है आपको ही विश्वास दिलाना पड़ेगा। आपको यह विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि आप इस देश की रक्षा कर सकते हैं। ४४ करोड़ इंसान अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता जरूरत इस बात की है कि इनका कैरेक्टर जगे, इनकी देशभक्ति जगे, इनके अन्दर मनुष्यता जगे और इनके अन्दर देशप्रेम जगे। मैं माननीय मित्र श्री त्रिवेदी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि हिन्दू मात्र लड़े। हिन्दू मात्र ही क्यों सारे हिन्दुस्तानी लड़ें। हर एक भारतवासी मातृभूमि की रक्षा के हेतु लड़े। जब वह महाराणा प्रताप का जिक्र कर रहे थे तो मैंने इशारा किया कि भाई हाकिम खां का जिक्र कर दो। वह महाराणा प्रताप का प्रधान सेनापति था और चित्तौड़ की हिफाजत के लिये उसने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसलिये यह ख्याल करना कि हिन्दू लड़े या कोई खास तबका लड़े यह उचित नहीं है। अपने देश की रक्षा के लिये ४४ करोड़ इंसान लड़ेंगे।

मैं प्रधान मंत्री महोदय से आपके द्वारा यह प्रार्थना करता हूं कि जैसा कि बनर्जी साहब ने भी कहा कि अगर आप सरेंडर करेंगे और दुश्मनों के साथ उस माहौल में बातचीत करेंगे और चायपानी करेंगे तब हम आपका साथ नहीं देंगे। हम आपका साथ उस वक्त देंगे जब आप यह कहेंगे कि देश की रक्षा के लिये और अपने हकूक की हिफ़ाजत के लिए हम सब एक होकर दुश्मन के मुकाबले में खड़े

[श्री यशपालसिंह]

हो जायें। हमको वेद में यह तालीम दी गई है :—

"यान्य विद्यानि कर्माणि तानि त्वयो पास्यानि नो इतराणि।"

हमको तो यह तालीम दी गई है कि अगर आचार्य और पिता भी देश भक्ति और धर्म के खिलाफ कोई काम करे तो उसकी मुखालफत करो और उसका विरोध करो। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि ४४ करोड़ देशवासी इस देश में बसते हैं। अगर सब एक होकर भारत माता की रक्षा के लिए खड़े हो जायेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम अपने सदउद्देश्य में क्यों न सफल हों। आज हर एक देशवासी का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह भारत माता की रक्षा करने के लिए तैयार रहे।

कोई न कोई कारण अवश्य है कि चीन हमारे प्रधान मंत्री जी से बातचीत करना नहीं चाहता। वह हमारे ऐम्बेसेडर से बातचीत करना नहीं चाहता। वह हमारे पार्थसारथी से मशविरा नहीं करता लेकिन वही चीन हमारे रक्षा मंत्री जी से खास प्रेम करता है और रक्षा मंत्री के प्रेम में मरा जा रहा है। अब इस में कुछ न कर कुछ कारण अवश्य है।

"बेकली बे सबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है।"

आज जरूरत इस बात की र कि देश के अरमानों को जगाया जाय और लोगों में देश भक्ति के भाव को जगाया जाय। अब देश की रक्षा वह करेंगे जिनकी कि बाहों में बल होगा और जिनकी कि छाती में ब्रह्मचर्य का तेज होगा। देश की रक्षा हम महात्मा गांधी, विवेकानन्द और दयानन्द आदि के पदचिन्हों पर चलते हुए कर सकेंगे जिन्होंने कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।

श्री रा० शी० पाण्डेय (गुना) : अध्यक्ष महोदय, मैं चाइना एग्रेशन और चीन की इस वृत्ति पर अपना उतना ही खेद और दुख प्रकट करता हूं जितना कि कोई देशभक्त प्रकट कर सकता है। लेकिन मैं विरोधी दल के सदस्यों के भाषणों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि एक तरफ तो वह वार की बात करतेहैं और यह कहते हैं कि एक इंच धरती भी हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि चीन के कब्जे में रहे। यहां तक मैं उनसे सहमत हूं लेकिन दूसरी तरफ वह हमारे देश की तमाम जनता की ओर से एक डिफीटिज्म, एक हर की मनोवृत्ति और अनुत्साह की बात जब करते हैं तो मैं यह नहीं समझ सकता कि आखिर वह मिशन वह उद्देश्य और मकसद जो उस धरती को लिबरेट करने का है वह हमारा कहां तक पूरा हो सकता है ?

श्रीमान् जी, हमारी यह परम्परा है इस देश का एक कैरेक्टर है, चरित्र है और आचरण है कि हम हर चीज को करने के पहले हर मोड़ पर खड़े हो कर विचार करते हैं, दस बार सोचते हैं और उसके बाद ऐक्शन लेते हैं। गांधी जी का आन्दोलन देखिये। हमारे साथी सदस्य ने अभी बड़े बड़े महारथियों के नाम लिये। मैं आपसे कहता हूं कि हमारे देश में महारथियों की कभी कमी नहीं रही है। पूज्य बापू जी और सरदार पटेल हमारे महारथी रहे और आदरणीय पंडित जी अभी हमारे बीच विद्यमान हैं जिन्होंने कि सारे देश को एक झंडे के नीचे लाकर एक गणतन्त्र की स्थापना की। इस इतिहास को वह समझते हैं और इस रहनुमाई को भी वह समझते हैं। एक दफा दर्रा खैबर से जब हम पर आक्रमण हुआ उस वक्त हिन्दुस्तान एक नहीं था और जिस समय पानी के रास्ते आक्रमण हुआ उस वक्त भी हिन्दुस्तान एक नहीं था लेकिन आज इस सौवरन पार्लियामेंट जो कि एक सौवरन ला मेकिंग बौडी है, एक सर्वोच्च सता है उसके अन्दर हम एक संयुक्त रूप से जिम्मेदारी के साथ

अपनी धरती को बचाने और उसके लिए कुर्बानी और बलिदान देने की बात जब हम करते हैं तो इस समय देश एक है। लेकिन इसके पहले जब देश के ऊपर दो आक्रमण हुए तब देश एक नहीं था। हमें बधाई देना चाहिए अपने उन नेताओं को जिन्होंने कि हमारे अन्दर भावनात्मक एकता पैदा की और राष्ट्रीयता की भावना पैदा की और इस देश को स्वराज्य दिलाया। स्वराज्य प्राप्त हो जाने के बाद उस में एकता और समता लाने के लिए और धरती के प्रति प्रेम और प्यार पैदा करने के लिए उन्होंने एकत्व का उदाहरण उपस्थित किया है।

लोग कहते हैं, कई माननीय सदस्य कहते हैं कि प्रधान मंत्री महोदय ने स्थिति को साफ तौर पर हमारे सामने नहीं रखा। मैं निवेदन करना चाहता हू कि पांच श्वेत-पत्र हमारे सामने हैं। तमाम पत्रों का जो आदान-प्रदान हुआ, वह हारे सामने है। हमारी कितनी जगह आकुपाई हुई है, यह बताया गया है। हमारे नौजवान जब उस तरफ मार्च करने गये, तो वह बताया गया। गलवान की घाटी में हमारी चैक पोस्ट पर जब हमारे नौजवानों ने कहा, "हट जाओ, वर्ना हम गोली मार देंगे", तो वह बात भी बताई गई। यह भी बताया गया कि हम अपनी एक एक इंच भूमि की रक्षा करेंगे और जब तक चीनी हमारी धरती से पीछे नहीं हटेंगे, विदड्रा नहीं करेंगे, तब तक हम शान्ति से नहीं बैठेंगे। इससे बड़ा संकल्प, इससे बड़ा व्रत और इससे बड़ी राष्ट्रीयता और क्या हो उकती है कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी धरती की रक्षा करने के लिए पहले हम बातचीत करेंगे, लेकिन यदि हम पर आक्रमण किया गया, तो हम पूरी शक्ति के साथ उसका मुकाबला करेंगे? हम दुनिया को कहते हैं कि पंचशील के आदर्श के अनुसार, सह अस्तित्व भी भावना की दृष्टि में रखते हुए पहले हम बात करेंगे, पहले हम चीनियों के साथ मुहब्बत का बर्ताव करेंगे—गांधी जी कहा करते थे कि हमारी परम्परा हे कि हर मोड़ पर खड़े हो कर हम चारों तरफ देखते हैं और देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं--और, जैसा कि माननीय सदस्य, श्री रधुनाथ सिंह, ने कहा है, पहले हम वार्ता करते हैं, उसके बाद अभियान करते हैं और उसके बाद संग्राम करते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हू कि अभी हमारा वार्ता का समय ह। हमने अपने हर नोट में कहा है कि हम चाहते हैं कि चीनी क्षेत्र से रिट्रीट करें और इस प्रकार एक ऐसा फ्रैंडली एटमास्फियर पैदा करने की कोशिश करें, जिसमें हम एक्रास दि टेबल बैठ कर फ़ैसला कर सकें और किसी कन्क्लूजन पर पहुंच सकें। हमने कहा है कि हम और वे हिमालय की उन तमाम पर्वतमालाओं के साथी हैं हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा सम्बन्ध हिमायल से है और जिस हिमालय की पर्वतमालाओं से हमको पानी मिला है, संस्कृति मिली है, वहां से हमारा उत्कर्ष हुआ है, उसको हम कभी भी नहीं भूल सकते उसको हम कभी यभी विस्मृत नहीं कर सकते और अगर चोटियों पर चाइना आये अथवा कोई और आये, तो हम उसका जवाब देंगे।

जहां तक तिब्बत का प्रश्न है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तिब्बत पर चाइना की सुज़रेन्टी की बात कही थी। जितनी भी बातें हमने उस एग्रीमेंट में कहीं, वे बिल्कुल ठीक थीं। लेकिन जब हमको मालूम पड़ा कि चाइना का इरादा नापाक है और हवह हमारी टैरीटरी पर एग्रैशन करना करना चाहता है, उस को छीनना चाहता है, तो उसका विरोध करने के लिए और अपने इलाके से उसको हटाने के लिए हम ने नोटस, चिट्ठियों, तमाम डिप्लोमैटिक चैनल और डिप्लोमैटिकसर्विस का इस संबंध में प्रयोग किया। हम चाहते हैं कि जब तक हमें इस सम्बन्ध में आशा है, जब तक यह पार्लियामेंट हमको आजा देती है, जब तकदेश हमारे साथ है, जब तक देश की धमनियों में रक्त है, जब तक देश के जवानों की शक्ति, बल और राष्ट्रीयता हमारे साथ है, तब तक पहले हम समझौते का हाथ बढ़ायगे, हम चाहेंगे कि चाइना हमारी धरती को खाली कर दे। लेकिन अगर कभी ऐसा अवसर आया और आवश्यकता हुई कि हमको लड़ना पड़ा, तो, जैसा कि हम सदन के सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य ने कहा है,—हालांकि

[श्री रा० शं० पाण्डेय]

उन्होंने इस देश के नागरिकों की एक निश्चित संख्या नहीं बताई, कोई पर्टिकुलर फीगर नहीं बताए कि कितने हमारे देश के नागरिक हैं, कभी उन्होंने ३५ करोड़ कहा और कभी ४० करोड़ कहा—इस देश की ४३ करोड़ जनता, जिसमें नर-नारी और छोटे बच्चे सब हैं, इस देश की परम्परा के अनुसार त्याग करेगी और कुर्बानी देगी और उस त्याग और कुर्बानी के माध्यम से देश और संसार को दिखा देगी कि अगर कोई हमारी राष्ट्रीयता पर आक्रमण करेगा—चाहे वह चाइना हो या कोई और—तो हम डट कर उसका मुकाबला करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह कल इसका उत्तर दें ।

सभा का कार्य

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा को पता ही है कि सरकार ने इस सत्र को ७ सितम्बर, १६६२ तक बढ़ा दिया है । अब सभा की ३, ४, ५, ६ और ७ सितम्बर, १६६२ को बैठकें होंगी । सभी दिनों में प्रश्नों का घंटा भी होगा । प्रश्नों का उत्तर देने के बारे में सूचना बुलेटिन में प्रकाशित कर दी जायेगी । शुक्रवार, ७ सितम्बर की अन्तिम बैठक में अन्तिम ढाई घंटे गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये रखे जायेंगे ।

इस के पश्चात् लोक सभा की बैठक मंगलवार, अगस्त १४, १६६२ / श्रावण २३, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, १३ अगस्त, १९६२

२२ श्रावण, १८८४ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		६६५—९३
तारांकित प्रश्न संख्या		
२१५	समाज शिक्षा	६६५—६७
२१६	राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन	६६७—७०
२१७	तीसरी पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय	६७०—७४
२१८	हेलिकाप्टरों का निर्माण	६७४—७८
२१९	दुर्गापुर कारखाने के विस्तार के लिये ब्रिटिश ऋण	६७८—७९
२२०	अध्यापिकाओं की कमी	६७९—८१
२२१	जलपोतों के डीजल इंजनों का निर्माण	६८१—८२
२२२	धमन भट्टी के धातुमल से सीमेन्ट का निर्माण	६८२—८३
२२३	बर्मा शेल और एस्सो तेल शोधक कारखाने	६८३—८४
२२५	दिल्ली में विस्फोट	६८५—८६
२२७	राष्ट्रीय एकता दिवस	६८६—८७
२२८	रूरकेला की धमन भट्टी	६८७—८८
२२९	सीमेन्ट का लक्ष्य	६८८—८९
२३०	स्कूटर बनाने के कारखाने	६८९—९०
२३१	मशीनी औजार कार्यक्रम	६९०—९१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
२	पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान संघ के बारे में प्रेसिडेन्ट अयूब का वक्तव्य	६९२—९३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		६९३—७६०
तारांकित प्रश्न संख्या		
२२४	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्	६९३

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

२२६	राष्ट्रमंडलीय सेना प्रमुखों का सम्मेलन .	६९३–९४
२३२	आसाम में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश .	६९४–९५
२३३	भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारी .	६९५
२३४	विदेश जाने के लिये रक्षित बैंक के नियम .	६९६
२३५	रेशम तथा नकली रेशम मिल अनुसन्धान संघ .	६९६–९७
२३६	कोल्हापुर गद्दी का उत्तराधिकार .	६९७
२३७	मशीनी औजार डिजाइन केन्द्र की स्थापना . .	६९७–९८
२३८	भारत में विदेशी प्रविविज्ञ . . .	६९९
२३९	आगरा के निकट उर्वरक कारखाना . .	६९९
२४०	'लाइटनिंग लड़ाकू विमान'' . .	६९९–७००
२४१	कटंगा में भारतीय सेना . .	७००
२४२	कांगों में भारतीय टुकड़ी . .	७०१
२४३	निःशुल्क शिक्षा . . .	७०१
२४४	दुग्ध-चूर्ण	७०१–०२
२४५	विदेशों में व्यापारियों का ठहरना . . .	७०२
२४६	भारत एलेक्ट्रनिक्स लिमिटेड . . .	७०२–०३
२४७	रूरकेला इस्पात संयंत्र में त्रुटियाँ . .	७०३
२४८	दिल्ली नगर निगम	७०३–०४
२४९	गोआ में पोलिटैक्निक	७०४
२५०	पश्चिम बंगाल में कोयला खनन अधिकार . .	७०४
२५१	लौह अयस्क को पिघलाने की विधि सम्बन्धी अध्ययन दल .	७०५
२५२	आयुध कारखानों में टैंकों का निर्माण . . .	७०५
२५३	युकेलिप्टस तेल पर उत्पादन शुल्क . .	७०६
२५४	चुनाव प्रचार साहित्य	७०६
२५५	असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों को स्थायी बनाना . .	७०६–०७
२५६	कोयले के स्थान पर भट्टी के तेल का इस्तेमाल .	७०७
२५७	त्रिपुरा में पाकिस्तान आप्रवासी . . .	७०८
२५८	डानकुनि रेलवे स्टेशन पर गोलाबारूद का लूटा जाना .	७०८–०९
२५९	फारस की खाड़ी में भारतीय मुद्रा के नोट . .	७०९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
२६०	रांची में "फाउंड्री फोर्ज" परियोजना	७०९–१०
२६१	त्रिभाषीय सूत्र	७१०
२६२	दक्षिण में तेल शोधक कारखाना	७११
२६३	नई दिल्ली में विश्वविद्यालय	७११–१२
२६४	राजस्थान में खनिज संसाधनों का उपयोग	७१२
२६५	कोयला-नौकाओं का निर्माण	७१२
२६६	तिरुचिरपल्ली में हाई प्रैशर बायलर-संयंत्र	७१२–१३
२६७	भारतीय वायु-सेना का लापता "कैनबरा" विमान	७१३
२६८	दिल्ली पोलिटैक्निक	७१३–१४
५३९	त्रिपुरा में आदिम जाति संस्कृति का विकास	७१४
५४०	त्रिपुरा में गाँकी बस्ती	७१४–१५
५४१	त्रिपुरा में भूख हड़ताल	७१५
५४२	बाल शिक्षा	७१५–१६
५४३	उड्डयन विकास	७१६–१७
५४४	केरल में हीरा–जवाहरात के निक्षेप	७१७
५४५	अल्प संख्यक आयोग	७१७
५४६	त्रिपुरा राज्य की आय	७१७–१८
५४७	तीसरे सामान्य निर्वाचन का व्यय	७१८
५४८	दिल्ली में महिला भाषा अध्यापक	७१८
५४९	हरिजनों को गृह-निर्माण अनुदान	७१८–१९
५५०	राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता	७१९
५५१	स्कूलों को पाठ्य-पुस्तकों के लिये कागज	७२०–२१
५५२	भूतपूर्व राजाओं की कारों पर लाल नम्बर प्लेट और झण्डे का प्रयोग	७२१
५५३	राष्ट्रीय अल्प बचत	७२१–२२
५५४	संरक्षण में रखा हुआ कोलार का सोना	७२२
५५५	दिल्ली पुलिस की जेलें	७२२
५५६	असिस्टेन्टों के लिये "सलेक्शन ग्रेड"	७२२–२३
५५७	दिल्ली में आग लगने की दुर्घटनायें	७२३
५५८	राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद् द्वारा दिया जाने वाला डिप्लोमा	७२३

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
५५९	आयकर विभाग में पदोन्नति	७२४
५६०	सरकारी नौकरी में हरिजन	७२४
५६२	मंत्रालयों के आय-व्ययक अनुदान	७२४–२५
५६३	संगीत नाटक अकादमी	७२५
५६४	हंगरी सरकार की छात्रवृत्तियां	७२५
५६५	अंधों का प्रशिक्षण	७२५–२६
५६६	केरल ग्रन्थशाला संगम	७२७
५६७	गोआ में जीवन बीमा निगम	७२८
५६८	"फ्रेंडशिप युनिवर्सिटी", मास्को	७२८–२९
५६९	राजनीतिक बन्दी	७२९
५७०	अवकाश-गृह	७२९
५७१	परीक्षा परिणाम	७२०–३०
५७२	भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	७३०
५७३	विज्ञान-विषयों के लिये शब्दावली	७३०–३१
५७४	हैवी इलैक्ट्रिक प्लांट, भोपाल	७३१–३२
५७५	प्राकृतिक गैस का प्रयोग	७३२
५७६	कर्मचारी परिषदों की सिफारिशें	७३२
५७७	जाली नोट	७३२–३३
५७८	मिनिकाय द्वीप समूह में चूहों का उपद्रव	७३३
५७९	अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद्	७३३
५८०	अपाहिज बच्चे	७३४
५८१	रांची में हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी	७३४
५८२	उर्वरक तथा मशीनी औजार उद्योग, आदि	७३४–३५
५८३	पोलैंड से ऋण	७३५
५८४	कोठागुडियम में इस्पात संयंत्र	७३५–३६
५८५	आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर के समीप सीमेंट फैक्टरी	७३६
५८६	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	७३६
५८७	खारी पानी	७३६–३७
५८८	राज्यों को ऋण	७३७

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

५८९ सिलीगुड़ी और गोहाटी के बीच पाइप लाइन ७३७

५९० उर्वरक संयंत्र . ७३७–३८

५९१ त्रिपुरा में सहकारी संस्थाएं . . ७३८

५९२ त्रिपुरा में पाकिस्तनियों द्वारा तस्कर व्यापार . . ७३८

५९३ त्रिपुरा के व्यापारी . . . ७३८–३९

५९४ अब्दुल नबी की मस्जिद, नई दिल्ली . . ७३९

५९५ हिन्दू धार्मिक न्यास समिति की रिपोर्ट . . ७३९

५९६ संसद् सदस्यों के फ्लैटों में चोरियां . . . ७४०

५९७ पश्चिम बंगाल को सहायता . . . ७४०

५९८ भारतीय वैज्ञानिक ७४०–४१

५९९ पूर्व विश्वविद्यालय श्रेणिया ७४१

६०० प्राग्-विश्वविद्यालय श्रेणियों की परीक्षा . . . ७४१

६०१ निवेली लिग्नाइट ७४१–४२

६०२ जीवन बीमा निगम के पालिसी होल्डरों के अनिर्णीत दावे . ७४२

६०३ हाई औकटेव पैट्रोल का संयंत्र ७४२

६०४ भारतीय भाषाओं की लिपि . . . ७४३

६०५ इलाहाबाद उच्च न्यायालय . . . ७४३

६०६ भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी . . . ७४३–४४

६०७ सीमेंट के दाम ७४४

६०८ शिक्षा मंत्रालय में संगठनात्मक परिवर्तन . . . ७४४–४५

६०९ सैनिकों का राशन ७४५

६१० जवानों की तरक्की ७४५–४६

६११ मनीपुर में कर अपीलीय प्राधिकार . . . ७४६

६१२ राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां ७४६

६१३ मनीपुर में सरकारी क्वार्टर ७४६–४७

६१४ परीक्षा प्रणाली ७४७

६१५ पंजाब के लिये कोयला ७४७–४८

६१६ सायंकालीन कालिज ७४८

६१७ जकार्ता में एशियाई खेल ७४८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

६१८ लेवपारगैल चोटी पर सेना का अभियान . ७४८–४९
६१९ नागा विद्रोही ७४९
६२० अखिल भारतीय कृषि सेवा . . . ७५०
६२१ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन . ७५०
६२२ छाव नृत्य . . ७५०
६२३ सेयानपुर तेरा किला ७५०–५१
६२४ भारतीय सांस्कृति सम्बन्ध परिषद् . . . ७५१
६२५ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की राष्ट्रीय परिषद् को सहायता . ७५१
६२६ मध्य प्रदेश में कपड़ा बनाने की मशीन का निर्माण . ७५२
६२७ दिल्ली में आत्महत्यायें ७५२
६२८ शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों की भर्ती . . ७५३
६२९ भारत के लिये जापानी रडार . . ७५३
६३० उड़ीसा खनन निगम . . . ७५४
६३१ पंजाब में भारत के राज्य बैंक की शाखाएं . . ७५४
६३२ राष्ट्रीय एकीकरण में पुलिस का हाथ . ७५४
६३३ उच्च प्रशिक्षण और अनुसन्धान के केन्द्र . ७५४–५५
६३४ भारतीय बैंकरों का सम्मेलन . . . ७५५
६३५ व्यस्क बधिरों का प्रशिक्षण . . . ७५५–५६
६३६ व्यायाम शिक्षा सम्बन्धी ग्रंथमालायें . . . ७५६
६३७ दिल्ली पितृ संघ ७५६–५७
६३८ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता . . . ७५७
६३९ संस्कृत के अध्ययन के लिए आसाम को सहायता . ७५७–५८
६४० आगका किला ७५८
६४१ आयकर विवरण प्रपत्र . . ७५८–५९
६४२ 'साफट बाल' का खेल . ७५९
६४३ प्रतिरक्षा संगठन परस्पर सहायता निधि ७५९–६०
६४४ लड़कियों का अपहरण ७६०
६४५ समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन पंजीकृत मामले . ७६०

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७६१–६२

(१) रूरकेला आयरन एंड स्टील वर्क्स के बारे में विशेषज्ञों का प्रतिवेदन (सोलवीन डेलीगेशन का प्रतिवेदन)

(२) प्रौद्योगिकी संस्था अधिनियम, १९६१ की धारा २३ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत . . .

वर्ष १९६०–६१ के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर के प्रमाणित लेखे की एक प्रति उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित ।

(३) क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम, १९५६ की धारा ५४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २१ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९८६ में प्रकाशित क्षेत्रीय परिषदें (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(४) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ और समुद्र सीमा शुल्क एक्ट, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ९ जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७६३ ।

(ख) दिनांक ९ जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७६४ ।

(ग) दिनांक १६ जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७७९ ।

(घ) दिनांक २३ जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८३० ।

(ङ) दिनांक २३ जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८३१ ।

(च) दिनांक ३० जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८७२ ।

(५) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :-

(क) दिनांक ९ जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७५९ ।

(ख) दिनांक १३ जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७९९ ।

(ग) दिनांक ३० जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८६५ ।

(घ) दिनांक ३० जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८६६ ।

(ङ) दिनांक ३० जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८६७ ।

(च) दिनांक ३० जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८६८ ।

(छ) दिनांक १४ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ९३६ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(६) समुद्र सीमा शुल्क-अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २३ जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८२८ ।

(ख) दिनांक ३० जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८६९ ।

(ग) दिनांक ३० जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८७० ।

(घ) दिनांक १४ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ९४० ।

(७) निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) अधिनियम, १९६२ की धारा ५ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनाक १४ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३३ में प्रकाशित संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) नियम, १९६२ ।

(ख) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम १९५७ की धारा ६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १४ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३४ में प्रकाशित अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (वितरण) नियम, १९६२ ।

सदस्य को सजा के बारे में सूचना ७६२–६३

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें तिरुचिरा पल्ली के स्पेशल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से दिनांक ९ अगस्त, १९६२ का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि लोक-सभा के सदस्य श्री ईरा सेझियान पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४३ और दण्ड विधि संशोधन एक्ट की धारा ७(१) (क) और (ख) के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया और दो मास के कठोर कारावास की सजा दी गई । सदस्य को केन्द्रीय जेल, तिरुचिरापल्ली में रखा गया है ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२-६३ के बारे में विवरण . ७६३

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने वर्ष १९६२–६३ के आय व्ययक (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विवरण प्रस्तुत किया ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२-६३ के बारे में विवरण . ७६३

रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) ने वर्ष १९६२–६३ के आय व्ययक (रेलवे) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विवरण प्रस्तुत किया ।

विधेयक पुरस्थापित ७६३–६४

(१) अणु शक्ति विधेयक ।

(२) अधिवक्ता (तीसरा संशोधन) विधेयक ।

विषय	पृष्ठ
भारत चीन सीमा स्थिति के बारे में प्रस्ताव	७६४—९८

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) ने प्रस्ताव किया कि भारत चीन सीमा की स्थिति, विशेष कर लद्दाख क्षेत्र की स्थिति, पर विचार किया जाये। श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी तथा श्री प्र० के० देव ने दो स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

अध्यक्ष द्वारा घोषणा ७९८

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि चालू सत्र ७ सितम्बर १९६२ तक बढ़ा दिया गया है।

मंगलवार, १४ अगस्त, १९६२/२३ श्रावण, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

भारत चीन सीमा पर स्थिति के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा तथा संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर प्रस्ताव पर चर्चा।

GMGIPND—LS. III—1555 (Ai) LSD—1—14-12-62—140